



# राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन योजना 2023 जिला सीकर





जिला कलेक्टर सीकर, फोन : 01572–250005, 250007, ई–मेल : dm-sik-rj@nic.in

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

सीकर

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

2023



## जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सीकर जिला आपदा प्रबंधन योजना—2023

### प्रस्तावना

जिला आपदा प्रबंधन योजना, किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के पूर्व एवं आपदा के समय सही कार्य और जिम्मेदारी तय करने की एक निर्देशिका है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना—2023 को बनाने हेतु राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के दिशा—निर्देश, जिला, तहसील, स्थानीय निकायों एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों एवं आमजनों के बहुमूल्य सुझावों को इसमें समाहित किया गया है।

यह योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31 में दिये गये दिशा—निर्देशों के आधार पर ही तैयार की गई है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने का मकसद जिला स्तर पर आपदा से होने वाले जान—माल की क्षति को न होने देना या कम करना साथ ही मानव जनित आपदाओं को रोकना एवं स्थानीय संसाधन का क्षमता संवर्धन एवं विकास करना है।

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबंधन में समीचीन योजना, संचालन, समन्वयन और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत और एकीकृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य, स्थानीय स्तर पर किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम, किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन, न्यूनीकरण, अनुसंधान और ज्ञान प्राबंधन सहित क्षमता निर्माण, ताकि आपदा की संभावित स्थिति अथवा आपदा के समय त्वरित कार्यवाही, इसके प्रभावों का आंकलन, फंसे हुए लागों को निकालना, बचाव और राहत कार्य एवं पुनर्वास और पुर्णनिर्माण करना है।

योजना को समझने के लिए सभी की भागीदारी, सहयोग, जानकारी और तैयारी अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन योजना—2023, की सफलता तभी संभव है, जब हम सभी इसका अध्ययन करें और इसे आपदा के पूर्व की तैयारी एवं आपदा के समय बचाव कार्य में उपयोग में लायें।

इस योजना को अपडेट करने के लिये दिये गये सहयोग के लिये सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने योजना को बनाने में जनहित में अपनी सहभागिता निभाई। योजना को सफल बनाने में सब का सहयोग, बहुमूल्य सुझाव स्वागतयोग्य है।

सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सीकर

## विषय सूची

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महत्वपूर्ण परिचय	06 — 15
अध्याय 2	विकास और आपदा	15 — 19
2.1	बहु—आपदा अनुक्रिया योजना	16 — 17
2.2	जिला आपदा प्रबंधन एवं कार्य योजना के उद्देश्य	17 — 18
2.3	नीतिगत कथन	18 — 19
अध्याय 3	जिले की रूपरेखा	20 — 53
3.1	जिला सीकर एक दृष्टि में	21 — 23
3.2	सामान्य जानकारी, भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक संरचना	24 — 30
3.3	संसाधन, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति	31 — 53
अध्याय 4	आपदा प्रबन्धन योजना तैयारी की रणनीति	54 — 57
अध्याय 5	राजस्थान राज्य के खतरे की रूपरेखा	58 — 66
5.1	आपदा प्रबन्धन चक्र	59 — 59
5.2	सूखा	59 — 60
5.3	बाढ़	60 — 62
5.4	भूकम्प	62 — 66
अध्याय 6	सीकर जिला की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	67 — 71
6.1	संभावित विपदाओं की पहचान	67 — 68
6.2	संवेदनशीलता	69 — 70
6.3	सीकर जिला का खतरा एवं नुकसान का विष्लेषण	70 — 70
6.4	आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग	71 — 71
अध्याय 7	प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना	72 — 119
7.1	जिला आपदा प्रबंधन	72 — 76
7.2	कार्य योजना के उद्देश्य	76 — 77
7.3	नियंत्रण कक्ष	77 — 77
7.4	जिला एवं स्थानीय प्रशासन	77 — 77
7.5	पुलिस विभाग	78 — 78
7.6	अग्नि एवं कार्ययोजना	78 — 90
7.7	नागरिक सुरक्षा बल	91 — 91
7.8	राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) / बम विस्फोट एवं आतंकवादी घटना।	92 — 94
7.9	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्ययोजना	95 — 96
7.10	जल संसाधन विभाग	96 — 100
7.11	सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना	101 — 101
7.12	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना	101 — 102
7.13	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना	102 — 103
7.14	परिवहन विभाग	103 — 103
7.15	खाद्य एवं रसद विभाग	103 — 103
7.16	सूखे की कार्ययोजना	103 — 105
7.17	दुर्घटना कार्य योजना	106 — 107
7.18	भूकम्प एवं कार्य योजना	108 — 109
7.19	बोरवेल की दुर्घटना	110 — 113
7.20	ओला वृष्टि	113 — 114
7.21	बांध टूटना	114 — 114
7.22	खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्ययोजना	115 — 115
7.23	ताप (लू) एवं शीतघात	115 — 119

<b>अध्याय 8</b>	<b>रासायनिक एवं औद्योगिक आपात स्थिति कार्ययोजना</b>	120 – 120
8.1	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	120 – 120
<b>अध्याय 9</b>	<b>बायोलॉजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना</b>	121 – 121
9.1	चिकित्सा सुविधा	121 – 121
<b>अध्याय 10</b>	<b>न्यूकिलियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति की कार्ययोजना</b>	122 – 123
10.1	आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही	122 – 122
10.2	आपात स्थिति में सम्पर्क	123 – 123
<b>अध्याय 11</b>	<b>साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड</b>	124 – 126
11.1	साम्प्रदायिक तनाव	124 – 124
11.2	भगदड एवं कार्ययोजना	124 – 126
<b>अध्याय 12</b>	<b>विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय</b>	127 – 127
<b>अध्याय 13</b>	<b>आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)</b>	128 – 131
<b>अध्याय 14</b>	<b>आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी</b>	132 – 132
<b>अध्याय 15</b>	<b>राजस्थान राहत कोष</b>	133 – 134
<b>अध्याय 16</b>	<b>महत्वपूर्ण कार्यालय, अस्पताल, ब्लड बैंक एवं अन्य आपातकालीन सम्पर्क</b>	135 – 165
16.1	जिला मुख्यालय सीकर	135 – 136
16.2	उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलवटर	136 – 137
16.3	जिला स्तरीय अधिकारीगण	137 – 149
16.4	तहसीलदार	149 – 150
16.4.1	नायब तहसीलदार	150 – 151
16.4.2	उप पंजीयक	151 – 151
16.5	विकास अधिकारी	152 – 152
16.6	आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी (नगरनिकाय)	153 – 153
16.7	सांसद / विधायक	154 – 155
16.8	जिला पुलिस	156 – 157
16.9	अग्निसमन विभाग	158 – 159
16.10	चिकित्सा विभाग	159 – 160
16.10	जिला अस्पताल एवं ब्लड बैंक	160 – 160
16.10..1	ब्लड स्टोर इकाईल	160 – 160
16.11	108 एम्बुलेस आपातकालीन	160 – 161
16.11.1	104 एम्बुलेस आपातकालीन	161 – 162
16.12	आपदा प्रबन्धन योजना एवं प्राधिकरण	162 – 162
16.14	सेना / वायु सेना अधिकारी / नोडल अधिकारी	163 – 163
16.15	मौसम विभाग	163 – 163
16.16	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	163 – 164
16.17	सार्वजनिक निर्माण विभाग	164 – 164
16.18	आपातकालीन बचाव उपकरण एवं स्थान	164 – 164
16.19	पुलिस लाईन सीकर में आपातकालीन बचाव उपकरण	165 – 165
<b>अध्याय 17</b>	<b>आपदा प्रबन्धन में लाभकारी शब्दावलियाँ</b>	166 – 166

## अध्याय : 01

# आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

## राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3 (1) – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें, इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 6 (1) – राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोर्चन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण –

(क) आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा।

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रायोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शन सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

## **राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण**

**धारा 14 (1) – राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।**

प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

**धारा 18 राज्य प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्य –**

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियाँ और योजनाएँ अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

## **जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण**

**धारा 25 – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन**

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक की नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) जिले का यथास्थिति कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी—सदस्य।

(घ) पुलिस अधीक्षक—सदस्य।

(ङ) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी—सदस्य।

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी जिले में जहाँ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।

(4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को जो यथास्थिति अपर कलकटर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्योजित किया जाये, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

#### **धारा 26 – जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां।**

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करे।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपात की दशा में जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।

(3) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथा स्थित, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियों और कृत्य जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

#### **धारा 28 – सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन।**

(1) जिला आपदा प्राधिकरण, जब भी वो आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निवाहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

#### **धारा 29 – जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।**

राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

#### **धारा 30 – जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य।**

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रायोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :-

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा,

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनीटरी कर सकेगा,

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं :

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उसके प्रभावों के समय तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(v) जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों की आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा।

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा :

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके अन्यान के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।

(xiv) जनका को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों, और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा।

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्पर से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

### धारा 31 – जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी।

(1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।

(2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील हैं।

(ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय।

(ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी उपाय।

(घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाएँ और प्रक्रियाएँ, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों –

(i) जिला स्तर की सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आवंटन :

(ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत,

(iii) आवश्यक संसाधानों का भण्डारण।

(iv) संचार सम्पर्क की स्थापना, और

(v) जनता को सूचना का प्रसार।

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों।

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) जिला प्राधिकरण समय—समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

## **स्थानीय प्राधिकारी**

### **धारा 41 – स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य।**

(1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थानों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि ये किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अभिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की क्रियाकलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

## **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल**

### **धारा 44 – राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। (एनडीआरएफ)**

(1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंधन भी हैं, वे होंगी जो विहित की जाएं।

### **धारा 45 – नियंत्रण, निर्देशन।**

बल का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा।

## वित्त, लेखा और संपरीक्षा

### धारा 46 – राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि।

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएँगे।

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करें।

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदर्शक सिंद्हातों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोजित किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जायेगी।

### अपराध और शास्तियां (Penalties and Prosecution)

### धारा 51 – बाधा डालने आदि के लिए दंड।

जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना –

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा : या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी और से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

### धारा 52 – मिथ्या दावे के लिए दंड।

जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या

विश्वास करने को उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

#### धारा 53 – धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड।

जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या अधिपत्य में और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

#### धारा 54 – मिथ्या चेतावनी के लिए दंड।

जो कोई जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट–सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा।

#### धारा 55 – सरकार के विभागों द्वारा अपराध।

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विद्वध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

#### धारा 56 – अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता।

ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं की उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी को अभिव्यक्त

लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

#### धारा 57 – अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति।

यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

#### धारा 58 – कंपनियों द्वारा अपराध।

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या नियमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार को संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे, और तदनुसार आने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे। परन्तु इस इसउपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में संबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

## अध्याय : 02

# विकास और आपदा

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है, परन्तु आज भी आपदाएँ उसके नियंत्रण में नहीं है वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मानवीयकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। 1999 में उडीसा में आये तूफान (Super Cyclone), 26 जनवरी, 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश, 26 दिसम्बर, 2004 में दक्षिणी राज्यों में आयी सुनामी, 29 अक्टूबर, 2009 को जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल डिपो में हुये भारत के सबसे भीषण अग्निकांड तथा 16 जून, 2013 को उत्तराखण्ड के केदारनाथ/गौरीकुण्ड/गुप्त काशी हुई भीषण प्राकृतिक तबाही इत्यादि इसके ताजा उदाहरण हैं। सीकर जिले में भी सामान्य औसत वर्षा 459.8 एमएम के विरुद्ध दिनांक 9, 10 एवं 11.7.2015 को (तीन दिवस में) 328 एमएम भारी वर्षा हुई, जिससे निचले क्षेत्रों में पानी भराव के कारण जलपलावन एवं बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुये।

## 2.1 बहु—आपदा अनुक्रिया योजना :

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, आंगजनी, सड़क दुर्घटनाएँ, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है। पिछले 50 वर्षों (1950–2000) में मात्र ४ वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87,

1991–92 व 1999–2000 में रहा है। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएँ हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकुल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाँचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

## 2.2 जिला आपदा प्रबंधन एवं कार्य योजना के उद्देश्य :—

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
3. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
5. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।

7. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

### **कार्य योजना के उद्देश्य :-**

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :—

1. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

### **2.3 नीतिगत कथन :-**

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धि विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना

तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सकें।

## अध्याय : 03

### जिले की रूपरेखा



### 3.1 जिला सीकर एक दृष्टि में

मद	इकाई	विवरण
क्षेत्रफल	वर्ग किमी.	7742.44
जनसंख्या	संख्या	2677333
पुरुष	"	1374990
स्त्री	"	1302343
कुल साक्षरता दर	प्रतिशत	71.91
पुरुष	"	85.11
स्त्री	"	58.23
1000 पुरुषों पर महिला	अनुपात	947
प्रशासनिक संरचना		
उपखण्ड	संख्या	11
तहसील	"	13
उप तहसील	"	3
पंचायत समिति	"	13
कुल ग्राम पंचायतें	"	375
कुल आबाद ग्राम	"	1192
लोकसभा क्षेत्र	"	01
विधानसभा क्षेत्र	"	08
जिला परिषद सदस्य	"	39

मद	इकाई	विवरण
पंचायत समिति सदस्य	"	251
कुल नगर	"	09
नगर परिषद्	"	01
नगरपालिका	"	09
पुलिस थाना	"	24
महिला थाना	"	01
पुलिस चौकी	"	28
प्राथमिक विद्यालय	"	719
उच्च प्राथमिक विद्यालय	"	1003
माध्यमिक विद्यालय	"	646
उच्च माध्यमिक विद्यालय	"	1063
बाल विकास परियोजना	"	9
आंगनबाड़ी केन्द्र	"	2139
बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय	"	01
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	"	31
पशु चिकित्सालय	"	94
पशु उपकेन्द्र	"	232
पशु औषधालय	"	10
पंजीकृत पशु गौषालाएँ	"	179

मद	इकाई	विवरण
पशु स्कन्ध व कुकुट	"	2211347
जिला अस्पताल 'अ' श्रेणी	"	01
राज.सामु. स्वास्थ्य चिकित्सालय	"	32
आयुर्वेद यूनानी चिकित्सालय	"	06
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	"	113
उप स्वास्थ्य केन्द्र (एड पोस्ट सहित)	"	647
राष्ट्रीयकृत बैंक	"	192
सहकारी बैंक	"	21
भूमि विकास बैंक	"	06
राजस्थान वित्त निगम	"	01
ग्रामीण बैंक	"	105
उचित मूल्य की दुकानें	"	912
पेट्रोल, डीजल पम्प स्टेशन व केन्द्र	"	141
गैस एजेन्सी	"	41
जिले में बीपीएल परिवारों (शहरी एवं ग्रामीण) की संख्या —	<b>41,105</b>	

## 3.2 सामान्य जानकारी

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व सीकर जिले का वर्तमान क्षेत्र पूर्वकालीन जयपुर राज्य का एक भाग था। खण्डेला के राजा बहादुरसिंह ने राव दौलतसिंह को वीरभान का बास नामक गाँव भेंट किया था। राव शेखा जी की नौंवी पीढ़ी के वंशज राव दौलतसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शिवसिंह ने वीरभान का बास का नाम सीकर रखा और सीकर के प्रथम संस्थापक शासक कहलाये। इन्होने ही सीकर को नगर का स्वरूप प्रदान किया।

देवीसिंह के पश्चात उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मणसिंह गद्दी पर बैठे तथा सम्वत् 1862 में बडे गाँव की उंची पहाड़ी पर किले का निर्माण और तलहटी में अपने नाम से लक्ष्मणगढ़ बसाया। सीकर रियासत के अन्तिम शासक राव राजा कल्याणसिंह थे जिन्होने सन् 1954 में अपने समस्त वैधानिक अधिकार भारत सरकार को समर्पित कर दिए। वृहद राजस्थान में विलय होने के पश्चात सीकर को एक अलग जिला बनाया गया जिसमें तत्कालीन सीकर ठिकाना, श्यामगढ़ ठिकाने के 11 गाँव और खास जयपुर राज्य की दांतारामगढ़ (48 गांवों को छोड़कर, जिन्हे फुलेरा तहसील में सम्मिलित किया गया) एवं नीमकाथाना तहसील शामिल की गई।

### भौगोलिक स्थिति:

सीकर जिला राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में  $27.21^{\circ}$  और  $28.12^{\circ}$  उत्तरी अक्षांश तथा  $74.44^{\circ}$  तथा  $75.25^{\circ}$  पूर्वी देशान्तर के बीच, मध्य समुद्र सतह से 432.31 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तर में झुंझुनू जिला, उत्तर-पश्चिम में चूरू जिला, दक्षिण-पश्चिम में नागौर जिला और दक्षिण-पूर्व में जयपुर जिले से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर-पूर्वी कोना हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले को छूता है। सीकर जिला दक्षिण में उत्तर की ओर 7,732 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

### स्थलाकृति (टॉपोग्राफी)

अरावली पर्वत शृंखला राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में बांटती है। उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भाग। अरावली की एक शृंखला शेखावाटी में सिंधाना गाँव से प्रारम्भ होकर खण्डेला, उदयपुरवाटी, शाकम्भरी, लोहार्गल, रघुनाथगढ़, रेवासा, हर्ष, आदि स्थानों को चीरती हुई साम्भर झील तक जाती है। इसमें रघुनाथगढ़ की चोटी सर्वोच्च है। अरावली की पर्वत शृंखला शेखावाटी के लिए वरदान सिद्ध हुई है, अन्यथा यह सम्पूर्ण भू-भाग रेगिस्तान होता। इस जिले में बहने वाली मुख्य कांतली नदी है जो खण्डेला के पास के पहाड़ों से निकलकर

90 किमी। उत्तर की ओर बहते हुए बेसासर गांव के पास टीलों में विलीन हो जाती है। कांतली नदी के अलावा शेखावाटी में शोभावती, राणोली, हर्ष की नदी आदि अनेक नदियों जीण माता के पेटे में गिरती हैं। अजीत गढ़ के पास से होकर बहने वाली त्रिवेणी नदी इस क्षेत्र की गंगा नदी कहलाती है।

### जलवायु व वर्षा:

इस जिले की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी, थोड़ी बहुत वर्षा, ठिठुराने वाला शीतकाल और वर्षाकाल को छोड़कर सामान्यतः सूखी हवाओं से युक्त है।

मुख्य जल स्रोत जिले का वर्षा है और वर्षा पर ही खरीफ फसलों का दारोमदार है। निम्न पंक्तियों में स्टेशनवार वर्षा का विवरण दिया है:-

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	सामान्य वर्षा मि.मी.	वास्तविक वर्षा 2019
1.	रामगढ़	392.7	738
2.	फतेहपुर	443.7	603
3.	लक्ष्मणगढ़	506.8	632
4.	सीकर	440.3	766
5.	दांतारामगढ़	449.8	720
6.	श्रीमाधोपुर	486.0	1119
7.	नीमकाथाना	505.1	724
8	खण्डेला	486.0	393
औसत वर्षा:		463.8	711.87

जिले की औसत वर्षा पूर्व में 463.8 मि.मी. थी परन्तु यह औसत वनों की कटाई के कारण गत वर्षों में घटता रहा है। अच्छे मानसून के कारण वर्ष 2019 की वास्तविक वर्षा 711.87 रही।

## प्रशासनिक संरचना

जिले की सीमाओं में 1991–2000 के दशक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिले का क्षेत्र नो उपखण्डों तथा नो तहसीलों में निम्नानुसार बंटा हुआ है:—

उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	उप-तहसील का नाम
रामगढ़ शेखावाटी	रामगढ़ शेखावाटी	फतेहपुर	—
फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर	—
लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़ नेछवा	नेछवा
सीकर	सीकर	पिपराली	—
धोद	धोद	धोद	—
दांतारामगढ़	दांतारामगढ़	पिपराली, दांतारामगढ़ पलसाना	पलसाना लोसल
खण्डेला	खण्डेला	खण्डेला	
श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर अजीतगढ़	अजीतगढ़
नीमकाथाना	नीमकाथाना	नीमकाथाना पाटन	पाटन

1.	लोक सभा क्षेत्र	1
2.	विधान सभा क्षेत्र	8
3.	उपखण्ड	9
4.	तहसील	9
5	उप-तहसील	5
6.	नगर परिषद	1

7.	नगर पालिका	9
8.	विकास खण्ड	12
9.	ग्राम पंचायत	375
10.	आबाद ग्राम	1192
11.	गैर-आबाद ग्राम	0
12.	भू-अभिलेख निरीक्षण मण्डल	85
13.	पटवार मण्डल	338

1959 में हुये प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप इस जिले में ग्यारह पंचायत समितियों का गठन किया गया। पंचायत समितियों पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियंत्रण एवं कलक्टर के पर्यवेक्षण में कार्य होता है पंचायत समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार की विकास गतिविधियों की मुख्य एजेन्सी हैं। निम्नलिखित सारणी पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र की स्थिति को दर्शाती हैः—

तहसील का नाम	पं. सं. का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिवारों की संख्या
फतेहपुर रामगढ़ शेखावाटी	फतेहपुर	107070	50488
लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़ नेछवा	121893	54786
सीकर धोद	धोद पिपराली	151535	106711
दांतारामगढ़	दांतारामगढ़ पिपराली पलसाना	1037117	68565
नीमकाथाना	नीमकाथाना पाटन	118822	69151
श्रीमाधोपुर खण्डेला	श्रीमाधोपुर खण्डेला अजीतगढ़	137807	95115

जिले में कुल 1193 ग्राम है। जिले में सीकर शहर में एक नगर परिषद तथा 8 नगर पालिकाएं यथा रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, लोसल रींगस श्रीमाधोपुर खण्डेला तथा नीमकाथाना हैं। जिले में 8 विधान सभा क्षेत्र तथा एक लोकसभा क्षेत्र है। जिले का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में है जबकि जयपुर जिले का चौमू विधानसभा क्षेत्र सीकर लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित है।

तहसीलवार ग्रामों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	नाम तहसील	कुल ग्राम	आबाद ग्राम	गैर-आबाद ग्राम
1.	रामगढ़ शेखावाटी	64	64	—
2	फतेहपुर	63	63	—
3.	लक्ष्मणगढ़	172	172	—
4.	सीकर	87	87	—
5.	धोद	122	122	—
6.	दांतारामगढ़	251	251	—
7.	श्रीमाधोपुर	103	103	—
8.	खण्डेला	137	137	—
9.	नीमकाथाना	193	193	—
योग:—		1192	1192	—

जिले की 12 पंचायत समितियों में कुल 375 ग्राम पंचायत हैं। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की संख्या क्रमशः 39 एवं 251 हैं:—

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों की संख्या	आबाद गाँवों की संख्या	पंचायत समिति सदस्य संख्या	जिला परिषद सदस्य संख्या
1.	फतेहपुर	34	127	27	4

2.	लक्ष्मणगढ़	35	109	25	4
3.	पिपराली	26	76	21	4
4.	धोद	57	150	41	5
5.	दांतारामगढ़	30	127	27	6
6.	श्रीमाधोपुर	22	48	23	4
7.	खण्डेला	45	165	39	5
8.	नीमकाथाना	33	85	27	5
9	पाटन	22	75	17	2
10	अजीतगढ़	24	68	23	—
11	नेछवा	18	63	15	—
12	पलसाना	20	100	25	—
योग:—		375	1193	310	39

### पुलिस प्रशासन:

जिले में 6 सर्किल है उनके अन्तर्गत थानों और चौकियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	पुलिस सर्किल का नाम	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या	कारागृहों की संख्या	उप अधी.	नि. री.	उप निरी.	सहा उप निरी.	हैड कांस्टेटे.	कान्स्टेबल
1	सीकर शहर	4	6	1	1	4	8	37	24	149
2	सीकर ग्रामीण	3	5	—	1	—	5	11	18	114
3	फतेहपुर	3	3	1	1	2	3	5	22	116
4	लक्ष्मणगढ़	3	2	—	1	1	4	13	18	103

5	रींगस	4	3	—	1	3	7	17	27	151
6	नीमकाथाना	6	9	1	1	2	10	28	40	219
	योग	23	28	3	6	12	37	111	149	852

### न्याय प्रशासनः

जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश है जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। जिले में वर्तमान में स्थापित न्यायालयों का विवरण निम्नानुसार हैः—

न्यायालय श्रेणी अनुसार	स्थान	संख्या
1. जिला एवं सेसन न्यायालय	सीकर	1
2. अपर जिला एवं सेसन न्यायालय	सीकर, नीमकाथाना, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, दातांरामगढ़	6
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	सीकर	1
4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	सीकर-3, नीमकाथाना, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, दातांरामगढ़,	8
5. सिविल जज क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	सीकर, नीमकाथाना, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, दातांरामगढ़,	6
6. अतिरिक्त सिविल जज क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	सीकर, नीमकाथाना	2
7. ग्राम न्यायालय	कुड़ली(सीकर)	1
8. पारिवारिक न्यायालय	सीकर	1
9. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	सीकर	1
10. जिला उपभोक्ता फोर्म	सीकर	1
11. पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	सीकर	1

### **3.3 संसाधन, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति**

**भू उपयोग एवं कृषि :**

**मिट्टी :**

सीकर जिले के पश्चिम में थार का रेगिस्तान है तथा पूर्व में जलोढ़ मैदान है। जिले में मिट्टी तीन प्रकार की पाई जाती है:-

**(अ) मोटे गठन वाली:**

यह मिट्टी अत्यधिक गहरी मोटे गठन (रेत या दुमट रेत) अच्छे जल निकासी वाली ज्यादातर चूना रहित है। इसकी उर्वरता बहुत कम है तथा नमी धारण करने की क्षमता भी कम है। 0.5 मीटर से 10 मीटर ऊंचाई के रेतीले टीले इन मिट्टीयों में काफी संख्या में पाये जाते हैं। फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धोद तथा आंशिक रूप से पिपराली व दांतारामगढ़ पंचायत समितियों के कुछ भागों में यह मिट्टियां पायी जाती हैं। बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार तथा चौला खरीफ में और गेहूं जौ तथा सरसों रबी में मुख्य फसलें इनमें पैदा होती हैं।

**(ब) मध्य गठन वाली:**

यह मिट्टी अत्यन्त गहरी मध्य गठन वाली (रेतीली दूमट से दूमट) अच्छेजल निकासी वाली तथा चूना रहित है, इनकी उर्वरता मध्यम है तथा नमी धारण करने की क्षमता मध्यम है। यह मिट्टी समतल या ढ़लान पर पाई जाती है और पिपराली, दांतारामगढ़, खण्डेला, श्रीमाधोपुर तथा नीमकाथाना पंचायत समितियों के कुछ भागों में पाई जाती है। बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, ग्वार तथा ज्वार खरीफ में और गेहूं जौ, मेथी तथा सरसों यरबी की मुख्य फसलें इसमें बोयी जाती हैं।

**(स) महीन गठन वाली:**

यह गहरी से अत्यधिसक गहरी, महीन गठन वाली (चिकनी दूमट से सिल्टी चिकनी दूमट) साधारण जल निकासी वाली चूना रहित मिट्टी है। इसकी उर्वरता मध्यम और नमी धारण क्षमता अच्छी है। यह समतल या बहुत मामूली ढ़लान पर पाई जाती है। ग्वार, मक्का, तिल, उड़द तथा सोयाबीन, खरीफ में गेहूं जौ, चना, मैथी तथा सरसों रबी में मुख्य फसलें इस पर उगाई जाती हैं।

## भूमि उपयोग :—

जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 774244 हैक्टेयर है। भूमि का वर्गीकरण वर्ष से 2015–16 में निम्नानुसार रहा:—

भूमि विवरण / क्षेत्रफल हेक्टेयर	2019–20
1. वन.	61114
2. भूमि जो कृषि के अतिरिक्त काम में ली गई	36752
3. उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	18471
4. स्थाई चारागाह	39980
5. विविध वृक्ष / उपवन तथा फलोद्यान	71
6. बंजर	10453
7. अन्य पड़ती	48772
8. चालू पड़ती	48978
9. बोया गया वास्तविक क्षेत्र	509653
योग:—	<b>774244</b>

भूमि उपयोग वर्ष 2015–16 निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	भूमि विवरण	क्षेत्रफल ( हैक्ट. में)
1	क्षेत्रफल	774244
2	कृषि अयोग्य भूमि	55223
3	समस्त बोया गया क्षेत्र	722330
4	दो उपज क्षेत्र	212677
5	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	509653
6	जंगलात	61114
7	कुल सिंचित क्षे.	294877
8	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	236292

## बुवाई एवं उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक

क्र. सं.	फसल का नाम	बुवाई क्षेत्रफल है 0 में/उत्पादन मै 0टन में									
		2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
		बुवाई	उत्पा.	बुवाई	उत्पा.	बुवाई	उत्पा.	बुवाई	उत्पा.	बुवाई	उत्पा.
1	बाजरा	308521	390639	283819	812858	288588	231727	282202	374217	272758	248787
2	दलहन	72278	55292	45963	39106	41489	27191	41962	26304	53380	38385
3	मूगफली	29536	53325	24062	38152	23422	39636	22000	47326	21438	40052
4	ग्वार	77815	64714	125528	125215	131655	101070	133877	102770	129418	105590
<b>योग (अ)</b>		<b>488150</b>	<b>563970</b>	<b>479372</b>	<b>1015324</b>	<b>485154</b>	<b>399624</b>	<b>480041</b>	<b>550617</b>	<b>476994</b>	<b>432814</b>
1	गेहूं	100080	266717	100128	294359	101345	323254	99558	325535	92333	311611
2	जौ	32586	82119	33745	80180	34166	105977	32649	97959	29425	93732
3	चना	50146	44277	42156	48176	66086	68597	40703	44762	31285	37900
4	सरसों	68535	51941	61457	94777	65136	74071	57689	75003	48937	64337
<b>योग (ब)</b>		<b>251347</b>	<b>445054</b>	<b>237486</b>	<b>517492</b>	<b>266733</b>	<b>571899</b>	<b>230599</b>	<b>543259</b>	<b>201980</b>	<b>507580</b>

### **कृषि अनुसंधान:**

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अधीन इस जिले में फतेहपुर में कृषि अनुसंधान केन्द्र 29 फरवरी, 1984 की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की सहायता से स्थापित किया गया है।

जलवायु की स्थिति को देखते हुये यह केन्द्र जोन द्वितीय में आता है। इस जोन में कृषि अनुसंधान कार्य की आवश्यकता को देखते हुये जिला सीकर झुंझुनू नागौर व चूरू का कुछ क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। अनुसंधान के मुख्य लक्ष्य निम्न हैः—

- (1) जोन के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की शल्य क्रियाओं को उन्नत करना।
- (2) बाजरा एवं मोठ की विभिन्न किस्मों का विकास करना।
- (3) असिंचित क्षेत्र में अधिक उपज लेना।
- (4) शस्य वानिकों को उन्नत तरीके से बढ़ावा देना।

### मानव संसाधन:

सीकर जिले में वर्ष 2001 में शहरी जनसंख्या 472538 थी एवं वृद्धि दर 24.14 प्रतिशत रही। जबकि वर्ष 2011 की शहरी जनसंख्या 633906 है एवं कुल वृद्धि दर 17.03 प्रतिशत रही। वर्ष 2001 में प्रतिहजार प्रति वर्ग कि.मी. 295 थी तथा 2011 में बढ़कर 346 प्रतिहजार प्रतिवर्ग कि.मी. हो गई। इसी प्रकार जिले में ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता दर 2001 में 70.50 प्रतिशत तथा 2011 में बढ़कर 71.91 प्रतिशत हो गई।

वर्ष	जिले में कुल जनसंख्या	जनसंख्या शहरी			जनसंख्या ग्रामीण		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1991	1842914	201462	186059	387521	745770	709623	1455393
2001	2287788	245558	226980	472538	927195	888055	1815250
2011	2677333	327521	306385	633906	1047469	995958	2043427

वर्ष		वृद्धि दर प्रतिशत	घनत्व प्रतिहजार प्रतिवर्ग किमी	लिंगानुपात एकहजार पुरुषों के अनुसार महिला		
1991		33.81	238	946		
2001		24.14	295	951		
2011		17.03	346	947		
जनसंख्या			आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार जनसंख्या			
वर्ष	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पुरुष	स्त्री	योग	
1991	258102	48887	398994	16990	415984	
2001	339824	62512	462094	165298	627392	
2011	418806	75349	657854	348650	1006504	

साक्षरता दर प्रतिशत			
1991	पुरुष	स्त्री	योग
ग्रामीण	42.14	11.15	39.03
नगरीय	73.25	31.75	55.40
योग:	64.13	19.88	42.49
2001	पुरुष	स्त्री	योग
ग्रामीण	84.10	55.30	69.90
नगरीय	85.20	59.30	72.70
योग:	84.30	56.10	70.50
2011			
ग्रामीण	84.89	56.35	70.84
नगरीय	85.81	64.32	75.36
योग:	85.11	58.23	71.91

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष एवं स्त्री दोनों ही वर्ग में साक्षरता दर में बहुत अच्छी प्रगति हुई है।

#### सीकर जिले की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या में स्त्री-पुरुष अनुपात वर्ष 2011

तहसील	स्त्री-पुरुष अनुपात	नगरपालिका	स्त्री-पुरुष अनुपात
फतेहपुर	947	रामगढ़	936
लक्ष्मणगढ़	979	फतेहपुर	945
नीमकाथाना	909	लक्ष्मणगढ़	950
श्रीमाधोपुर	936	सीकर	927
दांतारामगढ़	960	नीमकाथाना	908
सीकर	944	खण्डेला	841
—	—	श्रीमाधोपुर	867
—	—	रींगस	1085
—	—	लोसल	1009

इस प्रकार तालिका से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में फतेहपुर एवं शहरी क्षेत्र में लोसल में प्रति हजार पुरुष पर सर्वाधिक महिलाएं हैं।

क्र.सं.	तहसील / नगर पालिका	कुल जनसंख्या		
		पुरुष	स्त्री	योग
{अ}	ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 2011:			
1	नीमकाथाना	209522	190389	399911
2	श्रीमाधोपुर	301263	282065	583328
3	दांतारामगढ़	215990	207324	423314
4	सीकर	331417	312769	644186
5	लक्ष्मणगढ़	162159	158797	320956
6	फतेहपुर	154639	150999	305638
योग:-		1374990	1302343	2677333

इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या तहसील सीकर एवं सबसे कम फतेहपुर में है।

क्र. सं.	तहसील / नगर पालिका	कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार		
		पुरुष	स्त्री	योग
{ब}	शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 2011			
1	नगरपालिका नीमकाथाना	22303	20271	42574
2	नगरपालिका खण्डेला	14783	14261	29044
3	नगरपालिका रींगस	13696	12443	26139
4	नगरपालिका श्रीमाधोपुर	16499	14867	31366
5	नगरपालिका लोसल	14185	14319	28504

6	नगरपालिका सीकर	126837	117660	244497
7	नगरपालिका लक्ष्मणगढ़	27369	26023	53392
8	नगरपालिका फतेहपुर	47601	44994	92595
9	नगरपालिका रामगढ़ शेखावाटी	17050	15974	33024
योग:-		300323	280812	581135

इस प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या नगर परिषद सीकर में सबसे कम नगरपालिका रींगस में है।

#### अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार

तहसील	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
नीमकाथाना	26322	23630	49952	13339	12009	25348
श्रीमाधोपुर	34187	31433	65620	10784	10176	20960
दांतारामगढ़	35633	33458	69091	5487	5127	10614
सीकर	37063	35026	72089	3329	3162	6491
लक्ष्मणगढ़	25138	24149	49287	1330	1301	2631
फतेहपुर	16979	16506	33485	406	379	785
योग:-	175322	164202	339524	34675	32154	66829

इस प्रकार तालिका से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या तहसील सीकर में एवं सबसे कम जनसंख्या तहसील फतेहपुर में है तथा अनुसूचित

जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या तहसील नीमकाथाना व सबसे कम तहसील फतेहपुर में है।

#### जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र की अनुजाति/अनुजनजाति की जनसंख्या

शहर	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
नीमकाथाना	4028	3685	7713	1039	974	2013
खण्डेला	2187	1954	4141	25	14	39
रींगस	1718	1572	3290	344	309	653
श्रीमाधोपुर	2798	2472	5270	396	355	751
लोसल	2145	2152	4297	7	9	16
सीकर	12340	11269	23609	1184	1041	2225
लक्ष्मणगढ़	4014	3738	7752	81	96	177
फतेहपुर	4442	4191	8633	174	169	343
रामगढ़	2643	2400	5043	127	99	226
योग:-	36315	33433	69748	3377	3066	6443

इस प्रकार तालिका से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की संख्या नगर परिषद सीकर में है लेकिन कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत श्रीमाधोपुर में सबसे अधिक है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की संख्या नगरपालिका नीमकाथाना में सबसे अधिक है।

## जल सम्पदा :-

जिले में कोई भी नदी बारहमासी बहने वाली नहीं है फिर भी 6 नदियां इस जिले के क्षेत्र में बहती हैं, जिनमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल प्रवाह होता है। ये नदियां रानोली, शेखावाटी (काटली) दोहद, मेड़ा, साबी, कृष्णावती के नाम से पुकारी जाती हैं। जिले में इन नदियों का नाप लेने के लिये मेड़ा एवं कासावती नदी (छाजा की नांगल) में नियमित गेज साईट लगाये गये हैं।

### काटली:

रामुपरा तिवाड़ी की ढाणी (खण्डेला पंचायत समिति) से मुख्य रूप से निकलती है। इसकी अन्य शाखाएं गांवड़ी की पहाड़ियों (नीमकाथाना पंचायत समिति) समेत लुहारा और कांवट गांवों के पास से कांवट नदी निकलकर गुहाला के पास काटली से मिलती है। काटली सीकर क्षेत्र में 25 कि.मी. बहती है और 90 कि.मी. झुंझनूं क्षेत्र में बहती है और बाद में चुरु क्षेत्र में दाखिल हो जाती है।

### मेड़ा:

श्रीमाधोपुर की पहाड़ियों से निकलती है और नागौर जिले में चली जाती है।

### दोहदः

नीमकाथाना पहाड़ियों से निकलकर उत्तर-पूर्व दिशा में बहती हुई झुंझनूं क्षेत्र में बहती हुई महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) चली जाती है।

उपरोक्त सभी नदिया अच्छी वर्षा होने की दशा में बहती हैं। इन तीनों मुख्य नदियों की लम्बाई जिला क्षेत्र में निम्नांकित हैं:-

नाम नदी	लम्बाई (कि.मी.)
1. काटली	लगभग 25
2. दोहद	लगभग 24
3. मांडा	लगभग 30

इस जिले में खरीफ एवं रबी दोनों ही फसलें होती हैं तथा खरीफ की फसल अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। फसलों की सिंचाई अधिकतर कुओं, नलकूपों द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक तकनीक में सिंचाई में स्प्रिंकलर सेट्स का उपयोग करने में यह जिला अग्रणी रहा है।

### बांधः—

जिले में 300 हैक्टर से अधिक के 6 बांध सिंचाई विभाग के पास एवं 300हैक्टर तक के 38 बांध पंचायती राज विभाग के पास हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

विभाग	बांध का नाम	तहसील	भराव क्षमता (एम. सीएफटी)	सी.सी.ए. (है०)	आई.सी.ए. (है०)
(क)जल संसाधन	1.हरिपुरा	सीकर	34.98	344.00	275.00
	2.फरासवाली	सीकर	37.84	345.00	183.00
	3.बामरडा	खण्डेला	36.72	337.00	270.00
	4.रायपुर	नीमकाथाना	324.00	2207.00	951.00
	5.राणासर	नीमकाथाना	155.90	1040.00	624.00
	6.भूदोली	नीमकाथाना	91.00	665.00	324.00
(ख)पंचायत राज के बांध					
ग्राम पंचायत	नाम बांध	तहसील	एफ.टी.एल.पर गहरा	भराव क्षमता 10लाखघनफूटमें	
रेटा	1.रेटा बांध	दातांरामगढ	15.00	28.20	
गोवटी	2.गोवटी	दातांरामगढ	6.25	11.37	
अभयपुरा(पिपराली)	3.नांगल	दातांरामगढ	6.25	37.80	
राजपुरा(पिपराली)	4.गुढा खुर्द	सीकर	3.50	11.45	
फतेहपुरा	5.मोजीपुरा	खण्डेला	14.00	35.60	
बासडी	6.नीमकी	खण्डेला	10.00	32.00	
काली खेडा	7.काली खेडा	खण्डेला	7.00	26.97	
हरदासकाबास	8.हरदासका बास	श्रीमाधोपुर	14.06	54.04	
डोकन	9.डोकन	नीमकाथाना	14.70	22.73	
घासीपुरा	10.अपर रेला	नीमकाथाना	17.00	26.00	
घासीपुरा	11.लोअर रेला	नीमकाथाना	19.00	42.43	
कोला की नांगल	12.कोला की नांगल	नीमकाथाना	18.00	15.80	
गांवडी	13.गांवडी	नीमकाथाना	9.00	23.00	
हीरावाला	14.दीपावास	नीमकाथाना	9.50	38.65	
श्यामपुरा बिहार	15.श्यामपुरा बिहार	नीमकाथाना	11.30	90.00	
चीपलाटा	16.सागर की मोरी	नीमकाथाना	18.00	14.40	
हीरावाला	17.हीरावाला	नीमकाथाना	14.00	12.50	
मावण्डा खुर्द	18.पीरान	नीमकाथाना	12.00	19.89	

जिलो	19.जिलों	नीमकाथाना	18.00	19.40
माकड़ी	20.माकड़ी	नीमकाथाना	12.00	40.03
बुर्जा की ढाणी	21.खिरोटी	नीमकाथाना	7.00	13.53
कोछोर	22.सर्वाईपुरा	दातांरामगढ	9.50	13.23
केरपुरा	23.कारोई	खण्डेला	2.28	24.38
चिपलाटा	24.चिपलाटा	नीमकाथाना	9.00	32.307
मियों की ढाणी	25.फतेहपुरा	नीमकाथाना	9.00	51.96
बारा	26.बारा	नीमकाथाना	16.00	15.44
न्योराणा	27.शिकारगढ	नीमकाथाना	11.50	10.57
बासडी	28.बासडी	श्रीमाधोपुर	5.40	19.00
रायपुर	29.रायपुर जागिर	नीमकाथाना	12.00	10.30
झालरा	30.झालरा	नीमकाथाना	9.50	9.302
सुरेरा	31.सुरेरा	नीमकाथाना	7.00	12.77
झूकिया	32.झूकिया	दातांरामगढ	5.75	10.20
हरदास काबास	33.हरदासकाबास1	श्रीमाधोपुर	10.00	18.37
जुराठडा(पिपराली)	34.हात्याज	सीकर	3.00	6.00
जुराठडा(पिपराली)	35.बराल	सीकर	5.00	8.23
कोछोर	36.लक्ष्मणपुरा	दातांरामगढ	4.00	9.18

**(ग) पंचायत राज के अन्य तालाब की सूची**

किशनपुरा(पिपराली)	1.किशनपुरा	दातांरामगढ	2.00मीटर	8.33
रामगढ	2.दौलतपुरा	दातांरामगढ	4.00 मीटर	3.06
लढाणा	3.बरसिहपुरा	दातांरामगढ	3.00 मीटर	7.27
काशीका बास	4.करनीसागर	धोद	8.25 मीटर	5.58
गणेश्वर	5.सालासालीएनिकट	नीमकाथाना	10.00 मीटर	3.18
बिडोली	6.मिश्रो का ढहर	सीकर	3.70 मीटर	5.07
पनिहारवास	7.सेवली	खण्डेला	10.00 मीटर	8.93
गनोडा	8.गनोडा	दातांरामगढ	3.00 मीटर	12.57
रलावता	9.जीणमाता	दातांरामगढ	3.00 मीटर	6.61
रघुनाथगढ(पिपराली)	10.रघुनाथगढ	सीकर	9.00 मीटर	0.075
चोखा का बास	11.चोखा का बास	धोद	8.00 मीटर	5.72
पनिहारवास	12.मोडेला	खण्डेला	14.00 मीटर	11.39
जुराठडा(पिपराली)	13.जुराठडा	सीकर	4.00 मीटर	1.23
मावण्डा कला	14.भुजा	नीमकाथाना	11.00 मीटर	2.04
श्यामगढ	15.रामसागर	श्रीमाधोपुर	3.50 मीटर	4.13
भारीजा	16.चुनियों ढाणी की	दातांरामगढ	3.00 मीटर	3.52
बिडोली	17.बिडोली	धोद	5.00 मीटर	0.46

कोछोर	18.मालियों की ढाणी	दातांरामगढ	2.50 मीटर	0.76
बानूडा	19.बानूडा	दातांरामगढ	2.50 मीटर	6.71
मन्डूसिया	20.मन्डूसिया	श्रीमाधोपुर	3.50 मीटर	5.69
सुरानी	21.सुरानी	खण्डेला	4.00 मीटर	3.61
देवीपुरा	22.देवीपुरा	खण्डेला	—	12.07
केरपुरा	23.बोडला	खण्डेला	—	6.18
कोछोर	24.कोछोर गाईड बाघ	दातांरामगढ	—	—
सुजावास(पिपराली)	25.शेरपुरा सुजावास	दातांरामगढ	—	—
रानोली(पिपराली)	26.रानोली	दातांरामगढ	—	—
गनोडा(पिपराली)	27.चोरघाटी	दातांरामगढ	3.00 मीटर	1.21
चला	28.ठिकरिया	नीमकाथाना	3.00 मीटर	6.89
गुरारा	29.जरखनाला	खण्डेला	3.00 मीटर	1.02
खण्डेला	30.खण्डेला	श्रीमाधोपुर	20.00 मीटर	—
राजपुरा(पिपराली)	31.हात्याज	सीकर	3.00 मीटर	6.00
चिपलाटा	32.सकराय एनिकट	नीमकाथाना	3.00 मीटर	3.00
सावलपुरा	33.मोटाला एनिकट	नीमकाथाना	2.00 मीटर	1.65
दरीबा	34.दरीबा	नीमकाथाना	3.00 मीटर	1.00
दरीबा	35.दरीबा बालाजी	नीमकाथाना	3.00 मीटर	1.45
	36.मोरीवाला	नीमकाथाना	2.50 मीटर	1.79
भगोगा	37.भगोट परकोलेशन टेंक	नीमकाथाना	2.50 मीटर	2.03
श्यामगढ	38.सामसागर ऐनिकट	श्रीमाधोपुर	2.50 मीटर	1.40
भगोगा	39.कुण्डला	नीमकाथाना	2.00 मीटर	1.89
झूगा की नांगल	40.झूगां की नांगल	नीमकाथाना	3.00 मीटर	1.00
	41.तेगाला एनिकट	नीमकाथाना	2.00 मीटर	1.13
लादी का बास	42.पिथल का जोहडा	नीमकाथाना	2.00 मीटर	2.00
श्यामगढ(पिपराली)	43.सकराय	सीकर	1.50 मीटर	1.50
भारीजा(पिपराली)	44.भारीजा	दातांरामगढ	2.50 मीटर	2.00
बासडी	45.सिलकीवाडा	खण्डेला	3.00 मीटर	3.00
पलथाना	46.नाडा फील्ड	श्रीमाधोपुर	3.00 मीटर	4.00
गुमानसिह की ढाणी	47.भीमसागर	श्रीमाधोपुर	2.00 मीटर	5.00
खोरा चैनपुरा	48.खोरा चैनपुरा	दातांरामगढ	5.00 मीटर	57.00
रामपुरा	49.चक खण्डेला	दातांरामगढ	—	7.00

रामपुरा	50.रामपुरा	खण्डेला	—	3.00
जुगराजपुरा	51.जुगराजपुरा	श्रीमाधोपुर	—	—
रामगढ़	52.रामगढगाईड बांध	दातांरामगढ़	—	—
गोवटी	53.गोवटी द्वितीय पं०टैक	दातांरामगढ़	2.50 मीटर	1.98
भारीजा	54.चक मटाई पं. टैक	दातांरामगढ़	3.00 मीटर	2.05
रामगढ़	55.कालाभाटा पं. टैक	दातांरामगढ़	1.50 मीटर	1.60
रामगढ़	56.अहिरों का बास पं.टैक	दातांरामगढ़	1.50 मीटर	1.40
	57.चौपटिया कुआ पं.टैक	दातांरामगढ़	2.00 मीटर	1.78
रेटा	58.रूपपुरा पं.टैक	दातांरामगढ़	2.00 मीटर	1.78
लढाना(पिपराली)	59.लढाना पं.टैक	दातांरामगढ़	3.00 मीटर	2.45
हर्ष(पिपराली)	60.देवगढ़ पं.टैक	सीकर	2.00 मीटर	1.70
सुरानी	61.सुरानी पं.टैक	खण्डेला	3.25 मीटर	2.70
महरोली	62.महरोली पं.टैक	श्रीमाधोपुर	2.50 मीटर	1.05
गुमानसिह की ढाणी	63.बोडला पं.टैक	खण्डेला	3.00	4.70

### पशु सम्पदा एवं डेयरी :

पशुधन एवं कुक्कुट वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार जिले की तहसीलवार संख्या निम्न प्रकार है:—

(संख्या हजारों में)

पशु	दांतारामगढ़	फतेहपुर	लक्ष्मणगढ़	नीमकाथाना	सीकर	श्रीमाधोपुर	योग
गाय	60951	25882	52893	17297	124503	49508	331034
भैंस	86897	24924	52731	105583	113994	169947	554076
भेड़	881	24795	37042	21492	48241	13832	146283
बकरी	166900	136425	152969	149041	251781	216273	1073389

घोड़ा एवं टद्दू	8	93	188	186	232	117	824
खच्चर	0	17	3	23	16	6	65
गदहा	37	385	184	244	216	98	1164
ऊंट	38	1684	1762	893	1965	743	7085
सुअर	253	37	278	1547	686	1325	4126
कुत्ते	19	655	1417	1620	3386	523	7620
खरगोष	47	34	14	136	185	24	440
हाथी	0	0	0	0	0	0	0
मुर्ग, मुर्गी	19440	2948	5391	61991	41899	170013	301682
<b>योग:-</b>	<b>335471</b>	<b>217879</b>	<b>304872</b>	<b>360053</b>	<b>587104</b>	<b>622409</b>	<b>2427788</b>

पशुधन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

पशु	1982	1992	1997	2003	2007
गाय / बैल	283891	219055	213995	195972	254614
भैंस / भैंसे	248392	327693	458756	507678	513102
भेड़े	416423	310690	306360	237225	319544
बकरियां	765948	30275	776884	879601	1142930
घोड़े / टद्दू	680	573	892	730	810
गधे / खच्चर	3881	2301	3115	2741	2057
ऊंट	37811	29291	27552	20538	15486
सुअर	3845	6035	9328	16649	8992

बतख / मुर्ग	21527	47451	21801	116625	97352
कुल पशुधन व कुकुट	1782698	1588058	1900827	1977759	2379728

19 वीं पंचवर्षीय पशुगणना 2012 के अनुसार ग्रामीण व शहरी पशु सम्पदा निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	पशु किस्म	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	गौवंश	315674	15360	331034
2.	भैसवंश	545632	8444	554076
3.	भेड़वंश	145112	1171	146283
4.	बकरीवंश	1008699	64690	1073389
5.	घोड़े	685	139	824
6.	खच्चर	41	24	65
7.	गधे	730	730	1164
8.	ऊंट	7006	79	7085
9.	सुअर	2924	1202	4126
10.	खरगोश	292	148	440
11.	कुत्ते	7230	390	7620
12.	कुकुट	294040	11793	518123

### पशु सहायता:

जिला सीकर में जिला मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन का कार्यालय है एवं वर्ष 2023–18 में पशुओं के लिए 94 चिकित्सालय, 176 पशु विकास उप-केन्द्र तथा बहुदेशीय पशु चिकित्सालय एक है फिर भी राजस्थान में अकाल की संभावना को देखते हुये उपरोक्त

संख्या में बढ़ोतरी आवश्यक है। पशुओं की अकाल मौत का सिलसिला रोकने के लिए अन्य योजनाएं और चलायी जाने की आवश्यकता है।

क्र.सं.	विवरण	2023–18
1.	बहुदेशीय पशु चिकित्सालय	1
2.	जिला रोग निदान प्रयोगशाला	1
3.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	31
4.	पशु चिकित्सालय	94
5.	पशुधन विकास उप-केन्द्र	176
6.	पशु औषधलाय	10
7.	जिला स्तरीय सर्जिकल मोबाईल इकाई	01
8.	तहसील स्तरीय चल पशु चिकित्सा इकाई	09

### भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर (सीकर):—

राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर स्थित वृहद् स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म में भेड़ व ऊन विकास की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। यहाँ भेड़ों में संकर प्रजनन का सघन कार्य किया जा रहा है ताकि भेड़ पालकों के आर्थिक लाभ का मार्ग अधिकाधिक प्रशस्त हो सके। इस फार्म की स्थापना रूसी “मेरिनो” विदेशी नस्ल के मेढ़ों का विकास करने तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को संकर प्रजनन के लिए विदेशी मेढ़े उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 1973–74 में की गई थी।

फतेहपुर फार्म पर रूस आयातित रूसियन “मेरिनो” नस्ल की भेड़ों का इसी नस्ल के मेढ़ों से गर्भित कराकर मेरीनों नस्ल के मेमनों को रूसियन मेरीनों नस्ल के मेढ़ों से गर्भित इन्टरब्राइंग कराकर 50 प्रतिशत विदेशी रक्तवाली संकर संतती प्राप्त की जाती है।

## डेयरी :

वर्ष 1983 में दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ का रजिस्ट्रीकरण किया गया। इसकी स्थापना दुग्ध उत्पादकों को सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु बिचौलियों को हटाकर और पशुपालन प्रक्रिया सुधार द्वारा की गई। सीकर के पलसाना कस्बे में सीकर एण्ड झुंझुंनू जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय है। इस संघ द्वारा तीन मिल्क रूट्स का सर्वे करके इस रूट्स पर से दुग्ध इकट्ठा किया हुआ दुग्ध राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन शाखा जयपुर के प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दिया जाता है। इस समय इस संघ द्वारा सीकर में दुग्ध लोकल मार्केट में नहीं बेचा जाता है। लोकल सेल की जिम्मेदारी राज्य डेयरी फैडरेशन की शाखा जयपुर की है। सीकर में अन्य पोटेन्शल रूट्स का सर्वे किया जा सकता है। दुग्ध संकलन विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2019–20
1.	पंजिकृत दुग्ध उत्पादक सह. समितियां	संख्या	579
2.	कुल कार्यशील प्रस्तावित समितियां	संख्या	150
3.	कार्यशील दुग्ध उत्पादक सह.समितियां	संख्या	240
4.	सदस्यता	संख्या	33209
5.	कुल दुग्ध संकलन	(लाख लीटर)	271.18
6.	औसत दुग्ध संकलन	प्रतिदिन कि.ग्रा.	742.96
7.	दुग्ध संकलन केन्द्र	संख्या	150
8.	महिला दुग्ध समितियां	संख्या	189
9.	दुग्ध अवशीतन केन्द्र	संख्या	01
10.	दुग्ध संयत्र	संख्या	01
11.	पशु आहार वितरण	मै0 टन	2427.65
12.	औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय	लीटर प्रतिदिन	57678

13.	यू.एम.बी. बिक्री	संख्या	320
14.	मिनरल मिक्चर बिक्री	मैटन	2.61
15.	कुल धी बिक्री	मैटन	724.78
16.	दुग्ध उत्पादकों को भुगतान	लाख रुपये	7926.88
17.	औसत दुग्ध खरीद मूल्य	रुपये	29.23

### खनिज सम्पदा:-

राज्य सरकार द्वारा खनिज सम्पदा के दोहन एवं विकास हेतु जुलाई 1992 में नीमकाथाना में खनि अभियन्ता कार्यालय का सृजन किया गया। इससे पूर्व यह कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता स्तर पर संचालित था। वर्तमान में खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर मुख्यालय पर कार्यरत है। कार्यालय का मुख्य कार्य यह है कि क्षेत्र में खनिज सम्पदा के खनन एवं विकास हेतु चाहने वाले आवेदकों को खनन पट्टे आवंटित किया जाना एवं उनसे उनके द्वारा उत्पादित खनिज पर रॉयल्टी के रूप में राजस्व की वसूली कर राजकोष में जमा करवाना।

इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में जिला सीकर एवं झुंझुनूं का पूर्ण क्षेत्र आता है। जिला सीकर में प्रमुख रूपसे प्रधान खनिज के अन्तर्गत चूना पत्थर, पाईराइट्स, आयरन और डोलोमाईट क्वार्टज सिलिका, फैल्सपार कैल्साइट आदि एवं प्रधान खनिज के अन्तर्गत चूना पत्थर, मारबल, ग्रेनाइट, चिकनी मिट्टी (स्पेशल प्रयोजनार्थ) मेसेनरी स्टोन आदि पाये जाते हैं। जिले में खनन पट्टे जारी करने तथा अवैध खनन कार्य को रोकने हेतु खनि अभियंता, सीकर एवं सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना कार्यालय स्थापित है। वर्ष 2016–17 में जिला सीकर के अन्तर्गत पट्टेधारियों द्वारा विभिन्न प्रमुख खनिजों का उत्पादन निम्न प्रकार हैः—

(उत्पादन टनों में)

क्र.सं.	खनिज का नाम	पट्टों की संख्या	2019–20
{अ}	प्रधान खनिजः		
1.	चूना पत्थर	3	—
2.	आयरन ओर	3	—

3.	कैल्साईकट	9	270
4.	डोलोमाईट	1	—
5.	वर्टेज — फैल्सपार— सिलिका सेण्ड	103	658999
6.	सोपस्टोन	2	—
7.	रेड ऑकर	2	6481
8.	चाईनाक्ले	1	—
{ब}	अप्रधान खनिजः		
1.	चूना पत्थर	02	1392
2.	मार्बल	24	99040
3.	ग्रेनाईट	02	—
4.	चिकनी मिट्टी (स्पेशल प्रयोजनार्थ)	02	—
5.	मेसेनरी स्टोन (बिल्डिंग स्टोन)	476	1205456
6.	वर्टजाइट	31	11984

### वन सम्पदः

सीकर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7732 वर्ग किमी. है। जिसमें से 637.68 वर्ग किमी. क्षेत्र घोषित वन क्षेत्र है जो कुल क्षेत्र का मात्र आठ प्रतिशत है। उक्त क्षेत्र में से चौथाई क्षेत्र ही वनस्पति युक्त है। शेष वन क्षेत्र प्रायः खुला अर्थात् नग्नावस्था में है। अधिकांश क्षेत्र अरावली पर्वत श्रंखला तथा शेष धास आदि के बीड समतल क्षेत्रों में है। प्राकृतिक जंगलों में धोक व कुमठा का परिभ्रांषित स्टॉक तथा उपरी पहाड़ी क्षेत्रों में गुग्गल, सालर, कडाया आदि के पौधे बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान व उसका 2/3 भाग मरु स्थलीय क्षेत्र है। जलवायु की असमानता गर्मी में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में न्यूनतम तापमान शून्य इस जिले की प्रमुख विशेषताएँ हैं। भारत सरकार द्वारा ऐसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना मरुस्थल विकास योजना स्वीकृत कर सन् 1978 में सीकर वन मण्डल का सृजन किया गया।

## सीकर जिले में वानिकी प्रशासन :

सीकर जिले में वानिकी विकास एवं प्रबन्धन हेतु वृत स्तर का कार्यालय है जिसमें सीकर चूरु झुझुनूँ एवं नागौर जिले सम्मिलित हैं। वृत कार्यालय में भारतीय वन सेवा स्तर के अधिकारी वन संरक्षक का पद सूजित है। जिले में वानिकी प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु मरुस्थल वनारोपण एवं चारागाह विकास वन मण्डल सीकर का प्रादेशिक वन मण्डल है। इस वन मण्डल के अन्तर्गत जिले में वन भूमि एवं वनों की सुरक्षा तथा संरक्षण के साथ वानिकी विकास व प्रशासन की समस्त गतिविधियां निहित हैं।

मरुस्थल वनारोपण एवं चारागाह विकास वन मण्डल सीकर के अधीन निम्न लिखित 7 रेन्जों का गठन किया गया है जिनका प्रादेशिक क्षेत्र उनके समक्ष अंकित विकास खण्डों की सीमा तक विस्तृत है।

क्रम संख्या	नाम रेंज	नाम विकास खण्ड
1	सीकर	धोद, पिपराली
2	फतेहपुर	फतेहपुर
3	दांता	दांतारामगढ
4	श्रीमाधोपुर	खण्डला, श्रीमाधोपुर
5	पाटन	नीमकाथाना
6	नीमकाथाना	नीमकाथाना
7	लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ

## सीकर जिले में वनों की वैधानिक स्थिति :

सीकर जिले में वन मण्डल सीकर के अन्तर्गत 63768.40 हैक्टेयर घोषित वन क्षेत्र है जो जिले के कुल क्षेत्र का 8.24 प्रतिशत है। सीकर वन मण्डल का वन क्षेत्र प्रबन्ध व सुरक्षा के दृष्टिकोण से 95 वन खण्डों में विभक्त है। कुल घोषित वन क्षेत्र में से 992.44 हैक्टेयर अर्थात् मात्र 1.55 प्रतिशत वन क्षेत्र आरक्षित है तथा शेष 62775.96 हैक्टेयर अर्थात् 98.45 रक्षित वन क्षेत्र है।

क्र.सं.	वर्गीकरण	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1.	आरक्षित	9.92
2.	संरक्षित	620.73

3.	अवर्गीकृत	7.03
	योग:-	637.68

रेंजवार वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम रेंज	वन खण्डों की संख्या	वन क्षेत्र (हैक्ट.)	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1	फतेहपुर	23	5464.37	8.57
2	दांता	11	4949.40	7.76
3	सीकर	21	12100.30	18.97
4	श्रीमाधोपुर	9	7277.15	11.41
5	नीमकाथाना	8	18538.00	29.07
6	पाटन	13	14415.10	22.62
7	लक्ष्मणगढ़	10	1024.08	1.60
योग:-		95	63768.40	100.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिले का आधे से अधिक अर्थात् 51.68 प्रतिशत वन क्षेत्र तहसील नीमकाथाना में स्थित है। सीकर जिला मुख्यालय पर स्मृति वन पर्यटन के रूप में चयन कर विकसित किया जा रहा है।

#### पर्यटन :

जिले में पर्यटन की दृष्टि से सीकर से लगभग 11 कि.मी. दूर हर्षनाथ की पहाड़ियों में भगवान शिव का एक हजार वर्ष पूर्व का प्राचीन मन्दिर है। यह ऐतिहासिक एवं वास्तुकला की दृष्टि से दर्शनीय है। जीणमाता का प्रसिद्ध मन्दिर सीकर से लगभग 29 कि.मी. पर स्थित है। यहाँ पर चेत्र एवं आश्विन के महिनों में पड़ने वाले नवरात्रों में मेला लगता है। सीकर नगर से 60 कि.मी. की दूरी पर सकराय में शाकम्भरी माता का मन्दिर है जो तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह अत्यन्त रमणीक स्थल है। नीमकाथाना से 15 कि.मी. की दूरी पर गणेश्वर धार्मिक स्थल है जो गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। दांतारामगढ़ से 48 कि.मी. दूर तथा सीकर से 70 कि.मी. (रींगस होते हुये) ग्राम खाटू में भगवान श्याम का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष होली से 5—7 दिन पूर्व बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें

लाखों दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ का श्यामकुण्ड भी दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थलों पर अन्य दिनों में भी दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ शेखावाटी एवं फतेहपुर की हवेलियां भी पर्यटन के लिये आकर्षण का केन्द्र बिन्दू हैं।

### परिवहन

#### **अ. सड़क :—**

जिला होने के कारण सड़कों की स्थिति काफी विकसित है। जिले से 03 (एन.एच. 11 आगरा – जयपुर – सीकर – बीकानेर, इसके अलावा 02 राजमार्ग (जयपुर – चौमू – सामौद – नीमकाथाना भी गुजरते हैं। दोनों ही राजमार्ग पैटेंड हैं, तथा सारे वर्ष मोटे वाहन चलाने योग्य हैं। जिले की अन्य मुख्य सड़के करीब – करीब राजमार्गों के समान स्तर की ही हैं और महत्वपूर्ण विपणन केन्द्रों को जोड़ती हैं।

जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 250 की आबादी वाले ग्राम एवं ढाणीयों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

#### **ब. रेल :—**

सीकर से लुहारू – दिल्ली एवं चुरू, सीकर से जयपुर ब्रोडगेज से रेल सेवा संचालित है जिले में नीमकाथाना – रींगस – फूलेरा मार्ग ब्रोडगेज रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा फेटकोरीडोर निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

#### **स. संचार :—**

जिला होने के कारण मुख्य डाक घर पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय स्थित है। जिले के मुख्यालय पर स्थित स्तरीय डाक विभाग के कार्यालयों के अतिरिक्त डाक, टेलीफोन केन्द्र एवं सार्वजनिक सन्देश कार्यालय स्थित हैं जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक सन्देश कार्यालय, पी. सी. ओ., एस. टी. डी. (राजकीय एवं निजी) तथा अन्य डाक एवं तार सुविधाओं में वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण जिले में मोबाइल एवं इन्टरनेट सेवायें उपलब्ध

है। इसके अतिरिक्त जिले में विभिन्न निजी स्तर पर कोरियर सेवाएं कार्यरत हैं तथा जिले में सन्देश वाहक के क्षेत्र में निजी संस्थाएं भी काफी संख्या में कार्यरत हैं।

### ऊर्जा:-

जिले में 400 केबी०ग्रीड सबस्टेशन बढाड़र में स्थित हैं तथा जिले में विकास एवम् उत्थान के लिये विद्युत तंत्र एवम् प्रर्याप्त विद्युत की उपलब्धता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

#### NAME OF 220 & 132 KV GRID SUB STATION IN SIKAR CIRCLE

S.No.	NAME OF 220/132 KV SUB GRID STATION
1	2
1	<b>220 Dhod</b>
2	<b>220 Laxmangarh</b>
3	<b>220 Reengus</b>
4	<b>220 Sikar</b>
5	<b>220 Dantaramgarh</b>
6	<b>Khachariyawas</b>
7	<b>Khatushyamji</b>
8	<b>Fatehpur</b>
9	<b>Kachhawa</b>
10	<b>Antroli</b>
11	<b>Neemkathana</b>
12	<b>Thoi</b>
13	<b>Patan</b>
14	<b>Khandela Mod</b>
15	<b>Ajeetgarh</b>
16	<b>RIICO Reengus</b>
17	<b>Srimadhopur</b>
18	<b>Khood</b>
19	<b>Losal</b>
20	<b>Kudan</b>
21	<b>Piprali</b>
22	<b>Ranoli</b>
23	<b>Sanwalpura Tanwran</b>

## अध्याय 04

# आपदा प्रबन्धन योजना तैयारी की रणनीति

## आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्ययोजना

क्र.सं.	क्या करना है ?	कौन-कौन शामिल होगा ?	कार्य कैसे किया जाये ?
1	आंकलन एवं विश्लेषण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, अतिरिक्त कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि., जल संसाधन, पीएचईडी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, उपचण्ड अधिकारी, तहसीलदार, इनजीओ, वार्ड/पंचायत प्रतिनिधि	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं के इतिहास का आंकलन एवं विश्लेषण एवं चर्चा।</li> <li>➤ नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकार्ड।</li> <li>➤ पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति।</li> <li>➤ आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आकलन एवं समन्वय</li> </ul>
2	परिस्थिति का विश्लेषण	उपरोक्त	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना।</li> <li>➤ डेमोग्राफी/मानव के रहन सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना।</li> <li>➤ हेविटेशन पैटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना।</li> <li>➤ प्राकृतिक सम्पदा को नक्शा पर दर्शाना।</li> <li>➤ सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पत्ति की सूची तैयार करना।</li> <li>➤ सुरक्षित संसाधन/संभावित नुकसान, सड़क, रेल, हवाई अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना।</li> </ul>
3	खतरे का विश्लेषण	उपरोक्त	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पूर्व अनुभव के आधार पर एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहाँ मानव जीवन को खतरा, जीविकोपार्जन एवं सम्पत्ति के नुकसान की संभावना है।</li> </ul>

4	संवेदनशीलता का विश्लेषण	उपकरोक्त	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ संवेदनशील जगहों एवं कारकों का अलग—अलग सूची तैयार कर नक्शा तैयार करना।</li> <li>➤ संवेदनशील व्यवित जैसे बुजुर्ग, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं विधवा महिलाएं, परिवार जो जर्जर एवं कमजोर मकानों में रहते हैं, का चिन्हीकरण एवं सूची बनाना।</li> <li>➤ सम्पति एवं पशुधन को चिन्हिकरण कर चारे का उचित प्रबन्धन, सभी कमजोर मकान एवं सुविधा एवं साधन का सूची तैयार करना।</li> <li>➤ बांध, जल भराव क्षेत्र के कमजोर बिन्दुओं, ऑवरब्रिज पुल, ग्रिड एवं पावर हाउस, नहरी क्षेत्र, पानी की टंकी, जल प्रयोजना, पानी जमाव के निचले क्षेत्र, संभावित अग्नि खतरा क्षेत्र, ऊँची इमारतें एवं अन्य संवदेनशील स्थानों का चिन्हिकरण कर सूची बनाना।</li> <li>➤ जल बहाव क्षेत्र का चिन्हीकरण।</li> </ul>
5	मौका / अवसर का विश्लेषण	उपरोक्त	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ मौजूदा संसाधन का चिन्हिकरण जो लोगों के जीवन एवं सम्पति के नुकसान को कम कर सके।</li> <li>➤ ऊँचे प्लेटफार्म, खुली जगह, हाइड्रेन्ट पॉइंट, जल भण्डारण, सुरक्षित घर एवं राहत सामग्री व शिविरों के लिए उचित स्थानों का चिन्हिकरण।</li> <li>➤ आश्रय स्थल के लिए जगह का चिन्हिकरण।</li> <li>➤ मौजूदा स्वारक्ष्य सुविधा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का चिन्हिकरण।</li> <li>➤ सुरक्षित आपात निकासी का चिन्हिकरण।</li> <li>➤ आपात प्रबन्धन की तैयारी के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था एवं स्त्रोत की पहचान।</li> </ul>

## खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विष्लेषण (एचवीआरए)

### खतरा का वर्गीकरण

उच्च स्तरीय समिति, भारत सरकार ने खतरे को निम्न भागों में विभाजित किया है :—

क्र.सं.	सम्बन्धित आपदा	चिह्नित आपदा
1	जल एवं जलवायु सम्बन्धित	1. बाढ़ एवं ड्रेनेज क्षति 2. तुफान 3. चक्रवात एवं हरिकेन 4. औलावृष्टि 5. बादल का फटना 6. बर्फबारी 7. लू एवं शीतलहर 8. बिजली का गिरना 9. समुद्र का कटना 10. सुखा
2	भूगर्भीय सम्बन्धित	11. भूकम्प 12. भूस्खलन 13. बाध का टूटना एवं बांध का नुकसान 14. खदान दुर्घटना
3	रसायनिक, आद्यौगिक, न्यूकिलयर सम्बन्धित	15. रसायनिक एवं औद्यौगिक दुर्घटना 16. रेडियोलॉजी आपात स्थिति एवं न्यूकिलयर आपदा
4	दुर्घटना सम्बन्धित	17. सड़क, रेल, जलपोत एवं अन्य परिवहन दुर्घटना 18. खदान बाढ़ 19. बड़े मकान गिरना 20. सीरियल बम बलास्ट 21. उत्सव के दौरान दुर्घटना 22. शहरी आग दुर्घटना 23. तेल बहाव 24. ग्रामीण आग दुर्घटना 25. नाव छूबना 26. जंगल की आग 27. बिजली दुर्घटना एवं आग


5	बायोलॉजीकल सम्बन्धित	28. महामारी एवं रोगों का फैलना 29. विषाक्त भोजन 30. पशु महामारी 31. किटाणु छिड़काव
---	----------------------	--

## अध्याय 05

# राजस्थान राज्य के खतरे की रूपरेखा


राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। बार—बार प्राकृतिक आपदा से राज्य में मानव, पेड़ पौधे, पशु धन, पर्यावरण एवं सम्पत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव होता रहा है। राजस्थान के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाएँ सुखा, बाढ़, अग्नि, औलावृष्टि आदि हजारों करोड़ों रूपयों का नुकसान होता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या न्यूनीकरण करने के लिए सरकारी एवं समुदाय के स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, फिर भी आपदाओं की भयावकता, आपातकालीन स्थित, संसाधनों की कमी एवं संवेदनशीलता आपदा के प्ररिणामों को गतिशील करता जा रहा है। जिससे नुकनान का आंकड़ा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

सामुहिक प्रयास एवं क्षमता संवर्धन को विकास कार्यक्रम से जोड़ना अति आवश्यक है। प्रभावशाली आपातकालीन तैयारी से लोगों के जीवन, पर्यावरण एवं संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है।



## 5.1 आपदा प्रबन्धन चक्र

आपदा प्रबन्धन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत कार्य करता है, एवं विकास की गति को बनाये रखता है। आपदा के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया, बचाव, राहत, पुनर्वास के तरीकों को संचालित एवं प्रबन्धन करता है ताकि नुकसान को अधिक से अधिक कम कर सके, और प्रभावित न हो। यह एक सटीक आपदा प्रबन्धन योजना को निर्देशित करता है।




## 5.2 सुखा

सुखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका परिणाम धीरे-धीरे एवं लम्बे समय तक रहता है। कम वर्षा एवं बेरुखी मौसम के रथभाव से राजस्थान सुखा के मामले में अधिक संवेदनशील रहा है। राजस्थान का कोई न कोई जिला प्रत्येक 3 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 8 वर्ष में सुखा के चपेटे में रहने का इतिहास है। सुखे से जमीन की नमी समाप्त हो जाती है, जिससे प्रत्येक रूप से भोजन उत्पादन एवं आर्थिक स्वंदनशीलता पर प्रभाव पड़ता है। सुखे का प्रभाव बड़े क्षेत्रफल पर होता है, और विपरीत परिणाम भूकम्प और बाढ़ से अधिक होता है। सुखा का प्रबन्धन अधिक कठिन है। कुपोषण एवं महामारी सुखे का सीधा परिणाम होता है। सीकर जिले में सम्भवत 2055, 2056, 2057 एवं 2059 में भीषण सुखे की स्थिति रही है तथा इसके बाद सुखे का प्रभाव न्यूनतम रहा है।

राज्य सुखा मॉनिटरिंग सेल (एसडीएमसी), कृषि, पशु विभाग, जल संसाधन विभाग एवं राष्ट्रीय फसल पुर्वाग्रह केन्द्र (एनसीएफसी) के सहयोग से फसल के नुकसान, फसल पैदावार, पानी के संसाधन की कमी, पशुधन चारा पर प्रभाव, जंगलों एवं पेड़ पौधों पर सुखा पर प्रभाव, जमीन की गुणवत्ता का आंकलन, मानव के जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रभावी कार्ययोजना बनाते हैं।

### राजस्थान सूखा प्रभावित क्षेत्र नक्शा



### 5.3 बाढ़

राजस्थान का कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। पिछला इतिहास देखें तो राज्य का अधिकतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लूपी एवं चम्बल नदी के आस-पास के बेसिन क्षेत्र में रहा है। राज्य में कुल 13 नदी के स्त्रोत/बेसिन हैं। जैसे शेखावाटी, रुपरेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, साबी, बनास, चम्बल, माही, साबरमती, लूपी, पश्चिमी बनास एवं सुखली। जिसमें से लूपी, बनास एवं चम्बल बेसिन सबसे बड़ा है, एवं कई छोटे-छोटे बेसिन में बंटा हुआ है, इन नदियों में लूपी नदी अजमेर, बाढ़मेर, जालौर और जोधपुर से होकर बहती है। इसमें सब बेसिन का


स्त्रोत मूँद हेमावास, सुखड़ी, जवाय एवं बेंदी का स्त्रोत पाली, जालौर, सिरोही है। इसी प्रकार बनास नदी का बेसिन उदयपुर एवं बुंदी में होकर जाता है, एवं इसका सबबेसिन बैराज, मोरेल, एवं मासी चित्तौड़गढ़, एवं जयपुर जिले से गुजरता है। चम्बल का स्त्रोत राज्य में सबसे अधिक है, इसके बस बेसिन काली सिंध एवं पार्वती, बुन्दी, कोटा, झालावाड़ एवं बांरा से गुजरती है। भरतपुर जिले का अधिक भाग बाणगंगा के बेसिन में आता है, एवं घग्घर नदी गंगानगर जिले को सबसे बाढ़ प्रभावित करने का इतिहास रहा है।

### **क्षेत्र में बाढ़ के मुख्य कारक**

1. केचमेंट क्षेत्र में अधिक वर्षा।
2. अचानक अधिक मात्रा में बांध एवं जल संग्रहण क्षेत्र से पानी को छोड़ना।
3. बड़े जल संग्रहण क्षेत्र/बांध का टूटना या क्षतिग्रस्त होना।
4. कम जल संग्रहण क्षमता।

### **शहरी बाढ़**

शहरी बाढ़ एक मानवीकृत आपदा है, अव्यवस्थित एवं बढ़ती शहरी आबादी अचानक बाढ़ या शहरी बाढ़ के मुख्य कारक है। ड्रेनेज का नहीं होना, वर्षा जल के स्वाभाविक बहाव में रुकावट एवं जल का जमाव होना, निचले क्षेत्रों में आबादी का बढ़ना शहरी बाढ़ को दिनोंदिन गतिशील कर रहा है। जिसके कारण, महामारी एवं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अचानक आई बाढ़ से लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाना, अधिक पानी के बहाव से कमजोर मकानों का गिरना एवं संसाधन की कमी, स्थानीय प्रशासन के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 1981 एवं 2002 में जयपुर शहर में आयी अचानक बाढ़ से जयपुर शहर को भारी नुकसान हुआ था।



## 5.4 भूकम्प


भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिंग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्य को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उदगम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उदगम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम् भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

#### भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी



Source: IS 1893 (Part 1) : 2002 (BIS)

## भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलॉजी प्रमोसन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

- 1) क्षेत्र V – इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
- 2) क्षेत्र IV :— इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- 3) क्षेत्र III :— इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
- 4) क्षेत्र II— क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- 5) क्षेत्र I :— इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर परिणाम	मापक	संभावित प्रभावित क्षेत्र
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0		
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5		
साधारण एवं आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं। चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं के कम्पन	4–4.8		गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चितौड़गढ़, झालावाड़, बांरा, कोटा, बुंदी, सवाई माधोपुर, करोली, धोलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर के कुछ भाग, उदयपुर, झुन्झुनू सीकर एवं जयपुर
अतिप्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं। दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5–5.9		उदयपुर के कुछ भाग, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बिकानेर, झुन्झुनू सीकर के कुछ भाग, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर।
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2		
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2–6.9		बाड़मेर के कुछ भाग (चोहटन ब्लॉक), जालौर (सांचोर ब्लॉक), अलवर (तिजारा ब्लॉक) एवं भरतपुर (ब्लॉक नगर पहाड़ी)
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती हैं। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3		
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती हैं। महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1		
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक		

## अध्याय 06

# सीकर जिला की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वस्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

## 6.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने जिन आपदाओं को चिह्नित किया है उन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया गया है।

- **जलवायु सम्बन्धित** – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** – रसायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** – महामारी, टिड़डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया। जिले में संभावित 10 आपदाएं चिह्नित की गयी। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। छः मुख्य विपदाएं निम्न हैं

1. सूखा
2. आग
3. दुर्घटनाएं
4. साम्प्रदायिक दंगे
5. भूकम्प
6. बाढ़

इसके अलावा अन्य 5 विपदाएं ओलावृष्टि, खुले बोरवेल की दुर्घटनाएं, औद्योगिक विपदाएं, ताप (लू), शीतघात इत्यादि हैं।

## 6.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

### (1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ

(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

जिला भूकम्प के दृष्टिकोण से लो डेमेज रिस्क जोन में है। अतः भूकम्प से नुकसान की संभावना बहुत कम है।

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

(ग) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ

इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

### (द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सै. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

### 6.3 सीकर जिला का खतरा एवं नुकसान का विष्लेषण

खतरे का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़	जुलाई—सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	ऊँची ईमारत, कमज़ोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी आबादी बस्तियां
तापधात	अप्रैल—जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव	जिले के सभी भाग
अग्नि	मार्च—जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, सम्पति का नुकसान	शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान
रसायन दुर्घटना	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, सम्पति का नुकसान	औद्योगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सड़क परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रैल—अगस्त	मानव का नुकसान	जिले के सभी भाग
सड़क दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	
औलावृष्टि	मार्च—मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग

## 6.4 आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग

क्र.सं.	जिम्मेदार विभाग	आपदा / जोखिम
1.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सुखा, औलावृष्टि, लू एवं शीतलहर, बिजली गिरना, तुफान (चक्रवात), भूस्खलन एवं किचड़ बहाव
2.	ऊर्जा विभाग	बिजली वितरण एवं उत्पादन, स्थानान्तरण से जुड़ी आपदाएँ।
3.	गृह विभाग	आतंकवादी घटना, कानून व्यवस्था बिगड़ना, साम्प्रदायिक तनाव, रेल, सड़क, हवाई जहाज दुर्घटना, बायोलॉजीकल, रासायनिक, चूंकिलयर, रेडियालॉजिकल आपात स्थिति, मेला एवं उत्सव के दौरान दुर्घटनाएं, पुलिस विद्रोह
4.	जल संसाधन विभाग	बाढ़, अचानक तेज पानी का बहाव, बांध का टूटना, बादल का फटना।
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, बड़े इमारतों का गिरना, सड़क दुर्घटना।
6.	खदान एवं पैट्रालियम विभाग	खदान अग्नि एवं बाढ़ दुर्घटना, तेल रिसाव।
7.	उद्योग विभाग	रसायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना।
8.	शहरी विकास विभाग	शहरी अग्निकांड
9.	राजस्व	ग्रामीण अग्निकांड एवं नाव का डूबना।
10.	वन विभाग	जंगल की आग(दावानल)
11.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	बायोलॉजिकल, महामारी एवं विषाक्त भोजन।
12.	कृषि विभाग	रोग—जनक जीवों का आक्रमण
13.	पशु पालन विभाग	पशुओं में महामारी

## अध्याय 07

# प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना

जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु—अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

## 7.1 जिला आपदा प्रबंधन :

10. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
11. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
12. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
13. जिला में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
14. जिला में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ानें में उपयोग करना।
15. आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
16. जिला में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
17. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
18. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

## संस्थागत व्यवस्था

### जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

- धारा 25 (1) के अनुरूप जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डीडीएमए) का गठन किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य हैं—

क्र.सं.	पदनाम	प्राधिकरण में पदभार	स्पर्क
1	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष	01572-250005, 250007
2	प्रमुख, जिला परिषद	सह-अध्यक्ष	01572-271429 253960 8824722767
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य	01572-270669, 9928015071
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	01572-250005, 250006
5	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य	9414084991 1572 242797
6	अधिशासी अभियंता, जल संसाधन	सदस्य	01572-248614, 9460090217
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य अधिकारी	सदस्य	9214475075, 01572-253114, 270446
8	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	सचिव	01572-250756, 9530487850
9	अधीक्षण अभियंता अ0वि0वि0नि0लि0, सीकर	सदस्य	01572-272064(0) 01572-272736(आर)
10	अधीक्षण अभियंता जन स्वा0अभि0 वि0, सीकर	सदस्य	01572-274029(0) 01572-272355(आर)
11	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर	सदस्य	01572-249353(0) 01572-248546(आर)
12	जिला रसद अधिकारी, सीकर	सदस्य	01572-270417
13	जिला जन स्पर्क अधिकारी, सीकर	सदस्य	01572-270833

निम्न गणमान्य जनप्रतिनिधि स्थाई रूप से प्राधिकरण में आमंत्रित रहेंगे

सांसद / विधायकगण जिला सीकर			
पद नाम	नाम जनप्रतिनिधि	कार्यालय	निवास
मा.सांसद लो.स. क्षेत्र सीकर	श्री सुमेधानन्द सस्वती	01572-259000	9414038755
मा.विधायक, वि.स. क्षेत्र श्रीमाधोपुर	श्री दिपेन्द्र सिंह शेखावत, ग्राम पो. मउ, तह. श्रीमाधोपुर		9829066602

मा.विधायक, वि.स. क्षेत्र सीकर	श्री राजेन्द्र पारीक, कंवरपुरा रोड, सीकर	01572-271935	9414040007
मा.विधायक, वि.स. क्षेत्र दांतारामगढ़	श्री विरेन्द्र सिंह नि. वीरेन्द्र भवन, नवलगढ़ रोड सीकर।	0141-5114029 5114030	0141-2235856
मा.विधायक वि.स. क्षेत्र धोद	श्री परसराम मोरदिया, आनन्द नगर सीकर।		9928070899 9928070599 9414173366
मा. विधायक, वि.स. क्षेत्र फतेहपुर	श्री हाकम अली खां, ग्रा.पो. रोलसाहबसर, सीकर		7742011786
मा.विधायक, वि.स. क्षेत्र लक्ष्मणगढ़	श्री गोबिन्द सिंह डोटासरा नवलगढ़ रोड सीकर।	9414037971 9983337971	01572-248971
मा. विधायक, वि.स. क्षेत्र खण्डेला	श्री महादेव सिंह ग्रा.पो. दुन्हेपरा सीकर।		9928045458
मा. विधायक, वि.स. क्षेत्र नीमकाथाना	श्री सुरेश मोदी, मु.पो. नीमकाथाना जिला सीकर।		9829060864

प्राधिकरण के अध्यक्ष के विवेकाधिकार से जो उपयुक्त होगा किसी भी व्यक्ति विशेष एवं विशेषज्ञ को प्राधिकरण की बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है।

## तहसील आपदा प्रबन्धन समिति

तहसील स्तर पर तहसीलदार समिति का अध्यक्ष होगा, एवं अन्य तहसील एवं विभाग तहसीलदार को आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति, ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशुचिकित्सक, महिला बाल पर्यवेक्षक इत्यादि समिति के सदस्य रहेंगे। तहसील की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थनीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

## तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र. सं.	पदनाम	समिति में पद
1	तहसीलदार	अध्यक्ष
2	नायब तहसीलदार / गिरदावर	सदस्य सचिव
3	सहायक अभियंता विद्युत	
4	सहायक अभियंता सा.नि.वि.	
5	सहायक अभियंता पीएचईडी	
6	सहायक अभियंता खनन	
7	चिकित्साधिकारी	
8	सरपंच	
9	कृषि अधिकारी	
10	पशु चिकित्साधिकारी	
11	ईओ नगरपालिका / नगरपरिषद	
12	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	
13	महिला एवं बाल विकास कार्यकर्ता	

## ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष मनोनीत सरपंच होगा और सम्बन्धित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्था, सेना से सेवानिवृत दक्ष व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिलाप्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान—मान के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगा, जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

## ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पदनाम
1	सरपंच	अध्यक्ष
2	ग्राम पटवारी	सदस्य
3	ग्राम सेवक पंचायत	सदस्य सचिव
4	चिकित्साधिकारी (यदि हो)	
5	पशु चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य

6	स्थानीय पुलिस अधिकारी	
7	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक (स्कूल/कॉलेज)	
8	एक सेवानिवृत्त सैनिक	
9	एएनएम	
10	स्वयंसेवी संस्था के मनोनीत सदस्य	
11	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	

## 7.2 कार्य योजना के उद्देश्य :-

सुचारू योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यों का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान—माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति—आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :—

8. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
9. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
10. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।
11. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
12. स्त्रोंतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
13. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
14. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 2ए में वर्णित प्रावधान के अनुसार जिला कलेक्टर जिले में घटित किसी भी आपदा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकते हैं। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा उप जिला कलेक्टर (जिला मुख्यालय) जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- जिला कलेक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना किया गया है जो कि 24 घण्टे कार्यरत है।

### 7.3 नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्टरेट में 24 घण्टे संचालित है।
  - नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है।
- जिला नियन्त्रण कक्ष (ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर) के फोन नं 1077 है।

### 7.4 जिला एवं स्थानीय प्रशासन

1. आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
2. रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
3. नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
4. सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
5. प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
6. प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
7. दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा स्थल पर स्वारक्ष्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउंटर बनाना।
9. जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

## 7.5 पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

1. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
2. खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
3. लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
4. आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
5. बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

## 7.6 अग्नि एवं कार्ययोजना :

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठनों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है।

बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल—मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास—पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी—कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिस्मितियों को काफी क्षति होती है। जिले में अधिकतर अग्निकांड रबी की सूखी फसल में बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

### जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र –

शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोलियम पम्प, छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेन्सी, आदि हैं।

### अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती हैं लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयों नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम है।

### कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

## आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

### बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

### रसोई घर

रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।

- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय—समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूलें।

- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेम्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लीकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

## गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुज़रते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे कि आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।

- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फैकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे जहाँ घण्टी, फावड़े, बाल्टी, टार्च, रस्सी, खाली बोरियाँ, परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हों।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

### जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज़ से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

### हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घूम सकें।
- बिल्डिंग कोड भारतीय मानक संहिता 2005 के अनुरूप, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।

- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रीकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

## आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम् अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ‘समेकित आपदा प्रबन्ध समिति’ को सूचित करेंगे।


यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूप तथा जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक को देगा ।

### आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

#### **जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी**

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना ।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

**पैट्रोलियम एवं गैसीय अग्नि/बाजार/घर/मॉल/होटल/हॉस्पिटल/सिनेमा/भीड़भाड़ वाले स्थान/सरकारी भवन/उत्सव/शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर अग्नि दुर्घटना में त्वरित कार्यवाही**



## अग्निशमन केन्द्र :- नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती ज़िलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थेले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता

**नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गार्ड्स तथा एन.सी.सी.**

1. आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचना।
2. आपदा में फंसे लोगों को ढूँढ़ने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करना।
3. आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
4. कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
5. आश्रय स्थलों पर व ट्राफिक व्यवस्था में प्रशासन की सहायता करना।

## पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- यातायात की व्यवस्था व नियंत्रण करना।

- सेवाओं के घटना स्थल पर पहुंचने के मार्ग से बाधा हटाना व उन्हें सही रास्ते के दिशा निर्देश देना।
- घटना स्थल पर वीआईपी विजिट की स्थिति में आवश्यक प्रबन्धन करना जिससे आवश्यक सेवाओं के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- बचाव कार्यों में मदद करना।
- घटना स्थल की घेराबन्दी करना।

## विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल।
- संबंधित अभियन्ता मय स्टाफ आपदा स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करे।
- आपदा स्थल पर प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई/कटोती की परोपर व्यवस्था।
- विद्युत सप्लाई बन्द के दौरान आपदा स्थल पर आवश्यक विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- विद्युत लाईनों (उपरी/भूमिगत) की परोपर देखभाल करना जिससे अनावश्यक विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

## जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- संबंधित अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक हुआ तो पानी की सप्लाई बन्द करेंगे व आवश्यकतानुसार टेंकरों से पानी की व्यवस्था करवायेंगे।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता को देखते हुए हाईड्रेन्ट्स को चालू हालात में रखना, विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में टेंकरों से अग्निशमन हेतु आवश्यक पानी सप्लाई करवाना।

- गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा खपत को देखते हुए आवश्यक पानी की सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था करें। उपभोक्ताओं द्वारा घरों में बुस्टर लगा कर पानी खेंचने पर अंकुश लगावें।
- वर्षा के मौसम के दौरान पानी में आवश्यक क्लोरिन की व्यवस्था करावें ताकि दुषित पानी से निजात मिल सके।

### मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार की परोपर व्यवस्था करना।
- घटना/आपदा स्थल पर तत्काल एम्बूलेंस मय मेडीकल स्टॉफ भिजवाना।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- हताहतों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना।
- औषधियों की परोपर व्यवस्था करना।
- मेडीकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क रखना।
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडीकल स्टॉफ की उपलब्धता।
- मौसमी बिमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
- समय समय पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आवश्यक सेनिटेशन की व्यवस्था करना व खान पान की वस्तुओं को चैक करना।
- स्वयं सेवी एजेन्सीयों से सम्पर्क रखना।

### गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

## पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- आपदा की स्थिति में जानवरों की बिमारियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक टीकाकरण/औषधियों की व्यवस्था करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की तैनाती।
- आपदा के पश्चात मृत जानवरों से महामारी की स्थिति न बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

## नगरपालिका/नगर निगम

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची
- आश्रय स्थलों की परोपर सफाई व्यवस्था
- घटना स्थल पर आवश्यक लाईट की व्यवस्था करना।
- मृत लोगों व जानवरों के अन्तिम संस्कार/दफनाने की व्यवस्था करना।
- महामारी की स्थिति से बचाव के उपाय करना।

## खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना

- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

## आग लगने पर क्या करें, क्या न करें क्या करें :-

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम जयपुर को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुँह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

## क्या न करें :-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

## 7.7 नागरिक सुरक्षा बल : (CIVIL DEFENCE)

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण (युद्ध) की स्थिति में हवाई हमला के दौरान जान व माल की सुरक्षा व नुकसान को कम करना है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किये जाने के उपरान्त नागरिक सुरक्षा अधिनियम में भी आंशिक संशोधन (नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009) करते हुए आपदा प्रबन्धन से जोड़ दिया गया है जिससे नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य “हवाई हमले के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवीकृत” आपदाओं की स्थिति में नागरिकों के द्वारा – नागरिकों के लिए वो तमाम प्रयास करना है, जिससे उनके जान और माल की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही जिले में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों के तहत ओटीएस, राजस्थान पुलिस एकेडमी, विभिन्न शिक्षण संस्थानों, मॉल्स, होटलें, पब्लिक सेक्टरों इत्यादि में आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। आपदा के समय नागरिक सुरक्षा बल के द्वारा त्वरित कार्यवाही निम्नानुसार की जाती है :

- आपदा की सूचना मिलने पर संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तत्काल आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे व नियंत्रक (जिला कलक्टर) के निर्देशानुसार बचाव कार्यों को अन्जाम देंगे।
- आपदा के दौरान हताहतों के खोज व बचाव का कार्य करना।
- हताहतों को घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देना व अस्पताल भिजवाना।
- आश्रय स्थलों पर भोजन/पानी/कपड़े इत्यादि हेतु स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
- जिले क्षमता संवर्द्धन के तहत आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण देकर लोगों को आपदा प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों को निभाना।

## **7.8 राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद (मोचन) बल (NDRF)**

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सम्पर्क नं 0 967270004 के निर्देशन में राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) की 07 टुकड़िया मय उपकरणों के निम्नानुसार तैनात है:-

क्र.सं.	बटालियन आर.ए.सी.	स्थान	सम्पर्क नम्बर
1	प्रथम	जोधपुर	0291—2570071
2	द्वितीय	कोटा	0744—2350771
3	तृतीय	बीकानेर	0151—2226143
4	चौथी	जयपुर	9828688220
5	पाचवी	जयपुर	0141—2640964
6	छठी	धौलपुर	05642—240810
7	सातवीं	भरतपुर	05644—225261


### **बम विस्फोट/आतंकवादी घटना**

वर्तमान परिस्थिति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादीयों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आत तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को अधिक से अधिक हानि पहुँचाना है। यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहाँ अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, स्कूल, सरकारी संरक्षण एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादीयों के निशाने पर है।

अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही :

1. बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लेंगे। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती है जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती है। तथा बम की रसायनिक गुणों का पता लगाती है।
2. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
3. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस-पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए अधिक सक्रियता बरतेंगे।
4. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देंगे।
5. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करेंगे।
6. आतंकवादीयों को पकड़ने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेंगे।
6. खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देंगे।

## बम विस्फोट / आतंकवादी घटना त्वरित कार्यवाही



## 7.9 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्ययोजना

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्र को खण्डों में विभाजित किया गया है। जिनमें कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।
2. मुख्यालय पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना है। जो 24 घंटे रेपिड रेस्पोन्स टीमों का गठन किया हुआ है। जिसके आधार पर नियंत्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार आपदा / बीमारियों की सूचना प्राप्त होती ही जिला मुख्यालय से रेपिड रेस्पोन्स टीम, रोगी वाहन व आवश्यक औषधियों के घटना स्थल पर भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है तथा जिला मुख्यालय पर ए आईडीएसपी सैल (इन्ट्रग्रेटेड डिसीज सर्विस प्लान) कार्य कर रही है। जो बीमारियों का सर्वे एवं रिपोर्टों का संकलन कर नियमित भिजवाये जाने का प्रावधान है।
3. सभी खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना हुई है। जिससे क्षेत्र में कहीं भी आपदा प्रबंधन एवं मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया जाकर 24 घंटे चिकित्सा दल मय रोगी वाहन व आवश्यक औषधियों के तैनात किये गये है। जिसकी नियमित जानकारी एवं रिपोर्ट जिला नियंत्रण कक्ष पर मेल एवं फैक्स द्वारा भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है।
4. सभी चिकित्सा संस्थानों पर पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था है। किसी भी अप्रिय घटना घटने की स्थिति में चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

## पशुपालन विभाग कार्ययोजना

- विभाग में नियंत्रण कक्ष (दुरभाष नं. 01572-256723) स्थापित कर संयुक्त निदेशक पशुपालन सीकर, मो. 9414398921 को नियंत्रण कक्ष प्रभारी मनोनीत किया गया है
- आपदा की सूचना मिलने पर नियंत्रण अधिकारी सभी पशु चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- प्रभावित क्षेत्रों में घायल पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था करना।
- घायल भर्ती पशुओं के चारे, दाने की व्यवस्था करना।

- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार करना।
- आपदा स्थल पर पशु राहत स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- अन्य निजी पशु चिकित्सकों एवं पैरा वेटेनरी स्टाफ को आपदा से निपटने के लिए सम्पर्क करना।
- तहसील स्तर पर मोबाईल वेटेनरी यूनिटों को आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्थाकरना।
- मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगर परिषद्/नगर पालिका/ग्राम पंचायत की मदद लेना।
- स्वस्थ पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना। उपचार हेतु चल इकाईयां

क्र.सं.	जिला / तहसील पशुधन आरोग्य चल इकाई	सम्पर्क
1	जिला इकाई—सीकर	9649258335
2	तहसील इकाई—खण्डेला	9829857779
3	तहसील इकाई—लक्ष्मणगढ़	9413010780

## 7.10 जल संसाधन विभाग कार्ययोजना

बाढ़ के समय उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु कार्य योजना का प्रारूप :

सिंचाई खण्ड सीकर के अधीन जिला सीकर में कुल 6 सिंचाई बांध है, जिनकी कुल भराव क्षमता 680.44 एमसीएफटी है, इसके अतिरिक्त जिले में 300 हेक्टेयर तक के 36 बांध हैं जो ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरिक किये जा चुके हैं, इनकी देखरेख एवं सुरक्षा का कार्य पंचायत राज संस्थाओं के पास है। सीकर जिला साबी एवं शेखावाटी बेसिन में पड़ता है, इस जिले से बहकर जाने वाली मुख्यतः 6 नदियां हैं जिनमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल प्रवाह होता है। जिले में स्थित सभी बांध लघु सिंचाई की श्रेणी के हैं, एवं इन्हीं नदियों पर सहायक नाले बनाये गये हैं, यदि इन नदियों में पानी की आवक अनुमान से अधिक हो रही हो तो पड़ोस में स्थित में जल संसाधन खण्ड अलवर को तुरंत सूचना देकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मानसून काल में इन बांधों की निगरानी हेतु 24 घण्टे उपब्धतानुसार चौकीदार रखे जाते हैं, वर्षा के आंकड़े एवं बांध की स्थित के बारे में सूचनाएं उपखण्ड कार्यालय तक पहुँचाने के लिए सन्देश वाहक हर समय उपलब्ध रहता है, जो पड़ोस में स्थित पुलिस के वायरलेस स्टेशन द्वारा, अथवा टेलिफोन सूचना उपखण्ड कार्यालय एवं

खण्ड कार्यालय को पहुँचाता है, जहाँ से सूचनाएँ राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को प्रेषित की जाती है।

## कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है, जिसका टेलिफोन नम्बर 0141-2702480 है। इसके अतिरिक्त संभागीय स्तर पर जिला मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है, जिसका टेलिफोन नम्बर 0141-2702353 है, सीकर मुख्यालय पर भी 15 जून 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई खण्ड सीकर के कार्यालय में स्थापित किया जाता है, जिसके टेलिफोन नम्बर 01572-248614 है, जिससे 24 घन्टे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है। पंचायती राज के अधीन हरदास का बास बांध के समीप, पुलिस स्टेशन के वायरलेस से सूचना सीकर भेजने की व्यवस्था की जाती है। जिससे बांध के संवेदनशील जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा व बांधों की स्थिति प्रतिदिन ज्ञात हो सके।

इस खण्ड के अधीनस्त सिंचाई उपखण्ड नीम का थाना में भी उपखण्ड स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है, जो वर्षाकाल पर्यन्त 24 घन्टे कार्यरत रहता है, इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी सहायक अभियन्ता सिंचाई, उपखण्ड नीम का थाना होते हैं।

जिले का ज्यादातर क्षेत्र रेतीला एवं टीलों से ढका हुआ है, एवं अद्वशुष्क भूमांग है, कुछ क्षेत्र पहाड़ी भी है। जिले की वार्षिक औसत वर्षा 42 सेंटीमीटर है परन्तु अतिवृष्टि की स्थिति में इस जिले में गत वर्षों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, जिससे जिले के रेवासा, सुजावास, मकसूदपूरा, खण्डेला, लोसल, रानोली, हरदास का बास, सवाईपुरा, दांतारामगढ़, शेरपुरा एवं रेटा आदि गांव प्रभावित हुए हैं, एवं क्षति हुई है। बाढ़ से क्षति कम करने के लिए इस खण्ड द्वारा रानोली, गायड़ बांध, शेरपुरा, सुजावास गायड़ बांध, रामगढ़ गायड़ बांध, रेटा गायड़ बांध, कोछोर गायड़ बांध, दांतला गायड़ बांध का निर्माण किया गया है, जिससे क्षति को न्यूनतम करने में सहायता मिली है।

## संवेदनशील बांधों की सूची

1. हरिपुरा बांध
2. हरदास का बास बांध
3. दीपावास बांध

## सामग्री की सूची

अतिवृष्टि की स्थिति में असाधारण परिस्थितियों से निपटने हेतु निम्नानुसार सामग्री उपलब्ध है।

बांध का नाम	उपलब्ध सामग्री (खाली सिमेन्ट के कटटे)
रायपुर पाटन बांध	500
नीम का थाना	500
सीकर मुख्यालय	500
अजबपुरा सीकर	1000
बीजारणियों की ढाणी	1000

### नाव

इस खण्ड में विभाग के पास कोई नाव उपलब्ध नहीं है। रायपुर पाटन बांध में मछलीपालन के ठेकेदारों के पास नाव है, जिसकी क्षमता 1 या 2 व्यक्तियों की है, जो पर्याप्त नहीं है। आपातकालीन स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर नाव विभागीय नोडल एजेन्सी (अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, जयपुर) से निवेदन की प्राप्त की जाती है।

### पम्प

जल संसाधन विभाग 5 डिजल पम्प निम्न क्षमता के प्राप्त किये हैं, जिससे खण्डीय कार्यालय स्टोर में आपदा प्रबन्धन हेतु रखवा दिये हैं, जिसकी क्षमता निम्नानुसार है।

1. 6 एचपी — 2
2. 12 एचपी — 2
3. 25 एचपी — 1


### आपातकालीन सम्पर्क

पदनाम	मुख्यालय	सम्पर्क नं.
अधिशाषी अभियंता	सीकर	9414664004
सहायक अभियंता	सीकर	9602950400
सहायक अभियंता	सीकर	9414037621
सहायक अभियंता	नीम का थाना	9460648482

मानसून के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वर्षा पूर्व व्यापक प्रबन्ध किये जाते हैं, जो निम्न प्रकार है—

1. वर्षा पूर्व बाधों की आवश्यक मरम्मत।
2. वर्षा पूर्व स्लूस गेटों की आयलिंग व ग्रीसिंग करना।
3. आवश्यक सामग्री (मिटटी के कटटे, लाईफ जॉकेट, लाईफ बॉय, ईमरजेन्सी लाईटें, वायरलैस सैट इत्यादि) की व्यवस्था करना।
4. 15 जून से बाढ़ नियन्त्रण/चौकी स्थापित करना व राउण्ड द क्लॉक (24 घंटे) नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
5. संचार व्यवस्था हेतु फोन एवं वायरलेस स्थापित करना।
6. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरन्तर कार्यों की देखभाल करना।
7. कनिश्ठ अभियंता द्वारा बाढ़ की स्थिति या बांध में रिसाव या टूटने की स्थिति में मौके पर पहुंचकर उपलब्ध सामग्री व श्रमिकों से बचाव कार्य शुरू करना व अतिरिक्त आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु बाढ़ नियंत्रण कक्ष व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करना।
8. सहायक अभियंता व अधिशाषी अभियंता द्वारा मौके पर पहुंचना व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर सुनियोजित ढंग से कराना व उसकी पूर्ति सुनिश्चित करना।
9. जिला प्रशासन व उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
10. विषम परिस्थितियों में दुर्घटना के खतरे से जनता को आगाह कर यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु व्यवस्था करवाना।
11. मिडिया एवं समाचार जगत से सम्पर्क एवं तालमेल करना।

## बाढ़/क्रुए व तालाब में झुबने/बोरवेल की घटनायें



## 7.11 सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यटी पर बुलायेंगे।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे व आवश्यक तकनीकि सलाह देंगे।
- घटना स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों (भारी मशीनरी) की सूचियां रखना व आवश्यकतानुसार उनकी सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यों के दौरान आवश्यकतानुसार क्षति ग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना।
- क्षति ग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधि आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिराने की कार्यवाही करना।

## 7.12 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना

1. वृत्त कार्यालयों के अधीन खण्डीय कार्यालयों एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नं. है। उपखण्ड/तहसील में कार्यरत फ़िल्ड अधिकारियों के दूरभाष नं. अंकित है।
2. बाढ़, तुफान, भुकम्प व अन्य दुर्घटनाओं में पानी की स्थिति में पानी की पाईप लाईन बन्द होने एवं अन्य किसी कारणवश पेयजल सप्लाई में बाधा होने पर निजी टैकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सभी सहायक अभियन्ता मुख्यालय एवं कनिष्ठ

अभियन्ता कार्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेशन हेतु उपलब्ध है। जहाँ नियमित रूप से जल स्त्रोत के पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है।

3. पानी की पाईप लाईनों की देखभाल विभाग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा की जाती है तथा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त होने पर सहायक अभियन्ता /कनिष्ठ अभियन्ता को सूचना दी जाती है। जिसे तत्परता से मरम्मत की जाती है। मरम्मत हेतु विभाग में सभी आवश्यक सामान कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालयों पर उपलब्ध होता है।
4. विभाग के समस्त उच्च जलाशयों / स्वच्छ जलाशयों पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। जीर्ण शीर्ण उच्च जलाशयों की मरम्मत की जाती है अथवा उनको गिराने की व्यवस्था की जाती है। नये बनने वाले उच्च जलाशयों पर सीढ़ियों पर गेट बनवाने का प्रावधान लिया जा रहा है।
5. सभी उच्च जलाशयों / पम्प हाउसों पर 24 घन्टे हाईड्रेट से पानी लेने की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
6. गर्मियों में पानी की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करना। टेंकरों की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करना।
7. अग्निशमन व्यवस्था के तहत वाटर हाईड्रेन्टों को चिह्नित करना व उनको चालू हालात में रखना। साथ ही संबंधित सहायक अभियन्ता को जिम्मेदारी देना।
8. आपदा के दौरान क्षति ग्रस्त पाईप लाईनों को तत्काल ठीक करवाना।

### 7.13 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर पंहुचे।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।
- खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।

- बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखने हेतु उपयुक्त मात्रा में आवश्यक सामग्री जैसे पोल, कण्डकटर आदि की व्यवस्था रखी जाना।
- जमीन पर पड़े ट्रांसफार्मरों को डी.पी. पर रखा जाना।
- ढीले तारों को कसा जाना।
- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाइल, हॉटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

#### **7.14 परिवहन विभाग**

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।
- घायलों को चिकित्सा शिविरों तक पहुँचाना।
- सहायता सामग्री को राहत शिविरों तक पहुँचाना।

#### **7.15 खाद्य एवं रसद विभाग**

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

#### **7.16 सूखे की कार्ययोजना**

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

#### **दीर्घकालीन उपाय**

1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण

4. अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
5. पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
6. मिट्टी व नमी का संरक्षण।
7. अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
9. फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
10. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
11. स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

## **सूखा पूर्व तैयारी**

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

## **सूखे के समय कार्य योजना**

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

## **स्थानीय एवं जिला प्रशासन की भूमिका**

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।

- उपलब्ध पानी के स्त्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

## **पशुपालन विभाग**

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहूँचाना।

## 7.17 दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम., सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना से 1,40,000 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, प्रतिदिन 400 मौतें एवं प्रतिघन्टा 18 मौत दर्ज की गई हैं। एवं 4.5 लाख सड़क दुर्घटना से घायल एवं शारीरिक अपंगता दर्ज की गई है। राजस्थान में अकेले 10 हजार मौतें प्रतिवर्ष रिकॉर्ड की गई हैं। अधिकतर दुर्घटना से मौतें लापरवाही एवं सुरक्षा कानूनों की अनदेखी करने से हुई हैं। यदि इस दिशा में सार्थक प्रयास न किया गया तो गम्भीर परिणाम समाज को भुगतना होगा।

### दुर्घटना से पूर्व

**संरचनात्मक उपाय** – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

**गैर संरचनात्मक उपाय** – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, कार में आगे और पीछे बैठे सवारी को सीट बैल्ट बांधना आवश्यक है।
- बांई तरफ से ओवरट्रेक न करें।

- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाँई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

## **दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य**

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

## **चिकित्सा विभाग**

- तहसील में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची संलग्न है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।
- **पुलिस विभाग**
- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।

## 7.18 भूकम्प एवं कार्य योजना

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प की दृष्टि से सिसमिक जॉन ॥ में आता है, जिससे गंभीर खतरे की संभावना कम है, फिर भी बिगड़ते हुए प्रदुषण के कारण भूकम्प की संभावना बढ़ती जा रही है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

### भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :—

### स्थानीय एवं जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

## नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गार्ड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

## पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

## 7.19 बोरवेल की दुर्घटना

भारत में पीने के पानी के संसाधनों की समस्या के लिये आये दिन विभिन्न आवासीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोर-वेल खोदे जाते हैं। बोर-वेल के निर्माण के समय या बोर-वेल में पानी नहीं मिलने पर खुले बोर-वेल में बच्चे गिरने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। सीकर जिले में भी दिनांक 27.6.15 को बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर में 400फीट गहरी बोरवैल में 5 वर्षिय बालिका गिर जाने पर उसे निकालने हेतु अनेक विभागों के तकनिकी विशेषज्ञों से सहयोग लेते हुये राहत कार्य चलाये गये। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के साथ ही सेना के सहयोग से सफलता पूर्वक बचाव की मूहिम (रेस्क्यू ओपरेशन) से 35 घंटे तक अनवरत कार्य कर (गुंगी बहरी) बच्ची को जीवित निकाला गया। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की गई है।

### दुर्घटना से बचाव हेतु :

- जन जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार। जिसमें यह संदेश हो कि बोर-वेल खुदाई कर्ता ठेकेदार किसी भी स्थिति में बोर-वेल को खुला नहीं रखे। बोर-वेल खुदाई के समय ढकने हेतु पत्थर एवं लोहे का पर्याप्त आकार का ढक्कन लगाये जाने की आवश्यकता सुनिश्चित करे। लोग बोर-वेल खुदाई के सम्बन्ध में स्थानीय जिला प्रशासन को बोर-वेल खुदाई स्थल, खुदाई कर्ता ठेकेदार के नाम व पता मय ठेकेदार के सुरक्षा की पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये हैं के सम्बन्ध में सूचित करना।
- हर जिले में उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अनुसूची के अनुसार दुर्घटना होने पर पूर्व तैयारी व जानकारी रखें।
- बोर-वेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना होने पर बचाव कार्य हेतु निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जा सकती है—
  1. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
  2. सम्बन्धित पंचायत समिति के उपखण्ड विकास अधिकारी

- 3 सम्बन्धित मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
- 4 सम्बन्धित उप अधीक्षक पुलिस।
- 5 जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता
- 6 जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता डिलिंग।
- 7 भू-जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के भू-गर्भ शास्त्री।
- 8 भू-जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता।
- 9 बिजली विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी/सहायक अभियंता।
- 10 भू-सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, से सम्बन्धित क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी।
11. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी/सहायक अभियंता।
- 12 उप-नियंत्रक नागरिक सुरक्षा
- 13 खनिज विभाग के अभियंता

### **दुर्घटना होने पर :**

- सर्वप्रथम जिला कलेक्टरेट कंट्रोल रूम तथा उपखण्ड कंट्रोल रूम में सूचना।
- सम्बन्धित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर मय जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण एवं दवाईयां, एम्बुलेन्स तथा मेडिकल टीम सहित पहुंचने की सूचना।
- उपरोक्त टीम को मौके पर पहुंच कर तत्काल उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार बोर-वेल में क्लोज सर्किट केमरा या इंफ्रारेड कैमरा व ऑडियो विजुअल मॉनिटिरिंग सिस्टम तथा स्वास्थ्य रक्षक उपकरण स्थापित करना।
- उपरोक्त टीम द्वारा दुर्घटना घटित होने के एक धंटे में बचाव कार्य हेतु संयुक्त रूप से मौके पर रिथिति अनुसार मिट्टी की प्रकृति के आधार पर समानान्तर बोर-वेल खुदाई या अन्य प्रकार से अनुसूची के अनुसार शेष संसाधनों को एकत्रित करने तथा बचाव कार्य करने की कार्य योजना तैयार करना।
- उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करना।
- मौके पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राहत टीम के लिये रहने व भोजन की व्यवस्था।

- प्रति धंटे अतिरिक्त जिला कलक्टर राहत को राहत कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना।

उपरोक्त प्रकार की दुर्घटना में विशेषज्ञ सेवाओं के लिये जोधपुर रिमोट सेंसिंग के डॉ एन. के. कालरा से सम्पर्क कर सकते हैं जिनके दूरभाष नं. 0291-2754184 है। अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग से सहायता मांगी जायेगी। उपरोक्त प्रकार की दुर्घटनाओं में बचाव कार्य हेतु वांछित उपरकरणों एवं संसाधनों पर व्यय की राशि का आकलन किया जाकर राज्य सरकार को सूचित किये जाने की तैयारी की जा रही है।

**खुले बोरवेलों से होने वाले हादसों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिशा-निर्देश।**

राज्य में खुले बोरवेलों में बच्चों के गिरने की कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं एवं इन दुर्घटनाओं में कई मासूमों को जान गवानी पड़ी तथा राज्य सरकार को भी अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पड़ा है। हाल ही में दिनांक 03.11.2011 को दौसा एवं दिनांक 23.11.2011 को बानसूर रघुनाथपुरा, अलवर में बोरवैल में बच्चों के फंसकर मरने की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है तथा इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। दिनांक 09.02.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बोरवैल में बच्चों के फंस कर मरने की अत्यधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में बोलवैल ड्रिल करने के पश्चात उसे सूना (खुला) छोड़े जाने पर बोरवैल ड्रिल करने वाली कम्पनी/मालिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

इसी बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 36 / 2009 में अपने निर्णय दिनांक 11.02.2010 (प्रति संलग्न) द्वारा भी सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए उनकी अक्षरशः पालना की अपेक्षा की है, निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार भूजल

विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 12 (6) जीडब्लूडी/09 दिनांक 19.02.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित को जारी किये गये तथा इन निर्देशों की समयबद्ध पालना रिपोर्ट निरन्तर मंगवाई जा रही है।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए, खुले बोरवलों को आवश्यकता नहीं होने पर तुरन्त पाटने (बन्द करवाने) एवं हादसा होने पर बोरवेल करने वाली कम्पनी/मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर, इस संबंध में होने वाले समस्त व्यय की वसूली की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावतृति न हो ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर होने वाले अनावश्यक व्यय एवं जानमाल की क्षति से बचा जा सके। इस हेतु जिला कलक्टर के अधीनस्त कार्यरत समस्त अधीकारी कर्मचारियों को ठोस कार्यवाही अमल में लाने हेतु पाबंद किया गया है।

## 7.20 ओला वृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो औँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

### ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ –

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है।

फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

## 7.21 बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद-बूंद जल संग्रहीत करने की परिपाठी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी-कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ-साथ जान पर भी उतारू हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

### बांधों के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल विकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे: चेन, रस्सा, चाबी आदि की जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

## **7.22 खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्ययोजना :**

जिले एवं आस-पास के जिलों में विविध प्रकार के खनिज के खदान हैं। जिनमें मृतिका, ताबां, डोलामाईट, लोहा, चुना, पत्थर, कांच, रेत और सेलखड़ी मुख्य हैं। इन खनिजों की खुदाई के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनरीज, मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। जमीन के नीचे की खुदाई में कई दुर्घटनाओं की सूचना प्रतिदिन आती रहती है एवं प्रशासन के सत्र प्रयास से लोगों को बचाया जाता है। फिर भी खान दुर्घटना से प्रतिवर्ष लोग मर रहे हैं। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अन्तर्गत एक आपातकालीन प्रशासनिक संसाधन का SOP विकसित किया है। जिससे खान दुर्घटना एवं आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

जिले में दिनांक 14.02.2023 को नीमकाथाना तहसील के ग्राम लादी का बास में बंद खान में पानी में डूबने से चार बालिकाओं की दुर्घटना में मृत्यु हुई। इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये जिला प्रशासन द्वारा जिले की सभी बंद हुई खदानों में वर्षा का पानी भरने से होने वाली दुर्घटनाओं के बचाव हेतु खानों के रास्तों को सील करने एवं दुर्घटना संबंधि संकेतक लगाये जाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

## **7.23 ताप (लू) एवं शीतघात**

### **तापघात (लू)**

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु एवं बढ़ते पर्यावरण प्रदुषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 42 से. और

माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान  $29^0$  से रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। जिसके कारण तापघात से मृत्यु दर की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। किसी—किसी दिन अधिकतम तापमान  $45^0$  या  $47^0$  तक पहुंच जाता है। घटती हरियाली, बिगड़ते पर्यावरण एवं अवैध जंगलों की कटाई तापमान बढ़ोतरी के मुख्य लक्षण हैं।

## तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

## तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।

- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आतंरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- नमक चीनी का घोल पानी के साथ पीना लाभप्रद है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

### **जिला प्रशासन की जिम्मेदारी**

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

### **शीत लहर**

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान  $22.0^{\circ}$  से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान  $5.8^{\circ}$  से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षेभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को

प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

## लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सवाधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती हैं।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

## जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमें लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सकें।

## अध्याय 08

# रासायनिक एवं औद्योगिक आपात स्थिति कार्ययोजना

## 8.1 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं। सीतापुरा आईओसी प्रलयकारी अग्निकांड जयपुर के बढ़ते औद्योगिक खतरे को चिन्हित कर रहा है। अपर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कार्यदल, ठोस कानून का अभाव एवं अग्नि एवं सुरक्षा ऑडिट की पालना न होना जयपुर की बढ़ती आबादी के साथ एक बड़े संभावित आपदा को चिन्हित कर रहा है।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संरक्षण की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

### प्रभाव :-

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

## अध्याय 09

# बायोलॉजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना

महामारी एवं रोगों का फैलना बायोलॉजीकल आपदा की श्रेणी में आता है। पैड़ पौधे, पशुओं का सड़ना, जल का प्रदुषित होना, विषाक्त किटाणुओं का फैलाव होना आदि से जीवन पर बुरा प्रभाव होता है। महामारी से बड़े क्षेत्र में जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अधिक से अधिक मौतें होती हैं, जैसे कॉलरा, प्लेग, जापनी जापानी इन्फ्लुएंजा, एक्यूट एनसेफलायटिस सिंड्रोम इत्यादि। कुछ ऐसी भी महामारी है, जिसके किटाणु विश्व एवं देश के सभी कोने में फैल कर अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं साथ अधिक संख्या में मौतें हो जाती हैं, जैसे एन्फ्लुएंजा एच1एन1, स्वाईन फ्लु, बर्ड फ्लु इत्यादि।

### 9.1 चिकित्सा सुविधा

#### कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

क्र.सं.	पदनाम	सम्पर्क	
		मोबाइल	कार्यालय
1	सीएमएचओ, सीकर	7073458111	1572-248216
2	पीएमओ, एस.के. हॉस्पिटल, सीकर	9414137228	1572-251093
3	उप सीएमएचओ (स्वा.), सीकर	9413644714	1572-248216
4	अति. सीएमएचओ (परिवार कल्याण), सीकर	9413644714	1572-248210
5	आरसीएचओ, सीकर	9414527300	1572-248213
6	नियंत्रण कक्ष		1572-248211
7	जिला औषधि भण्डार	9982309389	1572-248089
8	डीपीएम एनएचएम, सीकर	9414033211	1572-248219

## अध्याय 10

# न्यूकिलियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना

## 10.1 आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही

1. किसी भी प्रकार की न्यूकिलियर या रेडियोलोजिकल आपात स्थिति होने पर या आशंका होने पर परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो नोडल ऐजेन्सी का कार्य करता है, से सहायता के लिए सम्पर्क किया जाता है।
2. परमाणु ऊर्जा विभाग में एक क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप है। आपात स्थिति में जिला कलेक्टर या अन्य अधिकृत अधिकारी क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सूचित करेगा। यह ग्रुप मुम्बई में स्थित है जहां 24X7 घण्टे नियंत्रण कक्ष कार्य करता रहता है।
3. क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप केवल परिस्थिति पर नियंत्रण एवं प्रतिक्रिया (Respond) करने के लिए अपना विशेषज्ञ सलाह एवं सहायता देगा। यह विभाग Responder के रूप में कार्य नहीं करेगा।
4. इस परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश के अलग-अलग जगहों पर ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC) स्थापित किये हुए हैं।
5. इसी क्रम में एक ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC) जयपुर में परमाणु खनिज निदेशालय प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर में बनाया गया है।
6. आवश्यकता पड़ने पर क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सूचना देने के साथ-साथ ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC) से सहायता ली जा सकती है।
7. ERC के विशेषज्ञ टीम को क्राईसिस स्थल पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
8. NDMA ने देश के कुछ चुनिंदा पुलिस स्टेशन को न्यूकिलियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति के लिए तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही रेडियेशन मॉनिटर मुहैया करया जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अतिरिक्त NDRF की बटालियन को केमिकल, बॉयोलोजिकल, रेडियोलॉजिकल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।
9. फिर भी अगर न्यूकिलियर एवं रेडियोलॉजिकल दुर्घटना हो जाती है तो प्रभावित लोगों के बीच आयोडीन का टेबलेट बांटना आवश्यक है।

## 10.2 आपात स्थिति में सम्पर्क

विशेषज्ञ से मदद लेने के लिए निम्न नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है :

S. No.	Designation of Official	Place of Posting	Contact No.
1	CMG Control Room Mumbai	MUMBAI	022-2202397822, 22862595 E-mail : daeecr@dae.gov.in
2	Regional Director	Emergency Response Centre, Jaipur	9414028590 0141-2793598
3	Officer Incharge & Cordinator	ERC, Jaipur	9828412012 0141-2795454/2790384
4	Dy.Commandent,NDRF	Nareli, Ajmer	91-9414005412

## अध्याय 11

# साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड़

### 11.1 साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता एवं सामाजिक विद्वेषों तथा व्यक्तिगत छोटे छोटे झगड़े कारण छोटे-छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन-धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है।

वर्तमान में इस दृष्टिकोण से सभी सम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी सम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहारों में बढ़चढ़ कर सम्मिलित होते हैं।

फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगे हो जाये तो उन्हे कम करने हेतु जिला एवं स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते हैं। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभाव शाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं।

### 11.2 भगदड़ एवं कार्ययोजना

बढ़ती आबादी एवं असुरक्षा का नतीजा है भगदड़, 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे के दिन पटना के गांधी मैदान में भगदड़ के कारण 33 लोग मारे गये, इससे पहले अगस्त 2014 के अन्तिम सप्ताह में मध्यप्रदेश के कादमगिरी में सोमवर्ती अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में 10 लोग मारे गये थे।

नेशलन क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2011 के दौरान भगदड़ की घटनाओं में 489 लोग मारे गये थे। धार्मिक अवसरों पर ही भगदड़ नहीं हुई है, रेल्वे स्टेशन, सेना व पुलिस की भर्ती के दौरान भी भगदड़ की घटनाएँ हुई हैं और लोगों ने जान गवाई है। वर्ष 2005 में तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के शिविर में भगदड़ मच गई थी,

जिससे कई मौतें हुई थी, किन्तु यह निर्विवाद है कि 95 प्रतिशत घटनाएँ हिन्दु धार्मिक उत्सवों के दौरान घटी हैं, और मारे जाने वालों में ज्यादातर महिलाएँ व बच्चे रहें हैं। वर्ष 2011 में हरिद्वार में भगदड़ तब हुई जब यज्ञ में डाली जा रही सामग्री से पैदा धुएँ के कारण लोगों का दम धुटने लगा। मंदिरा देवी मंदिर में भगदड़ में 300 लोग मारे गये थे, कारण यह था कि धार्मिक कर्मकाण्ड के लिए एक महिला सिर पर इतनी सामग्री ले जा रही थी कि वह गिर पड़ी और तेल बिखर गया, जिसकी फिसलन से भगदड़ मच गई। 2003 के नासिक कुंभ में साधुओं ने बिना अनुमति हाथियों और कार पर जुलूस निकाला और भक्तों पर प्रसाद व सिक्के फेंकना शुरू कर दिये, जिनको बटोरने की स्पर्धा में भगदड़ मच गई और 118 लोग मारे गये। राजस्थान के जोधपुर जिले में नवरात्र पूजा के दौरान मंदिर में भगदड़ से 55 लोग मारे गये जिसमें अधिकतर महिलायें थीं।

भगदड़ का धार्मिक सोच-विचार से गहरा सम्बन्ध है, धार्मिक विचार खुद असुरक्षित होने के अहसास पर टिका हुआ होता है, जो मनौविज्ञान हमें इन स्थानों पर जाने के लिए मजबूर करता है, बढ़ती सामाजिक असमानता, असुरक्षिता पैदा करती है, जो बदले में इस तरह का अहसास और बढ़ाती है। हमाये यहाँ धार्मिक तंत्र एवं भगदड़ की घटना का सम्बन्ध इस प्रकार की सोच ही है।

### **भगदड़ की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजना**

- संभावित भगदड़ स्थल का चिन्हिकरण।
- एक समय में कितने लोगों का एकत्रित होना।
- स्थल पर जाने—आने का रास्ता का चिन्हिकरण।
- सड़क के आवागमन का नक्शा।
- स्थल पर भीड़ इकट्ठा होने की क्षमता (समय के अनुसार)।
- एक समय में कितनी भीड़ ठहरती है।
- भीड़ के प्रबन्धन लिए स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था।

- भीड़ वाले स्थल का खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान की रोकथाम के लिए चैकलिस्ट एवं सूचना तैयार करना।
- क्या—क्या खतरा हो सकता है, और उससे क्या नुसकसान हो सकता है, की सूची तैयार करना।
- आपात निकासी, नक्शा तैयार करना एवं विशेषज्ञ से जाँच कर पारित कराना।
- आपातकालीन ठहराव स्थान एवं आवागमन के लिए नक्शा तैयार कर चिन्हिकरण करना।
- आवश्यक अग्नि चेतावनी व्यवस्था एवं अन्य चेतावनी बोर्ड लगवाना।
- भीड़ सम्बोधन यंत्र की व्यवस्था करना।
- प्रथम चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना।
- ट्रोमा सेंटर एवं नजदीकि चिकित्सा सुविधा स्थापित करवाना।
- संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल, प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा लेना।

## अध्याय 12

# विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय

(माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश में दिषा-निर्देश)

विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के जाँच एवं प्रधानाध्यापक द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पूर्व अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन बचाव उपाय एवं आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण की स्थिति नगण्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश 13 अप्रैल 2009 में पारीत कर स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि सभी संचालित विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के सुरक्षा एवं अग्नि बचाव उपाय की पालना सुनिश्चित की जाये। सभी विद्यालयों में तय मानकों के अन्तर्गत अग्निशमन यंत्र लगाये जायें, बिल्डिंग बायलॉज 2005 के अन्तर्गत विद्यालय के भवनों की सुरक्षा मानक तय की जाये एवं आपदा एवं बचाव उपायों पर कार्ययोजना बनाकर सभी स्टाफ एवं छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये। लेकिन जाँच में पाया जा रहा है कि विद्यालय प्रबन्धन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि कई बार आपदा थोड़ी सी लापरवाही से पूर्व में हो चुकी है एवं कई मौतें रिकॉर्ड पर है। सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर आपदा प्रबन्धन योजना एवं आपातकालीन नम्बरों को दर्शाया जाए, विद्यालयों में प्रशासन की मदद से मॉक ड्रिल एवं आवश्यक प्रशिक्षण एक समय सीमा के अन्तराल पर कराई जाये। इस सुरक्षा मामले की लापरवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित न होने पर न्यायसंगत कार्यवाही आदेश में अंकित किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (2 ए) के अन्तर्गत जिला कलक्टर किसी संभावित आपदा को रोकने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, अतः कलक्टर अपने निर्देश से सभी संचालित सरकारी एवं निजी विद्यालयों का आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें, ताकि संभावित आपदा को समय पूर्व रोका जा सके, साथ ही खतरा एवं संवदेनशीलता चिन्हित हो सके।

## अध्याय 13

### आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)

आपदा को चरणबद्ध तरीके एवं सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के लिए राज्य एवं जिला प्रशासनिक स्तर के संगठन में आपसी तालमेल एवं समन्वय की जरूरत होती है, इसी उद्देश्य से जिला स्तर पर आपात प्रतिक्रिया कार्ययोजना तैयार की जाती है। यह योजना एक ही प्लेटफार्म से कई आपदा को एक साथ प्रबन्धन करने का सटीक औजार है, जो आपसी समन्वय से संचालित किया जाता है, ताकि आपदा के प्रभाव को कम समय में कम कर नुकसान एवं क्षति को रोका जा सके। इसके लिए लिखित रूप में प्रभावी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाती है जिसमें प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी तथ की जाती है, जिसका समय—समय पर मॉक ड्रिक एवं चर्चा कर संसाधन एवं आपातकालीन सम्पर्क नम्बर को अपडेट किया जाता है।

#### प्रतिक्रिया (रिस्पोन्स) योजना को लागू करने की प्रक्रिया


- सर्वप्रथम जिले में संभावित विभिन्न आपदा को चिन्हित किया जाये।
- पूर्व की घटित आपदा का विश्लेषण।
- भूगर्भीय व्यवस्था।
- आपदा में संवेदनशीलता की भूमिका।
- सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नुकसान का आंकलन।
- राज्य के गाईडलाईन के आधार पर ईमरजेन्सी रिस्पोन्स कार्यकलाप चिन्हिकरण।
- जिम्मेदार सरकारी एवं अर्द्धसरकारी इंजेन्सी का चिन्हिकरण।
- जिम्मेदार अधिकारी, मानव संसाधन एवं अन्य मौजूद संसाधन का चिन्हीकरण।
- प्रथम एवं द्वितीय एजेंसी का चिन्हिकरण।
- व्यवस्था को सुचारू संचालित करने के लिए प्रशिक्षण, मिटिंग, मॉक-ड्रिल, सेमीनार का बराबर आयोजन।

## आपातकालीन सहायता संचालन की संरचना (ईएसएफ)


ईएसएफ	संचालन	संभावित कार्य	नोडल एजेन्सी /टीम लीडर	सहायता विभाग/एजेन्सी
ईएसएफ 1	समन्वयक	सरकारी तंत्रों में समन्वय स्थापित कर सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को स्थापित कराना।	जिला कलक्टर	पुलिस अधीक्षक, अति. कलक्टर सहायता, सीएमएचओ, नगर परिषद /नगरपालिका /नगरनिगम, पीडब्लूडी, पीएचईडी, विद्युत, जल संसाधन, परिवहन, अग्नि, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं सभी सम्बन्धित विभाग, थानाधिकारी।
ईएसएफ 2	संचार प्रणाली	आपात स्थित में सभी संचार प्रणाली यंत्रों को दुरुस्त कर पुनः स्थापित करना।	जिला पुलिस अधीक्षक	एनआईसी, पुलिस, अग्नि, ईओसी, वायरलेस विभाग, टेलिकॉम विभाग, इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, दुरदर्शन।
ईएसएफ 3	हेल्पलाईन, चेतावनी, आपातकालीन सूचना निर्देशिका	प्रभावित लोगों के बीच सही सूचना उपलब्ध करवाना, सूचना को अपडेट करना, लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकालकर सहायता शिविर तक पहुँचाना	एसडीएम, पुलिस	एनआईसी, एसडीएम, नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद, एनजीओ, मीडिया, वार्ड /ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवक
ईएसएफ 4	खोज एवं बचाव	टूटे हुए मकानों से दबे हुए घायलों को बाहर निकालना, घायलों को तुरन्त चिकित्सा सुविधा के लिए परिवहन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं शिविर की व्यवस्था, इस प्रक्रिया में पूर्ण प्रशिक्षित एवं अनुभवी, खोज एवं बचाव टीक का गठन करना, साथ ही खोजी कुते का प्रबन्ध करना	अग्निशमन अधिकारी, सिविल डिफेंस	अग्नि, सिविल डिफेंस, रेपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गृह रक्षा, आर्मी, पीडब्लूडी, नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद, चिकित्सा, एनजीओ, वार्ड /ग्राम पंचायत प्रतिनिधि
ईएसएफ 5	आपात निकासी	भूकम्प, रासायनिक दुर्घटना, आतंकवादी घटना, बम विस्फोट अग्नि दुर्घटना एवं अन्य आपात स्थिति में लोगों को प्रभावित क्षेत्र	अति. कलक्टर, अति. पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार,	पुलिस, गृह रक्षा, अग्नि विभाग, सिविल डिफेंस, स्वयंसेवक एवं एनजीओ।

		से बाहर निकालना	एसएचओ	
ईएसएफ 6	आपात चिकित्सा सुविधा	घायलों को तुरन्त चिकित्सा, मृत व्यक्ति का निस्तारण, महामारी से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवा	सीएमएचओ	जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, ट्रोमा सेंटर, रेडक्रॉस सोसायटी, नर्सिंग होम, डिसपेन्सरी एवं अन्य चिकित्सा सेवा केन्द्र।
ईएसएफ 7	सहायता	जरूरत एवं प्रभावित लोगों के बीच खाद्य एवं जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना	एडीएम, डीएसओ, सिविल डिफेंस	एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, परिवहन, एनजीओ, सिविल डिफेंस, स्वयं सेवी संस्था।

### जिला नियंत्रण कक्ष का स्वरूप



### INCIDENT RESPONSE SYSTEM FLOW CHART



## अध्याय 14

### आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी

आपात स्थिति एवं सम्भावित आपदा की स्थिति में प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया निम्नानुसार जिम्मेदारी निभाते हैं :

1. प्रभावित क्षेत्र एवं आपात स्थिति की सही जानकारी प्रशासन एवं आमजन के बीच रखने का काम।
2. प्रशासन के साथ सहयोग कर आपात स्थिति को नियंत्रण करना।
3. अफवाह से होने वाले अधिक जान—माल की क्षति को रोकना।
4. आमजनों एवं प्रभावितों के बीच समन्वय स्थापित करना।
5. अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर बचाव कार्यों में मदद करना।
6. सम्भावित खतरे का समय रहते नियंत्रण एवं रोकथाम करने में प्रशासन की मदद करना।
7. आमजनों को प्रेरित कर सुरक्षित माहौल तैयार करने में सहभागिता निभाना।
8. आपात स्थिति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करना।

## अध्याय 15

### राजस्थान राहत कोष

#### (STATE CALAMITY FUND)

अकाल, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्नि, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वालीं जन-धन की क्षति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष (National Calamity Fund) से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएं तथा गैर प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जिनसे होने वाली जन-धन की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं में जनता को सहायता प्रदान कर राहत देने के लिए वर्ष 2005–06 को राज्य के बजट में राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के प्रिप्रेक्ष्य में राजस्थान राहत कोष के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाओं संबंधी प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं।

#### शीर्षक :

राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले इस कोष को राजस्थान राहत कोष कहा जायेगा।

“राजस्थान राहत कोष” का गठन एवं संचालन –

1. इस कोष के लिये राज्य सरकार, राज्य बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार से प्राप्त राशि बिना ब्याज के निजी निक्षेप खाते में रखी जायेगी।
2. किसी दानदाता या संस्था द्वारा इस कोष में उपलब्ध करायी गई सहायता राशि को भी इसी कोष के निजी निक्षेप खाते में जमा की जायेगी।
3. मुख्य मन्त्री सहायता कोष की भाँति इस कोष में दी गयी राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा आयकर विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी अधिसूचना जारी की जायेगी।

4. इस कोष का नियन्त्रण एवं संचालन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. इस कोष के संचालन के लिये राज्य स्तरीय समिति (जिसका गठन आगे उल्लेखित किया गया है) समय समय पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिये सक्षम होगी।

### **राज्य स्तरीय समिति –**

राज्य स्तर पर “राजस्थान राहत कोष” के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी –

मुख्य सचिव	—	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग	—	सदस्य
शासन सचिव, खान विभाग	—	सदस्य
शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	—	सदस्य

## अध्याय 16

### जिला प्रशासन

### महत्वपूर्ण कार्यालय, अस्पताल, ब्लड बैंक एवं अन्य आपातकालीन सम्पर्क

#### 16.1 जिला मुख्यालय सीकर

क्रं. सं.	पद	नाम	एसटीडी कोड 01572		मोबाइल, ई-मेल
			कार्यालय	निवास	
1	विशेषाधिकारी, सीकर संभाग, सीकर	डॉ. मोहन लाल यादव			9414014151
2	विशेषाधिकारी (पुलिस), सीकर संभाग, सीकर	श्री सत्येन्द्र सिंह			9829058100 <a href="mailto:igpsikarrange@gmail.com">igpsikarrange@gmail.com</a> <a href="mailto:patoigp@gmail.com">patoigp@gmail.com</a>
3	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	श्री सौरभ स्वामी	250005 250007 (F)		8792768494 <a href="mailto:dm-sik-rj@nic.in">dm-sik-rj@nic.in</a>
4	जिला पुलिस अधीक्षक	श्री करण शर्मा	270025 270026 (F)	270027	9829070777 <a href="mailto:spsikar@gmail.com">spsikar@gmail.com</a>
5.	विशेषाधिकारी, नीमकाथाना	श्री हजारी लाल अटल			<a href="tel:9414890094">9414890094</a>
6.	विशेषाधिकारी पुलिस नीमकाथाना	श्री अनिल कुमार IPS			<a href="tel:9313193092">93131 93092</a>
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सीकर	श्री राकेश कुमार	270669 259527(F)	270489	8769469603, 9461059603 <a href="mailto:pd-sik-rj@nic.in">pd-sik-rj@nic.in</a>
6	अति. जिला कलक्टर, सीकर	श्री राकेश कुमार	250756	251233	9660173799 <a href="mailto:admsikar@gmail.com">admsikar@gmail.com</a>
7	अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना	श्री अनिल कुमार महला			<a href="tel:9462333330">9462333330</a> <a href="mailto:ADM.NEEMKATHANA@RAJASTHAN.GOV.IN">ADM.NEEMKATHANA@RAJASTHAN.GOV.IN</a>
8	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सीकर	श्रीमती प्रतिभा	259248 271429	250812	9958094403 <a href="mailto:aceo_sik@yahoo.com">aceo_sik@yahoo.com</a>

9	भू.प्र.अ. कम राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	श्री धारा सिंह	256680— 141—2209015	255901	9785420044 <a href="mailto:sosikar76@gmail.com">sosikar76@gmail.com</a>
10	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, सीकर	श्री जयप्रकाश नारायण	294272		9530487850 <a href="mailto:dig.sikar@rajasthan.gov.in">dig.sikar@rajasthan.gov.in</a>

## 16.2 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

### उपखण्ड अधिकारी जिला सीकर

क्र. सं.	पद	नाम	एसटीडी कोड	टेलीफोन		मोबाईल, ई—मेल
				कार्यालय	निवास	
1	उप खंड अधिकारी, सीकर	श्री जय कौशिक	1572	270398	251168	9982885885 <a href="mailto:sdosikar@gmail.com">sdosikar@gmail.com</a> <a href="mailto:SDO.SIKAR@RAJASTHAN.GOV.IN">SDO.SIKAR@RAJASTHAN.GOV.IN</a>
2	उपखण्ड अधिकारी, धोद	श्री मिथलेश कुमार	1572	254800	254900	9694180422 <a href="mailto:sdodhod@gmail.com">sdodhod@gmail.com</a>
3	उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला	श्री बृजेश कुमार	1575	260101		9887007644 <a href="mailto:ero.kha.sik@gmail.com">ero.kha.sik@gmail.com</a>
4	उप खंड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	श्री दिलीप सिंह	1575	251115	252520	8562893895 <a href="mailto:sdm.sik.sri@gmail.com">sdm.sik.sri@gmail.com</a>
5	उप खंड अधिकारी, नीमकाथाना	श्री राजवीर यादव	1574	230237	230037	8890722464 <a href="mailto:sdm.nkt.sik@gmail.com">sdm.nkt.sik@gmail.com</a>
6	उप खंड अधिकारी, फतेहपुर	श्री कपिल कुमार	1571	230065	230028	9680447574 <a href="mailto:sdm.sik.fat@gmail.com">sdm.sik.fat@gmail.com</a>
7	उपखण्ड अधिकारी, रामगढ शेखावाटी	श्री विकास प्रजापत	1571	240016		8209503343 <a href="mailto:ndo.ramshekh@gmail.com">ndo.ramshekh@gmail.com</a>
8	उप खंड अधिकारी,	श्री राकेश	1577	273193		9461246045

	दांतारामगढ़	कुमार एसीईएम खण्डेला(चार्ज)				<a href="mailto:sdodanta@gmail.com">sdodanta@gmail.com</a>
9	उप खंड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	श्री राजेश मीणा	1573	225500	222244	<b>9602022816</b> <a href="mailto:sdm.laxmangarh@gmail.com">sdm.laxmangarh@gmail.com</a>
10.	उपखंड अधिकारी, रींगस	श्री राकेश कुमार एसीईएम खण्डेला(चार्ज)				<b>9461246045</b> <a href="mailto:sdm.ree.sik@gmail.com">sdm.ree.sik@gmail.com</a>
11	उपखण्ड अधिकारी, नेछवा	श्री राजेश मीणा (अति. चार्ज)				<b>9602022816</b>

2

क्रं सं.	पद	नाम	एसटीडी कोड	टेलीफोन		मोबाइल, ई—मेल
				कार्यालय	निवास	
1	ए.सी.एम. (मु.) प्रथम सीकर	श्री सुशील कुमार	1572			<b>9461508622</b> <a href="mailto:acemsikarhq@gmail.com">acemsikarhq@gmail.com</a>
2	ए.सी.एम.द्वितीय सीकर	श्रीमती मुनेश कुमारी	1572			<b>9460512623</b> <a href="mailto:acemsikar2@gmail.com">acemsikar2@gmail.com</a>
3	एसीएम खण्डेला	श्री राकेश कुमार	1575	260101		<b>9461246045</b> <a href="mailto:ero.kha.sik@gmail.com">ero.kha.sik@gmail.com</a>
4	ए.सी.एम(फार्स्टट्रेक) नीमकाथाना	श्री (कार्य.)	1574	230237		<a href="mailto:sdm.nkt.sik@gmail.com">sdm.nkt.sik@gmail.com</a>
5	ए.सी.एम. (फार्स्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	श्री दिलीप सिंह	1575			<b>8562893895</b> <a href="mailto:sdm.sik.sri@gmail.com">sdm.sik.sri@gmail.com</a>
6	ए.सी.एम.	श्री राकेश	1577	273193		<b>9461246045</b>

	,(फास्टट्रेक) दांतारामगढ	कुमार एसीईएम खण्डेला(चार्ज)			sdodanta@gmail.com
7	सहायक कलक्टर फास्टट्रेक,लक्ष्मणगढ	श्री राजेश कुमार मीणा (कार्य.)	1573	225500	9602022816
					sdm.laxmangarh@gmail.com

### 16.3 जिला स्तरीय अधिकारीगण

विभाग	पद	नाम	टेलीफोन		मोबाइल, ई—मेल
			कार्यालय	निवास	
ARD & Public Services	सहायक निदेशक, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग, सीकर	श्रीमती इन्दिरा शर्मा	—	—	<b>9460331301</b> <a href="mailto:ardsikar@gmail.com">ardsikar@gmail.com</a>
Agriculture	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, सीकर	श्री रामनिवास पालीवाल	274912	—	<b>9414624502</b> <a href="mailto:ddagr.sikar@rajasthan.gov.in">ddagr.sikar@rajasthan.gov.in</a> <a href="mailto:ddagr_sik@rediffmail.com">ddagr_sik@rediffmail.com</a>
Agriculture	संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, सीकर	श्री दयानन्द	245661	—	<b>9414689888</b> <a href="mailto:dam.dd.sikar@rajasthan.gov.in">dam.dd.sikar@rajasthan.gov.in</a>
Agriculture	परियोजना निदेशक, आत्मा, कृषि विभाग, सीकर	श्री राम रत्न स्वामी	274912	—	<b>9887860493</b> <b>(Dy. PD. Shankar Lal 9928736814)</b>
Agriculture	अधिशासी अभियंता, राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड सीकर	श्री जे.सी. गढवाल	259143	—	<b>9413313233</b> <a href="mailto:eersambsikar@gmail.com">eersambsikar@gmail.com</a>
Agriculture	कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि विभाग, सीकर		274912	245961	<a href="mailto:ddagr_sik@rediffmail.com">ddagr_sik@rediffmail.com</a>
Animal Husbandry	संयुक्त निदेशक, पशुपालन, सीकर	श्रीमती सुमित्रा	256723	240623	<b>9414773843</b> <a href="mailto:ddahskr@gmail.com">ddahskr@gmail.com</a>
Anti Corruption	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर	श्री राजेश कुमार जागिड	249494	—	<b>9694899999</b> <a href="mailto:acb.op.skr@gmail.com">acb.op.skr@gmail.com</a>
AVVNL	अधीक्षण अभियंता, अ०वि०वि०एन०एल० सीकर	श्री बी.एल.गुप्ता (चार्ज)	272064 272736 273250	272061	<b>9414004069</b> <a href="mailto:sescskr@yahoo.com">sescskr@yahoo.com</a>

AVVNL	अधिशाषी अभियन्ता (ओएण्डएम) अ०वि० वि०नि०लि० सीकर	श्री विरेन्द्र खीचड़	272072	270374	<b>9413392125</b> <a href="mailto:xenonmadsikar@gmail.com">xenonmadsikar@gmail.com</a>
AVVNL	अधिशाषी अभियन्ता (ग्रामीण) अ.वि.वि.नि.लि. सीकर	श्री हेमराज	273596	258597	<b>9413392057</b> <a href="mailto:avvnlxenonmruralskr@gmail.com">avvnlxenonmruralskr@gmail.com</a>
AVVNL	अधिशाषी अभियन्ता, एवीवीएनएल, रींगस	श्री सुभाष देवड़ा	224227	—	<b>9413392058</b> <a href="mailto:xenreengus@gmail.com">xenreengus@gmail.com</a>
AVVNL	अधिशाषी अभियन्ता, अ०वि०वि०नि०लि० नीमकाथाना	श्री राम सिंह यादव	230125	230126	<b>9413392059</b> <a href="mailto:xenneemkathana@gmail.com">xenneemkathana@gmail.com</a>
AVVNL	अधीक्षण अभियन्ता, ट्रांसमिशन, आरवीपीएनएल सीकर	श्री ओम प्रकाश वर्मा	273250	—	<b>9414061099</b>
AVVNL	अधिशाषी अभियन्ता, ट्रांसमिशन, आरवीपीएनएल सीकर		273250	—	<b>9413392963</b> <a href="mailto:xen.tnc.sikar@rvpn.co.in">xen.tnc.sikar@rvpn.co.in</a>
Bank	अग्रणी जिला प्रबन्धक, सीकर	श्री धीरज कुलहरि	272865 272537	271294	<b>7790922052</b> <a href="mailto:ldmsikar@pnb.co.in">ldmsikar@pnb.co.in</a>
Bank	एम.डी. सी.सी.बी. सीकर	श्री योगेश शर्मा	256775	—	<b>9772405222</b> <a href="mailto:ccbsikar.gen@gmail.com">ccbsikar.gen@gmail.com</a>
Bank	सचिव, भूमि विकास बैंक, सीकर	श्री विक्रम सिंह राठोड़	254449	—	<b>9414700534</b> <a href="mailto:pldb_skr@yahoo.com">pldb_skr@yahoo.com</a>
BSNL	महाप्रबंधक, दूरसंचार जिला प्रबन्धक सीकर	श्री सतवीर सिंह	242300	271500	<b>9413395566</b> <a href="mailto:tdmsikar@gmail.com">tdmsikar@gmail.com</a>
Circuit House	मैनेजर सर्किट हाउस, सीकर	श्री राजेश महला	245138	245138	<b>9414631652</b> <a href="mailto:circuithousestikar@yahoo.in">circuithousestikar@yahoo.in</a>
Cooperative	उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, सीकर	श्री महेन्द्र पाल सिंह	253763	—	<b>9460085584,</b> <a href="mailto:drsikar.coop@rajasthan.gov.in">drsikar.coop@rajasthan.gov.in</a>
Cooperative Soceity	मैनेजर कय विक्रय सह. समिति सीकर	श्री विजय सिंह	253258	—	<b>9413163081</b> <a href="mailto:sikarkvss@gmail.com">sikarkvss@gmail.com</a>
CTO	उपायुक्त, राज्य कर विभाग सीकर सर्किल-ए (सीकर शहर)	संजू चौधरी	252598	256817	<b>9462311451</b> <a href="mailto:ac-sikar@rajasthan.gov.in">ac-sikar@rajasthan.gov.in</a>
CTO	उपायुक्त, राज्य कर	श्री दारा सिंह	252598	—	<b>9413013207</b>

	विभाग सीकर. सर्किल—बी सीकर				<a href="mailto:ac.sikar.b@rajasthan.gov.in">ac.sikar.b@rajasthan.gov.in</a>
Dairy	प्रबंध संचालक डेयरी, पलसाना	श्री राजीव जैन	255862	-	<b>9829262723</b>
					<a href="mailto:sikardairy@gmail.com">sikardairy@gmail.com</a>
DIO	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सीकर	श्री अनिल शर्मा	254650	250827	<b>9928571199</b> <b>9530314602</b>
					<a href="mailto:rajsik@nic.in">rajsik@nic.in</a> <a href="mailto:anil.sharma@nic.in">anil.sharma@nic.in</a>
DoIT&C, Sikar	सिस्टम एनालिस्ट, (संयुक्त निदेशक), जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर	श्री सत्यनारायण चौहान			<b>9784018380</b>
DoIT&C, Sikar	एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक), जिला कार्यालय, , सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सीकर	श्री मुकेश गाडेदिया	270196 251630	-	<b>8058751245</b>
					<a href="mailto:dlo.doit.sikar@rajasthan.gov.in">dlo.doit.sikar@rajasthan.gov.in</a>
Education (Higher)	वाईस चान्सलर, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	श्री भागीरथ सिंह बिजारणिया	272100 273100	-	<b>9829266377</b>
					<a href="mailto:reg.shekhauni@gmail.com">reg.shekhauni@gmail.com</a>
Education (Higher)	रजिस्ट्रार, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	श्री राजवीर चौधरी	272100 273100	-	<b>9414781167</b>
					<a href="mailto:reg.shekhauni@gmail.com">reg.shekhauni@gmail.com</a>
Education (Higher)	प्राचार्य (विज्ञान) कल्याण राजा० महाविद्यालय, सीकर	श्री रणवीर सिंह		-	<b>9414624795</b>
					<a href="mailto:skgcsikar@gmail.com">skgcsikar@gmail.com</a>
Education (Higher)	प्राचार्य (वाणिज्य) श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर	डॉ. प्रेम परिहार	250330	-	<b>9950303608</b>
					<a href="mailto:comcollegesikar@gmail.com">comcollegesikar@gmail.com</a>
Education (Higher)	प्राचार्य (कला) श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर	डॉ. पुष्पा चौधरी	232040	-	<b>9928364126</b>
					<a href="mailto:rskholiaprincipal@gmail.com">rskholiaprincipal@gmail.com</a> <a href="mailto:artscollegesikar@gmail.com">artscollegesikar@gmail.com</a>
Education (Higher)	प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, सीकर	श्रीमती निलीमा भार्गव	242800	-	<b>9414390472</b>
Education (Higher)	प्राचार्य, विधि कॉलेज, सीकर	श्री सुरेश नायक(कार्य.)	251041	-	<b>9887783414</b>
					<a href="mailto:glicsikar2005@yahoo.in">glicsikar2005@yahoo.in</a>

Education (Higher)	प्राचार्य, संस्कृत कॉलेज, सीकर	श्री मनोज कुमार सोरठा	-	-	<b>9413184959</b>
Education	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर	श्री लालचंद नहलिया (चार्ज)	-	-	<b>9772232989</b>
Education	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) प्रथम सीकर	श्री शीशराम कुल्हरी	251220	244555	<b>9829798640</b>
					<b><a href="mailto:deosecsikar@rediffmail.com">deosecsikar@rediffmail.com</a></b>
Education	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, सीकर	श्री लालचंद नहलिया	248044	-	<b>9772232989</b>
					<b><a href="mailto:deoelesikar@yahoo.in">deoelesikar@yahoo.in</a></b>
Education	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, सीकर	श्री राकेश कुमार लाटा	251246	-	<b>9414039868</b>
					<b><a href="mailto:dlceo.sikar.rj@rajasthan.gov.in">dlceo.sikar.rj@rajasthan.gov.in</a></b>
Education	प्राचार्य, नवोदय विद्यालय, पाटन	श्री हरिप्रसाद बैरवा	282237	-	<b>8963080970, 9530375393</b>
					<b><a href="mailto:invpsikar@gmail.com">invpsikar@gmail.com</a></b>
Education	प्रधानाचार्य, डाईट सीकर		248008	-	<b><a href="mailto:dietskr@gmail.com">dietskr@gmail.com</a></b>
Education	एडीपीसी, समग्र शिक्षा, सीकर	श्रीमती विनोद जानू	258011	-	<b>9413110058</b> <b><a href="mailto:smsasikar@gmail.com">smsasikar@gmail.com</a></b>
Education	प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, सीकर	श्री के.सी.मीणा	297069	-	<b>9413729721</b> <b>9712894475</b>
					<b><a href="mailto:kvsikar@yahoo.com">kvsikar@yahoo.com</a></b>
Education	प्राचार्य श्री कल्याण रस्कूल सीकर	श्री पवन कुमार शर्मा	-	-	<b>9460238634</b>
Education	प्राचार्य पॉलीटेक्निक कॉलेज, सीकर	श्री मदनलाल रोहलण	274020	-	<b>9950060626</b> <b><a href="mailto:gpc.sikar@rajasthan.gov.in">gpc.sikar@rajasthan.gov.in</a></b>
Employement	जिला रोजगार अधिकारी, सीकर	श्री राकेश चौधरी	245112	-	<b>9166488950</b>
					<b><a href="mailto:deo.skr.emp@rajasthan.gov.in">deo.skr.emp@rajasthan.gov.in</a></b>
Excise	जिला आबकारी अधिकारी, सीकर	श्री सुमेरसिंह मीणा	248650	-	<b>9414055949</b>
					<b><a href="mailto:deo.sikar.excise@rajasthan.gov.in">deo.sikar.excise@rajasthan.gov.in</a></b>
Forest	उप वन संरक्षक, सीकर	श्री वीरेन्द्र सिंह कृष्णिया	274094	-	<b>9414080642</b>
					<b><a href="mailto:forest@rajasthan.gov.in">forest@rajasthan.gov.in</a></b>
Food	जिला रसद अधिकारी,	श्री सुशील	270417	-	<b>9461508622</b>

	सीकर	कुमार			<a href="mailto:dsofood-sik-rj@nic.in">dsofood-sik-rj@nic.in</a>
Food	प्रवर्तन अधिकारी, सीकर	श्री नरेश शर्मा	270417		<b>9460641769</b>
Food	बाट माप अधिकारी, एलएमओ	श्री भगवती पालीवाल		-	<b>9251630262</b>
Ground Water	भू-जल वैज्ञानिक, सीकर	श्री दिनेश कुमार	257077	-	<b>9829175305</b> <a href="mailto:hydrokskr@gmail.com">hydrokskr@gmail.com</a>
Ground Water	सहायक अभियंता, सीकर	श्री महेन्द्र कुमार सबल		-	<b>8302654987</b> <a href="mailto:hydrokskr@gmail.com">hydrokskr@gmail.com</a>
Home Guard	कमान्डेन्ट होमगार्ड, सीकर	श्री राजेश यादव	240060	-	<b>9414669276</b> <a href="mailto:comdt.skr.rj@nic.in">comdt.skr.rj@nic.in</a>
Horticulture		श्री प्रमोद कुमार	274038	-	<b>9413005213</b> -
Horticulture	उप निदेशक उद्यान, सीकर	श्री हरदेव सिंह बाजिया	274038	-	<b>9414469061</b> <a href="mailto:adhorti_sikar@rediffmail.com">adhorti_sikar@rediffmail.com</a> <a href="mailto:adhortisikar@gmail.com">adhortisikar@gmail.com</a>
ICDS	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास वि०, सीकर	श्रीमती सुमन पारीक CDPOSikar सुश्री रिया पुनिया— 9351650384	250016	-	<b>9460866847</b> <a href="mailto:ddicdssikar@gmail.com">ddicdssikar@gmail.com</a>
Women Empowerment	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता	डॉ. अनुराधा सक्सेना	250015	-	<b>9414243009</b> <a href="mailto:SIKAR.WE@RAJASTHAN.GOV.IN">SIKAR.WE@RAJASTHAN.GOV.IN</a> <a href="mailto:powedwda2014@gmail.com">powedwda2014@gmail.com</a>
Industries	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर	श्रीमती विकास सिहाग	245434	-	<b>9414773754</b> <a href="mailto:dicsikar@rajasthan.gov.in">dicsikar@rajasthan.gov.in</a>
Industries	वरिष्ठ महाप्रबन्धक क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, सीकर	श्री अनिल खण्डेलवाल	245657	246005	<b>9413337831</b> <a href="mailto:sikar@riico.co.in">sikar@riico.co.in</a>
(Water Resoures) Irrigation	अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन (सिंचाई) सीकर	श्री अजय चौधरी	248614	-	<a href="mailto:eewrdsikar@gmail.com">eewrdsikar@gmail.com</a>
ITI	अधीक्षक, आई.टी.आई. सीकर	श्रीमती सुमन झूकिया	246129		<b>9636086651</b> <a href="mailto:iti_sikar@yahoo.co.in">iti_sikar@yahoo.co.in</a>
Jail	अधीक्षक, जिला कारापाल, सीकर	श्री पृथ्वी सिंह कविया	249167	-	<b>9887485253</b> <a href="mailto:disttjailskr@yahoo.com">disttjailskr@yahoo.com</a>

Krishi Upaj Mandi	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर	श्री देवेन्द्र सिंह बारठ	245562	256416	<b>9829120090, 7403333301</b> <a href="mailto:kums.sikar@rajasthan.gov.in">kums.sikar@rajasthan.gov.in</a>
Krishi Upaj Mandi	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीमाधोपुर	श्रीमती सुमन चौधरी	250042	—	<b>9799200572</b> <a href="mailto:kums.srimadh@rajasthan.gov.in">kums.srimadh@rajasthan.gov.in</a>
Krishi Upaj Mandi	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, नीमकाथाना	श्री श्रीराम सैनी	230069	—	<b>9928753728</b>
Krishi Upaj Mandi	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पलसाना	सुमन कुमारी	—	—	<b>9799200572</b>
Krishi Upaj Mandi	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, फतेहपुर	श्री देवेन्द्र सिंह बारठ (चार्ज)	230088	—	<b>9829120090, 7403333301</b>
Labour	सहायक श्रम आयुक्त सीकर (चार्ज)	‘श्री राकेश चौधरी (चार्ज)	253043	—	<b>9166488950</b> <a href="mailto:alc.sikar.lc@gmail.com">alc.sikar.lc@gmail.com</a>
Legal (ADP)	सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर	श्री परमेश्वर बैरवाल	254254	—	<b>9414604412</b>
Legal	उप विधि परामर्शी, कलेक्ट्रेट, सीकर	श्री अमर सिंह बगडिया			<b>9414832974</b> <a href="mailto:litesdmskr@gmail.com">litesdmskr@gmail.com</a>
Medical	प्रिसिपल मेडिकल कॉलेज, सीकर	डॉ. शिव रत्न कोचर	—	—	<b>9414251468</b> <a href="mailto:principal.mc.sikar@rajasthan.gov.in">principal.mc.sikar@rajasthan.gov.in</a>
Medical					
Medical	प्रिसिपल आयुर्वेद कॉलेज, सीकर	श्री सत्यनारायण			<b>9413069910, 9358037480</b> <a href="mailto:gacsikar21@gmail.com">gacsikar21@gmail.com</a>
Medical	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	डॉ. निर्मल सिंह		270799	<b>9414527300, 8094664388</b> <a href="mailto:dpmu_sikar@yahoo.co.in">dpmu_sikar@yahoo.co.in</a> <a href="mailto:cmhosikar@gmail.com">cmhosikar@gmail.com</a>
Medical	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सीकर	डॉ. हर्षल चौधरी	248210	252839	<b>7046201988</b> <a href="mailto:cmho_swsikar@yahoo.com">cmho_swsikar@yahoo.com</a> <a href="mailto:aaddcmho.fwsikar@gmail.com">aaddcmho.fwsikar@gmail.com</a>
Medical	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर	डॉ. सी. पी. ओला	248211	—	<b>9563000000</b>

Medical	जिला शिशु स्वारक्ष्य एवं प्रजनन रोग अधिकारी, सीकर	डॉ. निर्मल सिंह		—	<b>9414527300 8094664388 <a href="mailto:rcho-sik-rj@nic.in">rcho-sik-rj@nic.in</a></b>
Medical	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एस.के. हॉस्पीटल सीकर	डॉ. महेन्द्र खीचड़	251093	—	<b>9828705526</b>
				—	<b><a href="mailto:pmo_sikar@yahoo.in">pmo_sikar@yahoo.in</a></b>
Medical	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नीमकाथाना	डॉ. योगेश शर्मा			<b>9414412570</b>
	ट्रेमा यूनिट, एस.के. हॉस्पीटल	डॉ. महेश चौधरी, डिप्टी कन्ट्रोलर	270499	—	<b>9414255127</b>
Medical	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अजीतगढ़	डॉ. ओपी वर्मा			<b>9829575733</b>
Medical	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठाधिगियो, लक्ष्मणगढ़	डॉ. शिशराम	1573	224235	<b>9950480933</b>
Medical	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठाधिगियो, फतेहपुर	डॉ. दिलीप सिंह	1571	233923	<b>9950921811</b>
Medical	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठाधिगियो, कुदन	डॉ. परमानन्द अटल	1572	234420	<b>8058939686</b>
Medical	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठाधिगियो, पिपराली	डॉ. अजीत शर्मा	1572	226757	<b>7597519040</b>
Medical	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठाधिगियो, दांता	डॉ. अश्वनी स्वामी	1577	273292	<b>9784140068</b>
Medical	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठाधिगियो, श्रीमाधोपुर	डॉ. जयप्रकाश सैनी	1575	261230	<b>9887080814</b>
Medical	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठाधिगियो, खण्डेला	डॉ. नरेश पारिक			<b>9829386719</b>
Medical	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठाधिगियो, नीमकाथाना	डॉ. अशोक यादव	1574	231826	<b>9828330399</b>
Medical	टी.बी.विलनिक, सीकर	डॉ. विशाल भडिया	—	—	<b>9413339226 <a href="mailto:dtorjskr@rntcp.org">dtorjskr@rntcp.org</a></b>
Medical	अधिशाषी अभियंता, (एनआरएचएम) चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य सीकर	श्री महेन्द्र कुमार सैनी	270329	—	<b>9571605794</b>
					<b><a href="mailto:eerhsdp@gmail.com">eerhsdp@gmail.com</a></b>
Medical	उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, सीकर	डा बनवारी लाल शर्मा	254404	250758	<b>9928307039</b>
					<b><a href="mailto:dao.sik.ayu@rajasthan.gov.in">dao.sik.ayu@rajasthan.gov.in</a></b>
Mines	खनि अभियन्ता, सीकर	श्री रामलाल सिंह	249183	—	<b>9549011789</b>
					<b><a href="mailto:me.sikar@rajasthan.gov.in">me.sikar@rajasthan.gov.in</a></b>
Mines	सहाय खनि अभियन्ता, सीकर	श्री सुभाष चन्द	—	—	<b>9462256533</b>
					<b>6375105689</b>

Mines	सहारो खनि अभियन्ता, नीम का थाना	श्री अम्मीचंद	—	—	<b>8104036901</b> <a href="mailto:ame.neemkathana@rajasthan.gov.in">ame.neemkathana@rajasthan.gov.in</a>
Minority	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, सीकर	श्री रवि झाझडिया	248046	—	<b>9782297430</b> <a href="mailto:sikar.mino@rajasthan.gov.in">sikar.mino@rajasthan.gov.in</a>
NABARD	डी.डी.एम. नाबार्ड, सीकर	श्री एम.एल. मीना	274221	—	<b>9587242221</b> <a href="mailto:sikar@nabard.org">sikar@nabard.org</a>
Nagar Parishad	आयुक्त नगर परिषद, सीकर	श्री शशिकान्त शर्मा	270422	270625	<b>9829519994</b> <a href="mailto:sikarulb.jaipur@gmail.com">sikarulb.jaipur@gmail.com</a>
Nagar Parishad	अधिशाषी अभियंता, न.प. सीकर		270422	—	<a href="mailto:sikarulb.jaipur@gmail.com">sikarulb.jaipur@gmail.com</a>
Nagar Parishad	फायर ऑफिसर	श्री सम्पत सिंह	—	—	<b>9461056929</b>
	J.En.	श्री प्रवीण 7737208216	—	—	<a href="mailto:sikarulb.jaipur@gmail.com">sikarulb.jaipur@gmail.com</a>
National Highway	अधिशाषी अभियंता, नेशनल हाईवे	श्री रोहिताश			<b>9461104900</b>
National Highway	अधिशाषी अभियंता, सानियि नेशनल हाईवे, चूरू	श्री के.सी.मीणा	—	—	<b>9414271363</b> <a href="mailto:piureengus@nhai.org">piureengus@nhai.org</a> <a href="mailto:jai@nhai.org">jai@nhai.org</a>
	परियोजना निदेशक, एनएचएआई, सीकर	श्री अजय कुमार आर्या (चार्ज)	249090	—	<b>9414009633</b>  <b>89498868395</b>
National Highway	टेक्नीकल मैनेजर	श्री अर्जुन सैनी			<b>7200500347</b>
NCC	कमाण्डेंट, एनसीसी, सीकर	कर्नल अरविन्द रीषी			<a href="mailto:9818533206nccsikar@gmail.com">9818533206nccsikar@gmail.com</a>
Nehru Yuwa Kendra	जिला युवा अधिकारी सीकर	श्री मोहित कुमार	257320	—	<b>8920398051</b> <a href="mailto:nyksikar57@gmail.com">nyksikar57@gmail.com</a>
	पासपोर्ट ऑफिसर, सीकर	श्री बीएस रावत	243001 243002 243003	—	<b>7982769514</b> <a href="mailto:rpo.jaipur@mea.gov.in">rpo.jaipur@mea.gov.in</a>
PHED	अधीक्षण अभियन्ता, जलदाय विभाग, सीकर	श्री चुन्नीलाल	274029	270350	<b>9414037272</b> <a href="mailto:phedsikar@gmail.com">phedsikar@gmail.com</a>
	अधिशाषी अभियन्ता, जलदाय विभाग, सीकर	श्री कैलाश चंद माली	270619	270703	<b>8003705407</b> <a href="mailto:eephedskr@gmail.com">eephedskr@gmail.com</a>
PHED	अधिशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग, नीमकाथाना	श्री रामकरण मीणा	230162	230163	<b>9414059283</b> <a href="mailto:xenphednkt@gmail.com">xenphednkt@gmail.com</a>

Planning	मुख्य आयोजना अधिकारी, सीकर	श्री अरविन्द सामौर	254398	240486	<b>9414469152</b> <a href="mailto:cpo_sik@yahoo.com">cpo_sik@yahoo.com</a>
Public Services	सहायक निदेशक, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग, सीकर	श्री राकेश लाटा	—	—	<b>9414039868</b>
					<a href="mailto:ardsikar@gmail.com">ardsikar@gmail.com</a>
Polytechnic	प्राचार्य, पोलिटेक्निक कॉलेज सीकर	श्री मुकेश जैन	274020	—	<b>9414461256</b> <a href="mailto:gpc.sikar@gmail.com">gpc.sikar@gmail.com</a>
Pollution	रीजनल ऑफिसर, पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड सीकर	श्री नीरज शर्मा	248009	—	<b>9414120532</b>
					<a href="mailto:rorpcb.sikar@rajasthan.gov.in">rorpcb.sikar@rajasthan.gov.in</a>
Pollution	कनिष्ठ अभियंता पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड सीकर	श्रीमती सविता	—	—	<b>9983411222</b>
PRO	सहायक निदेशक, जिला जनसंपर्क अधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, सीकर	श्री पूरण मल	270833	—	<b>9602613716</b>
					<a href="mailto:prosikar@gmail.com">prosikar@gmail.com</a>
PRO	सहायक जिला जनसंपर्क अधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, सीकर	श्री राकेश कुमार ढाका	270833	—	<b>9660692676</b>
PWD	अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि, सीकर	श्री महेन्द्र सिंह झाझड़िया	242797	251244	<b>9587008410</b> <a href="mailto:piu_sikar1@rediffmail.com">piu_sikar1@rediffmail.com</a>
PWD	अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. सीकर	श्री सज्जन सिंह	251142	244381	<b>9571496370</b>
					<a href="mailto:skr_ee@rediffmail.com">skr_ee@rediffmail.com</a>
PWD	अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. ग्रामीण, सीकर	श्री गोपाल सिंह	251142	244381	<b>9414013555</b> <a href="mailto:skr_ee@rediffmail.com">skr_ee@rediffmail.com</a>
PWD	अधिशासी अभियन्ता सानिवि खण्ड नीमकाथाना	श्री जे.पी. यादव	230139	232921	<b>9799298171</b> <a href="mailto:eednnkt@gmail.com">eednnkt@gmail.com</a>
PWD	परियोजना निदेशक (पीपीपी)	श्रीमती अनिता	—	—	<b>8875650729</b>
RSRDC	परियोजना निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.	श्री बाबूलाल छबरवाल	—	—	<b>9784775811</b>
RFC	प्रबन्धक, आर.एफ.सी. सीकर	—	245552	—	<a href="mailto:ppchaturvedi@rfc.rajasthan.gov.in">ppchaturvedi@rfc.rajasthan.gov.in</a>
RGAVP	डी.पी.एम.राज.ग्रामीण आजीविका विकास	श्रीमती अर्चना मोर्य	251570	—	<b>9950184132</b>

	परिषद(आरजीएवीपी) (एनआरएलएम)				<a href="mailto:dpmsikar@gmail.com">dpmsikar@gmail.com</a>
RGAVP	प्रबंधक (वित्त) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद	श्री एच.एस. मिश्रा	251570	-	<b>9414097627</b>
					<a href="mailto:dpmsikar@gmail.com">dpmsikar@gmail.com</a>
Roadways	मुख्य प्रबंधक रा.रा.प.प. नि.सीकर	श्रीमति मुंकेश लाल्हा	270412 270339	251599	<b>9549653221</b>
					<a href="mailto:rsrtc.cmskr@yahoo.com">rsrtc.cmskr@yahoo.com</a>
RSLDC	जिला कौशल समन्वयक (DSC) राज.कौशल एवं आजीविका विकास निगम, सीकर	श्री सुफियान अहमद	248043	-	<b>7742233353</b>
					<a href="mailto:dsc_sikar@ashapurnaprojects.com">dsc_sikar@ashapurnaprojects.com</a>
RUIDP	अधिशाषी अभियन्ता, लक्ष्मणगढ व फतेहपुर	श्री हरि बाबू			<b>9414084627</b>
SCDC	परियोजना प्रबंधक अनु. जाति वित्त एवं विकास नि0, सीकर	श्री ओम प्रकाश राहड	252803	-	<b>9461117772</b>
					<a href="mailto:sipmscdc@gmail.com">sipmscdc@gmail.com</a>
Scout	सी.ओ. स्काउट सीकर	श्री बसन्त कुमार लाटा	-	-	<b>8005542370, 8003097167</b> <a href="mailto:cossikar@rediffmail.com">cossikar@rediffmail.com</a>
Scout Hindustan	डी ओ स्काउट सीकर	श्री मुकेश कुमार सैनी			<b>7615860910</b> <a href="mailto:hsgrajsikar@gmail.com">hsgrajsikar@gmail.com</a>
SI & GPF	सहायक निदेशक, रा0 बी0 एवं प्रा0निधि विभाग सीकर	सुश्री योगबाला	271122		<b>9460840370</b>
					<a href="mailto:dd.sik.sipf@rajasthan.gov.in">dd.sik.sipf@rajasthan.gov.in</a>
Social Justice	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर	श्री ओम प्रकाश राहड	294940		<b>9461117772</b>
					<a href="mailto:sjesikar@yahoo.com">sjesikar@yahoo.com</a>
Social Justice	सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण एवं बाल आधिकारिता विभाग, सीकर	श्रीमती गार्गी शर्मा	-	-	<b>9413200039</b> <a href="mailto:ad.icps.sikar@rajasthan.gov.in">ad.icps.sikar@rajasthan.gov.in</a>
Social Justice	परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सीकर	सुश्री पिंकी गोडवाल	-	-	<b>9672570880</b>
Social Justice	परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर		248940	-	
					<a href="mailto:sjesikar@yahoo.com">sjesikar@yahoo.com</a>
Social Justice	परिवीक्षा अधिकारी, सम्प्रेषण गृह, सीकर	श्रीमती प्रियंका पारीक	-	-	<b>9462271594</b>
Social	अधीक्षक सम्प्रेषण गृह, सीकर	श्री गोविन्द प्रतिहार (चार्ज)	-	-	
Soldier	जिला सैनिक कल्याण	कर्नल राजेन्द्र	254437	-	<b>9422327411</b>

Welfare	अधिकारी सीकर	सिंह			<a href="mailto:zskasikri@gmail.com">zskasikri@gmail.com</a>
Soldier Welfare	सैनिक कल्याण अधिकारी, नीमकाथाना	कर्नल अजय शर्मा	231920	-	<b>7767844007</b>
					<a href="mailto:zskasikri@gmail.com">zskasikri@gmail.com</a>
Sports	जिला खेल अधिकारी, सीकर	श्री अशोक कुमार	274771	242853	<b>9587932277</b>
					<a href="mailto:sikarstadium@gmail.com">sikarstadium@gmail.com</a>
Statistics	सहायक निदेशक, सांख्यिकी विभाग सीकर	डॉ. अनिल शर्मा	255524	254599	<b>9460402951, 9001119392</b>
					<a href="mailto:dsoskr.des@rajasthan.gov.in">dsoskr.des@rajasthan.gov.in</a>
Tourism	सहायक निदेशक पर्यटन, सीकर	सुश्री अनु शर्मा			<b>9529834057</b>
Tourism	अति. पर्यटन अधिकारी, सीकर	श्री आनन्द भारद्वाज		-	<b>9783829100</b>
					<a href="mailto:tourism.sikar@rajasthan.gov.in">tourism.sikar@rajasthan.gov.in</a>
Tourism	जिला संग्रहालय अध्यक्ष	श्री सोहन लाल चौधरी अति. चार्ज	257473	-	<b>9414455543</b>
					<a href="mailto:curmus.sikar@gmail.com">curmus.sikar@gmail.com</a>
Town Planner	जिला नगर नियोजक, सीकर	मौ. अजर जाटू	-	-	<b>9602459474</b>
					<a href="mailto:azzex@yahoo.com">azzex@yahoo.com</a>
Transport	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर	जगदीश अमरावत	249353 248546	-	<b>6375103784</b>
					<a href="mailto:rto.sikar.tport@rajasthan.gov.in">rto.sikar.tport@rajasthan.gov.in</a>
Transport	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर	श्री मनोज कुमार			<b>9414139738</b>
Transport	जिला परिवहन अधिकारी, सीकर	श्री बजरंग लाल		-	<b>9413085176</b>
					<a href="mailto:rto.sikar.tport@rajasthan.gov.in">rto.sikar.tport@rajasthan.gov.in</a>
Treasury	कोषाधिकारी, सीकर	श्री महेश कुमार शर्मा	251084	257090	<b>9413245505</b>
					<a href="mailto:to-sik-rj@nic.in">to-sik-rj@nic.in</a>
Treasury	लेखाधिकारी, कलेक्टर, सीकर	सरिता कुमारी	251008	-	<b>9649987646</b>
					<a href="mailto:ao.sikar.accts@gmail.com">ao.sikar.accts@gmail.com</a>
Treasury Pension	लेखाधिकारी, पेंशन सीकर	श्रीमती संतरा			<b>9352732005</b>
UIT	सचिव, यू.आई.टी., सीकर	श्री राजपाल यादव	251240	-	<b>9413915103</b> <a href="mailto:uitsikar@gmail.com">uitsikar@gmail.com</a>
Zila Parishad	अधीक्षण अभियंता वाटर शेड, सीकर	श्री रमेश कुमार मीणा	270628	-	<b>7891274892</b>
					<a href="mailto:dwdu.sikar@gmail.com">dwdu.sikar@gmail.com</a>
Zila Parishad	अधिशासी अभियन्ता, एमपी व एमएलए लेड जि.प.सीकर	श्री विनोद दाधीच	250317	-	
					<a href="mailto:mis.sik.zp@gmail.com">mis.sik.zp@gmail.com</a>
Zila Parishad	अधिशासी अभियन्ता, पंचायत प्रकोष्ठ जिला परिषद, सीकर	श्री विनोद दाधीच (चार्ज)	-	-	<b>99822-25212</b>

Zila Parishad	अधिशाषी अभियंता, मनरेगा	श्री विनोद दाधीच	-	-	<b>99822-25212</b>
Police	पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर				<b>01572-270037</b>

## 16.4 तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ उप पंजीयक

### तहसीलदार जिला सीकर

क्रं. सं.	पद	नाम	एसटीडी कोड	टेलीफोन		मोबाईल, ई—मेल
				कार्यालय	निवास	
1	तहसीलदार, सीकर	श्री अमीलाल मीणा	1572	270391	270391	<b>9928260683</b> <a href="mailto:tehsildarsikar@gmail.com">tehsildarsikar@gmail.com</a>
2	तहसीलदार, सीकर (ग्रामीण)	श्री अविनाश चौधरी	1572			<b>8076704561</b>
3	तहसीलदार, धोद	श्री श्री बजरंगलाल मीणा (चार्ज)	1572	257280		<b>9950835949</b> <a href="mailto:tehsildardhod@gmail.com">tehsildardhod@gmail.com</a>
4	तहसीलदार, खण्डेला	श्री विजय बाजिया (चार्ज)	1575	260034		<b>8209374780</b> <a href="mailto:teh.sik.kha@gmail.com">teh.sik.kha@gmail.com</a>
5	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर	श्री लोकेन्द्र सिंह	1575	250096	251115	<b>8764005199</b> <a href="mailto:tdrsmpr@gmail.com">tdrsmpr@gmail.com</a>
6	तहसीलदार, नीमकाथाना	श्री सज्जन कुमार लाटा	1574	230002	230002	<b>9530023100</b> <a href="mailto:tdr.sik.nee@gmail.com">tdr.sik.nee@gmail.com</a>
7	तहसीलदार, फतेहपुर	श्री रामचन्द्र गुर्जर	1571		230094	<b>9887408511</b> <a href="mailto:tdrfatehpur@gmail.com">tdrfatehpur@gmail.com</a>
8	तहसीलदार, रामगढ शेखा.	श्री जयसिंह मीणा	1571			<b>9587593915</b> <a href="mailto:tdr.ramshekh@gmail.com">tdr.ramshekh@gmail.com</a>
9	तहसीलदार, दांतारामगढ़	श्री विपुल चौधरी	1577	272333	272333	<b>9636364434</b> <a href="mailto:tehsildantaramgarh@yahoo.in">tehsildantaramgarh@yahoo.in</a>
10	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़	श्री अमरसिंह (कार्य.)	1573	222225		<b>9414038051</b> <a href="mailto:tehsildarlaxsikar@gmail.com">tehsildarlaxsikar@gmail.com</a>
11	तहसीलदार, नेछवा	श्री नारायण राम दैया				<b>9463377571</b>
12	तहसीलदार पाटन	श्री मुनेश सरवा				<b>7733971023</b>
13	तहसीलदार रींगस	श्रीमती सुमन देवी				<b>9660015153</b>

सूची-टेलीफोन नंबर  
नायब तहसीलदार जिला सीकर

क्रं. सं.	पद	नाम	एसटीडी कोड	टेलीफोन		मोबाइल, ई-मेल
				कार्यालय	निवास	
1	नांतह0, सीकर	श्री राजेन्द्र नेहरा	1572	270391		<b>9983988094</b> <a href="mailto:nayabtehsildarsikar@gmail.com">nayabtehsildarsikar@gmail.com</a>
2	नांतह0, धोद	श्री बजरंगलाल मीणा				<b>9950835949</b> <a href="mailto:nayabtehsildhod@gmail.com">nayabtehsildhod@gmail.com</a>
3	नांतह0, खण्डेला	श्री विजय बाजिया	1575	260034		<b>8209374780</b> <a href="mailto:nt.sik.kha@gmail.com">nt.sik.kha@gmail.com</a>
4	नां तह0, श्रीमाधोपुर	ज्योति वर्मा				<b>8058899831</b> <a href="mailto:nayabtdr.sri.smpr@gmail.com">nayabtdr.sri.smpr@gmail.com</a>
5	नांतह0, नीमकाथाना	श्री राजेन्द्र	1574	230002		<b>9929447757</b> <a href="mailto:nayabtdr.nee.sikar@gmail.com">nayabtdr.nee.sikar@gmail.com</a>
6	नां तह0, फतेहपुर	श्री पवन कुमार				<b>9414350955</b> <a href="mailto:tdrfatehpur@gmail.com">tdrfatehpur@gmail.com</a>
7	नांतह0, पलसाना	श्री महिपाल सिंह	1576			<b>9351140663</b> <a href="mailto:nayabtdr.palsana.sikar@gmail.com">nayabtdr.palsana.sikar@gmail.com</a>
8	नां तह0, दांतारामगढ	श्री प्रेम चन्द				<b>9460836935</b> <a href="mailto:nayabtdr.dantaramgarh.sikar@gmail.com">nayabtdr.dantaramgarh.sikar@gmail.com</a>
9	नां तह0, लक्ष्मणगढ	श्री अमरसिंह	1573	222225		<b>9414038051</b> <a href="mailto:nayabtdr.lax.sikar@gmail.com">nayabtdr.lax.sikar@gmail.com</a>
10	नांतह0,उप तह0,नेछवा	श्री				<a href="mailto:nayabtdr.nechwa.sikar@gmail.com">nayabtdr.nechwa.sikar@gmail.com</a>
11	नांतह0उप तह0,अजीतगढ	ज्योति वर्मा (आति. चार्ज)				<b>8058899831</b> <a href="mailto:nayabtdr.sri.ajeetghar@gmail.com">nayabtdr.sri.ajeetghar@gmail.com</a>
12	नांतह0उप तह0,पाटन	श्री सीताराम कुमावत				<b>9660574548</b> <a href="mailto:nayabtdr.pat.sikar@gmail.com">nayabtdr.pat.sikar@gmail.com</a>
13	नांतह0उप तह0, लोसल	श्री संतोष				<b>9461495338</b>

		कुमार			nayabtdr.losal.sikar@gmail.com
14	ना०तह०उप तह०, रामगढ	श्री पद्म सिंह मीणा			9571256554
15	नायब तहसीलदार, रींगस	श्री झूँडाराम कुड़ी			9413857302
16	नायब तहसीलदार, सीकर ग्रामीण	श्री बाबूलाल			9460925024

**सूची—टेलीफोन नंबर**  
**उप पंजीयक जिला सीकर**

क्र. सं.	पद	नाम	एसटीडी कोड	टेलीफोन		मोबाइल, ई—मेल
				कार्यालय	निवास	
1	उप पंजीयक, सीकर	श्री भीमसेन सैनी	1572	270234		9269262052 <a href="mailto:subregistsikar23@gmail.com">subregistsikar23@gmail.com</a>
3	उप पंजीयक, दांतारामगढ	श्री विपुल चौधरी (अति. चार्ज)				9636364434

## 16.5 विकास अधिकारी जिला सीकर

**विकास अधिकारी जिला सीकर**

क्र. सं.	पद	नाम	एसटीडी कोड	टेलीफोन		मोबाइल, ई—मेल
				कार्यालय	निवास	
1	विकास अधिकारी, नीमकाथाना	श्री कृष्ण मुरारी छलिया	1574	230036	230037	9414606729 <a href="mailto:bdo.sik.nee@gmail.com">bdo.sik.nee@gmail.com</a>
2	विकास अधिकारी, पाटन	श्री राजूराम सैनी	1574			9783388761, 9530309135 <a href="mailto:bdo.sik.patan@gmail.com">bdo.sik.patan@gmail.com</a>
3	विकास अधिकारी, खण्डला	श्री मुरारीलाल पारीक	1575	260023	260023	9414400090 <a href="mailto:bdo.sik.kha@gmail.com">bdo.sik.kha@gmail.com</a>
4	विकास अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	श्री रामधन डॉडी	1573	222223	222223	9414675898 <a href="mailto:bdo.sik.lax@gmail.com">bdo.sik.lax@gmail.com</a>
5	विकास अधिकारी, पिपराली	श्री सुरेश कुमार पारीक	1572	226442 226002	226442	9887004427 <a href="mailto:bdo.sik.pip@gmail.com">bdo.sik.pip@gmail.com</a>
6	विकास अधिकारी, धोद (मु.)	श्री महावीर प्रसाद	1572	256195		8955688821 <a href="mailto:bdo.sik.dho@gmail.com">bdo.sik.dho@gmail.com</a>

	सीकर)					
7	विकास अधिकारी, श्रीमाधोपुर	श्री अजयसिंह (चार्ज)	1575	250033	250033	<b>8233723502</b>
						<a href="mailto:bdo.sik.sri@gmail.com">bdo.sik.sri@gmail.com</a>
8	विकास अधिकारी, फतेहपुर	श्री सुनील कुमार ঢাকা	1571	230023		<b>9928783666</b>
						<a href="mailto:bdo.sik.fat@gmail.com">bdo.sik.fat@gmail.com</a>
9	विकास अधिकारी, दांतारामगढ़	श्री रामनिवास জাঙ্গড়িয়া (চার্জ)	1577	270053	270053	<b>8502843647</b>
						<a href="mailto:bdo.sik.dan@gmail.com">bdo.sik.dan@gmail.com</a> <a href="mailto:bdo.sik.dant@rajasthan.gov.in">bdo.sik.dant@rajasthan.gov.in</a>
10	विकास अधिकारी, अजीतगढ़	श्री अजयसिंह	1575	250033	250033	<b>8233723502</b>
						<a href="mailto:bdo.sik.sri@gmail.com">bdo.sik.sri@gmail.com</a>
11	विकास अधिकारी, पलसाना	श्री गोपाल सिंह बोचलिया	1572	226442 226002	226442	<b>9829474233</b>
						<a href="mailto:bdo.sik.pip@gmail.com">bdo.sik.pip@gmail.com</a>
12	विकास अधिकारी, नेछवा	श्री सागरमल সামোতা	1573	222223	222223	<b>8058010998</b>
						<a href="mailto:bdo.sik.lax@gmail.com">bdo.sik.lax@gmail.com</a>

## 16.6 आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी

### आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी

क्र.सं.	पद	नाम	एसटीड १ कोड	टेलीफोन		मोबाइल, ई—मेल
				कार्याल य	निवा स	
1	आयुक्त, सीकर	श्री शशिकांत शर्मा	1572	270422	3 <sup>05</sup>	<b>9829519994</b> <a href="mailto:sikarulb.jaipur@gmail.com">sikarulb.jaipur@gmail.com</a> <a href="mailto:MCSIKAR.LSG@RAJASTHAN.GOV.IN">MCSIKAR.LSG@RAJASTHAN.GOV.IN</a>
2	सचिव, नप, सीकर	श्रीमती रेखा मीणा	1572	270422		<b>9460864425</b>
3	राजस्व अधिकारी	1. श्री प्रमोद कुमार      2. श्री মহেশ কুমার				<b>7014655241</b> <b>9636129408</b>
4	अधिशाषी अभियंता, सीकर		1572	270422		

5	आयुक्त, न.प. फतेहपुर	श्री नूर मोहम्मद खां	1571	230052		9829230911 <a href="mailto:fatehpur.jaipur@yahoo.com">fatehpur.jaipur@yahoo.com</a>
6	अधि.अधि. खण्डेला	श्रीमती ममता	1575	260029		8104366063 <a href="mailto:khandela.ulb@gmail.com">khandela.ulb@gmail.com</a>
7	अधि.अधि. लोसल	श्री सहदेव दान चारण	1577	275321		9887898313 <a href="mailto:nagarpalika.losal@gmail.com">nagarpalika.losal@gmail.com</a>
8	अधि.अधि. लक्ष्मणगढ़	श्री अशोक कुमार	1573	222335	2 <sup>05</sup>	7300381583, 9414403674 <a href="mailto:laxmangarh.jaipur@yahoo.com">laxmangarh.jaipur@yahoo.com</a>
9	अधि.अधि. नीमकाथाना	श्री नारायण	1574	230035		9314469266 <a href="mailto:neemkathana.jaipur@yahoo.com">neemkathana.jaipur@yahoo.com</a>
10	अधि.अधि. रिंगस	श्री सीताराम कुमावत	1575	224854		9772466517 <a href="mailto:ringas.jaipur@gmail.com">ringas.jaipur@gmail.com</a>
11	अधि.अधि. रामगढ़ शे०	श्री नूर मोहम्मद खां (चार्ज)	1571	240246		9829230911 <a href="mailto:ramgarh.jaipur@gmail.com">ramgarh.jaipur@gmail.com</a>
12	अधि.अधि. श्रीमाधोपुर	श्री रजत जैन	1575	250016		9024070733, 7597787608 <a href="mailto:shrimadhopur.jaipur@yahoo.com">shrimadhopur.jaipur@yahoo.com</a>
13	अधि.अधि. अजीतगढ़	श्री रघुवीर वर्मा	1575			8619644242 <a href="mailto:shrimadhopur.jaipur@yahoo.com">shrimadhopur.jaipur@yahoo.com</a>
14	अधि. अधि. दांता					-
15	अधि. अधि. खाटूश्यामजी	श्री अरुण कुमार शर्मा				8112241840

सूची—टेलीफोन नंबर

अध्यक्ष यूआईटी/सभापति/अध्यक्ष नगर परिषद/पालिका

क्र. सं	पद	नाम	एसटीड ी कोड	टेलीफोन		मोबाइल, ई—मेल
				कार्याल य	निवा स	
1	मा.अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, सीकर	जिला कलक्टर, सीकर	1572	251240		
1	सभापति, सीकर	श्री जीवण खां	1572	270422 270635	3 <sup>05</sup>	9462258786 <a href="mailto:chairmanjeevankhan@gmail.com">chairmanjeevankhan@gmail.com</a>
2	अध्यक्ष,न.पा.	श्री याकुब मलकान	1575	260029	3 <sup>05</sup>	9414444946

	खण्डेला					
3	अध्यक्ष, न.पा. लोसल	श्रीमती समु नागौरी	1577	220321	2 <sup>05</sup>	<b>9571334172</b>
4	अध्यक्ष, न.पा. फतेहपुर	श्री मुश्ताक नाज़मी	1571	230052		<b>9829377106</b>
5	अध्यक्ष, न.पा. लक्ष्मणगढ़	श्री मुश्तफा कुरेशी	1573	222335		<b>9820610313</b>
6	अध्यक्ष, न.पा. नीमकाथाना	श्री सरिता दीवान	1574	230035	2 <sup>05</sup>	<b>9929091758</b>
7	अध्यक्ष, न.पा. रामगढ़ शे०	श्री दूदाराम	1571	240246		<b>9784730805</b>
8	अध्यक्ष, न.पा. रींगस	श्री अशोक कुमार	1575	224854		<b>9829946772</b>
9	अध्यक्ष, न.पा. खाटूश्यामजी	श्रीमती ममता देवी				<b>7357934958</b>
9	अध्यक्ष, न.पा. श्रीमाधोपुर	श्री हरिनारायण महत	c	250016		<b>9680835873</b>

#### सूची—टेलीफोन नंबर

जिला प्रमुख उप प्रमुख, प्रधान पंचायत समिति

क्र. सं.	पद	नाम	एसटीड १ कोड	टेलीफोन		मोबाइल, ई—मेल
				कार्याल य	निवा स	
1	जिला प्रमुख	गायत्री कंवर	1572	271429 253960		<b>9414037237, 7850959476</b>
2	उप जिला प्रमुख	श्री ताराचन्द धायल	1572			<b>9414036988</b>
3	प्रधान, घोद	सुनीता	1572	256195		<b>9828074821</b>
4	प्रधान, दांतारामगढ़	श्रीमती गेन्द कंवर	1577	270053		<b>9829109740</b>
5	प्रधान फतेहपुर	श्रीमती शाति देवी	1571	230023	2 <sup>05</sup>	<b>9983489822</b>
6	प्रधान,	श्री गिरीराज	1575	260023	2 <sup>05</sup>	<b>9829009923</b>

	खण्डेला					
7	प्रधान, लक्ष्मणगढ	श्री मदनलाल	1573	222223		9414082121
8	प्रधान, नीमकाथाना	श्रीमती मन्जू देवी	1574	230036	2,05	9929204685
9	प्रधान, पिपराली	मनभरी देवी	1572	226002		9799685069
10	प्रधान, पाटन	श्री सुवालाल	1574			9799759329
11	प्रधान, श्रीमाधो पुर	श्रीमती रामकोरी	1575	250033		9887827493
12	प्रधान अजीतगढ	श्री शंकर लाल यादव				9828315113
	प्रधान पलसाना	सुनीता				9772445256
	प्रधान नेछवा	श्रीमती सन्तरा देवी				8432746731

## 16.7 माननीय सांसद / विधायकगण

### माननीय सांसद / विधायकगण

क्र. स.	पद नाम	नाम जनप्रतिनिधि	दल	टेलिफोन कार्यालय	मोबाईल, ई—मेल
1	मा.सांसद लो.स. क्षेत्र सीकर	श्री सुमेधानन्द सरस्वती	बीजेपी	एसटीडी –01572 259000	9414038755 <a href="mailto:sss.piprali@gmail.com">sss.piprali@gmail.com</a>
2	विधायक, वि.स.क्षेत्र लक्ष्मणगढ	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा नवलगढ रोड सीकर।	कांग्रेस	एसटीडी–01572 248971	9414037971 (घर) 9983337971 हेमन्त पीए—9772011650 <a href="mailto:mladotasra.lax@gmail.com">mladotasra.lax@gmail.com</a>
3	मा. विद्यायक वि.स. क्षेत्र, सीकर	श्री राजेन्द्र पारीक	कांग्रेस		9414040007 <a href="mailto:rajupareeksikar@gmail.com">rajupareeksikar@gmail.com</a>
4	मा. विद्यायक वि.स. क्षेत्र, धोद	श्री परसराम मोरदीया	कांग्रेस		9928070899 / 9928070599 / 9414173366 <a href="mailto:parasramordiya@gmail.com">parasramordiya@gmail.com</a>
5	मा.विधायक, वि.स.	श्री दीपेन्द्र सिंह	कांग्रेस	पुत्र बालेन्द्र—	9829066602, 9462222222

	क्षेत्र, श्रीमाधोपुर			9251000000	<a href="mailto:balendushekawat@yahoo.co.in">balendushekawat@yahoo.co.in</a>
6	मा. अध्यक्ष, किसान आयोग, राजस्थान एवं मा.विधायक, वि.स. क्षेत्र खण्डेला	श्री महादेव सिंह	कांग्रेस	0141-2227271	<a href="tel:9928045458">9928045458</a> <a href="mailto:sukhdev.kajla@gmail.com">sukhdev.kajla@gmail.com</a> <a href="mailto:chairman.rka@gmail.com">chairman.rka@gmail.com</a>
7	मा.विधायक, वि.स. क्षेत्र दांतारामगढ़	श्री विरेन्द्र सिंह नि. वीरेन्द्र भवन, नवलगढ़ रोड़ सीकर।	कांग्रेस	01572-	<a href="tel:9829219188">9829219188</a> <a href="mailto:vsinghb.skr@gmail.com">vsinghb.skr@gmail.com</a>
8	मा.विधायक वि.स. क्षेत्र नीमकाथाना	श्री सुरेश मोदी	कांग्रेस		<a href="tel:9829060864">9829060864</a> <a href="mailto:sureshmodi0019@gmail.com">sureshmodi0019@gmail.com</a>
9	मा. विधायक, वि.स. क्षेत्र फतेहपुर	श्री हाकम अली	कांग्रेस		<a href="tel:7742011786">7742011786</a> <a href="mailto:hakamalikhan1@gmail.com">hakamalikhan1@gmail.com</a>
10	मा.अध्यक्ष, भा.ज.पा. सीकर	श्रीमती इन्द्रा चौधरी	भाजपा		<a href="tel:9468687547">9468687547</a> <a href="mailto:indragathala@gmail.com">indragathala@gmail.com</a>
11	मा.अध्यक्ष, कांग्रेस सीकर	श्रीमती सुनिता गठाला	कांग्रेस		<a href="tel:9982188777">9982188777</a> <a href="mailto:sunitagathalainc@gmail.com">sunitagathalainc@gmail.com</a>

## 16.8 जिला पुलिस सीकर

नाम अधिकारी	पदनाम	कोड	कार्यालय	निवास	CUG BSNL	मोबाइल नं.
श्री उमेश चन्द्र दत्ता IPS	महानिरीक्षक जयपुर रेंज	141	2281824		8764514102	81305 37778
श्री सत्येन्द्र सिंह IPS	विशेषाधिकारी सीकर रेंज	1572	291251			98290 58100
श्री मोहन लाल यादव	विशेषाधिकारी सीकर संभाग	1572				94140 14151
श्री अन्तर सिंह नेहरा	संभागीय आयुक्त जयपुर	141	2201096		99287 33699	99287 33699
श्री सौरभ स्वामी	कलवटर एवं जिला मजिस्ट्रेट	1572	250005	250006	9530314600	8792768494
श्री हजारीलालअटल IAS	विशेषाधिकारी नीमकाथाना	1572				94148 90094

श्री करन शर्मा IPS	पुलिस अधीक्षक ,सीकर	1572	270025	270027	8764523201	98290 70777
श्री अनिल कुमार IPS	ओएसडी पुलिस नीमकाथाना	1574				93131 93092
श्री रामचन्द्र मूण्ड RPS	विशेषाधिकारी पुलिस सीकर	1572	270028	270029	8764523301	94138 57020
श्री गिरधारी लाल RPS	अ.पु.अ. नीमकाथाना	1574	231061	232361	8764523302	94133 67555
श्री RPS	अ.पु.अ. म.अप.अनु.सैल सीकर	1572	299598		8764863711	
चार्ज सीओ सीटी	पु.उ.अ SC/ST Cell	1572	270045		8764523407	
चार्ज पु.उ.अ. यातायात	पु.उ.अ.SIUCAW Sikar	1572	299598		8764863800	
श्री कमल कुमार CI	SHO महिला थाना	1572	270295		8764523504	98292 10029
श्री विकास कुमार RPS	पु.उ.अ. यातायात / साईबर	1572	251210		9530431226	94148 92937
श्री अनुज डाल	आरपीएस प्रोबेश्नर					96100 00088
श्री कस्तुर वर्मा	साईबर थाना सीकर	1572	294989			94629 27501
श्री विरेन्द्र कुमार RPS	C.O. Sikar City	1572	270031	270032	8764523401	98299 08726
श्री पवन कुमार चौबे CI	SHO कोतवाली सीकर	1572	270030		8764523501	99507 25386
श्री अशोक चौधरी CI	SHO सदर सीकर	—'—	274035		8764523502	99291 07580
श्री निवास जांगिड CI	SHO उद्योगनगर	—"—	252200		8764523503	70232 75530
	SHO गोकुलपुरा					
श्री नरेन्द्र कुमार RPS	C.O. Sikar Rural	—'—	270033	270034	8764523402	63775 37316

श्री राकेश कुमार मीणा SI	SHO धोद	1572	236511			99508 39711
श्री पवन कुमार SI	SHO वादिया	1572	297181		8764523505	94605 76862
श्री कैलाश चन्द SI	SHO रानोली	1576	220363		8764523506	94144 37712
श्री राजेश विद्यार्थी RPS	C.O. Fatehpur	1571	231616 F	230078	8764523403	9414316150
श्री गुर भूपेन्द्र सिंह CI	SHO कोतवाली फतेहपुर	1571	230039		8764523508	87698 13000
श्री कृष्ण कुमार CI	SHO फतेहपुर सदर	1571	230302		8764523509	98282 02036
श्री हेमराज S.I	SHO रामगढसेठान	1571	240373		8764523510	94603 52251
श्री श्रवण कुमार झोरड़	C.O. Laxmangarh	1573	224100		8764523404	97728 41260
श्री मनोज कुमार	SHO लक्ष्मणगढ	1573	222247		8764523511	80057 85231
श्री अनुज डाल RPS	SHO नेछवा	1570	220228		8764523512	96100 00088
श्री कैलाश यादव आ	SHO बलारा	1573	250100		8764523513	90014 10025
चार्ज सीओ खण्डेला	C.O.Neemkathana	1574	230061	232661	8764523405	
श्री भंवर लाल कुमावत CI	SHO नीमकाथाना शहर	1574	230062		8764523514	98292 25620
श्री श्री विकम सिंह SI	SHO नीमकाथाना सदर	1574	232162		8764523515	98283 03504
श्री राजेश कुमार SI	SHO पाटन	1574	282222		8764523516	94143 61270
	SHO डाबला					
चार्ज सीओ रिंगस	C.O.Ajitgarh	1575				

श्री सुनिल जांगीड SI	SHO अजीतगढ	1575	222010		8764523517	94143 49255
श्री मुकेश कुमार SI	SHO श्रीमाधोपुर	1575	250055		8764523521	98874 67192
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा SI	SHO थोई	1575	288322		8764523518	94145 18991
श्री सुरेन्द्र सिंह	C.O.Khandela	1574				94143 21699
श्री जगदीश प्रसाद उ. नि.	SHO खण्डेला	1575	260035		8764523519	9929245039
	SHO जाजोद					
श्री महावीर सिंह	C.O. Reengus	1575	224905	224100	8764523406	94144 05054
श्री महेन्द्र सिंह CI	SHO रींगस	1575	224235		8764523520	99280 55778
श्री सुभाष यादव S.I.	SHO खाटू	1576	231046		8764523522	94146 81415
श्री जाकिर अख्तर	C.O. Dantaramgarh	1577	294300			94133 40555
श्री सोहन लाल CI	SHO दांतारामगढ	1577	272337		8764523523	94140 91999
श्री पुष्पेन्द्र सिंह S.I.	SHO लोसल	1577	275343		8764523507	70145 06259
श्री अमर सिंह S.I.	यातायात सीकर शहर	—	—		8764864024	79764 36626
श्री मदन लाल पु.नि.	विशेष अनु० यूनिट सीकर					94621 77877
श्री दयाल सिंह ASI	I/C DSB Sikar	1572	253300 पासपोर्ट		8764863604	9772770733
श्री गिरधारी लाल HC	I/C Pasport Sikar				9530431281	9414363926
श्रीमती सुनिता सैनी	ए.एच.टी.यू. सीकर	1572	241600		8764864027	96364 33625

श्री रोहिताश स.उ.नि.					8764864136	94139 82300
.श्री पवन कुमार चौबे CI	संचित निरीक्षक सीकर	1572			8764864029	99507 25386
श्री शोकत अली S.I	MTO Police Line Sikar				8764864030	94143 20858
श्री राममनोहर CI	अपराध सहायक					97846 06050
श्री श्रीराम सउनि	I/C Control Room	1572	270037 F	95304 31200	8764863700 —	94146 64288
श्रीअशोककुमार HC 812	pcr.sikar@rajpolice.gov.in 95304 31194	DO		24धन्दे चालू	8764864052	94149 51738
श्री राजेन्द्रप्रसाद HC 78	IP 81584	DO			9530431199	94147 17653
श्री भगवान सिंह HC 38		DO				94609 31831

## 16.9 अग्निशमन विभाग

क्र.सं.	अग्निशमन केन्द्र	वाहन नम्बर	प्रकृति	क्षमता	सम्पर्क व्यक्ति का नाम व नम्बर	सम्पर्क नम्बर
1	नेहरू पार्क सीकर	आरजे 23 ईए 0110	वाटर बाउजर	14500 लीटर	जाट सम्पतनारायण सहायक अग्निशमन अधिकारी सम्पर्क नं 9461056929	8875014101
		आरजे 23 ईए 0872	वाटर बाउजर	4500 लीटर		
		आरजे 24 ईए 0642	मिनि वाटर बाउजर	2000 लीटर		
		आरजे 23 ईए 0015	मिनि वाटर बाउजर	2000 लीटर		

		आरजे 23 ईए 1019	बोलरो	500 लीटर		
2		आरजे 23 ईए 0047	वाटर टेन्डर	6000 लीटर		
		आरजे 23 ईए 0075	वाटर टेन्डर	14500 लीटर		
3	रीको ऐरिया	आरजे 23 ईए 0075	वाटर बाउजर	14500 लीटर		8875577101 01572246102
4		आरजे 23 ईए 0015	केश टेन्डर	6000 लीटर		
5		आरजे 23 ईए 0872	वाटर / फोम टेन्डर			
6		आरजे 23 ईए 0642	मिनी टेन्डर	4000 लीटर		
7	नीमकाथाना	आरजे 23 ईए 0831	वाटर / फोम टेन्डर	6000 लीटर	सहदेव सांगव 7023795337 विकास 8440034809	नगर पालिका 01574230035
8	श्रीमाधोपुर	आरजे 23 ईए 0853	मिनी वाटर टेन्डर	500 लीटर वाटर + 100 लीटर फोम (खराब)	गोकुल पुनिया फायर मैन 9829926271	नगर पालिका 01575250016
9	रींगस (रीको) ऐरिया	आरजे 23 ईए 0622	फोम टेन्डर	5000 लीटर+ 500 लीटर फोम	विजयसिंह फायर मैन 8386894305 8290867686	राकेश शर्मा एआरएम 9460624360 9414041167
	रींगस नगर पालिका	आरजे 23 ईए 0844		6000 लीटर	गोपाल 9414774602	नगर पालिका 01573222335

10	खाटूश्यामजी	आरजे 0691	23 ईए	वाटर / फोम टेन्डर	5000 लीटर	हरी 8949452100 9636459092	प्रबंधक मन्दिर ट्रस्ट 01576231182
11	लोसल	आरजे 0842	23 ईए	मिनी वाटर टेन्डर	500 लीटर	मनोज 9982201360 गजेन्द्र 9982612538	नगर पालिका 01577220321
12	फतेहपुर	आरजे 0068 खराब एपी05793	23 ईए	वाटर / फोम टेन्डर	3000 लीटर 7000 लीटर	सत्यनारायण सैनी 9950599080	नगर पालिका 01571230052

### 16.10 चिकित्सा विभाग

क्र. सं.	उपखण्ड	बीसीएमओ	मोबाइल नम्बर	फोन
1	लक्ष्मणगढ़	डॉ. शीशराम	9950480933	01573-224235
2	फतेहपुर	डॉ. दीलिप सिंह	9950921841	01571-233923
3	कुदन	डॉ. एस.एस. जाटोलिया	9414664923	01572-234420
4	पीपराली	डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला	9413644714	01572-226757
5	दांता	डॉ. आर.एस. जांगिड़	9829424175	01577-273292
6	श्रीमाधोपूर	डॉ. ओमप्रकाश झारवत	9772240130	01575-261230
7	खण्डेला	डॉ. रामकुमार बाजिया	9460757424	
8	नीमका थाना	डॉ. मुकेश डिग्रवाल	9828084789	01574-231826

### 16.10 जिला अस्पताल एवं ब्लड बैंक

S.No	Hospital Name	Type	Phone No.
1	S K Hospital, Sikar	Govt.	01572-251093
2	S B Mittal Memorial Hospital, Sikar	Private	01572-250404

3	K M Jain Hospital, Sikar	Private	01572-253032
---	--------------------------	---------	--------------

### 16.10.1 ब्लड स्टोर इकाई जिला सीकर

S.No	Hospital Name	Type	Phone No.
1	CHC Laxmangarh	Govt.	01573-222800
2	CHC Fatehpur	Govt.	01571-230067
3	SDH Neemkathana	Govt.	01574-231900

### 16.11 – 108, एंबुलेंस आपातकालीन सूची

S.No	Block	Place of Deployment	Registration No
1	Srimadhopur	Police station Reengus	RJ14PB8097
2	Fathepur	S.D.M Office Fatehpur	RJ14PB0109
3	Srimadhopur	Block office srimadhopur	RJ14PB0896
4	Fathepur	Chc Ramgarh	RJ14PB1025
5	Neemkathana	Police station Neem Ka Thana	RJ14PB1061
6	Laxmangarh	Police Chowki Laxmangarh	RJ14PB5131
7	Piprali	Chc Piprali	RJ14PB5135
8	Danta	Police station Danta (Ramgarh)	RJ14PB6193
9	Kudan	CHC Dhod	RJ14PB6840
10	Khandela	Chc Khandela	RJ14PB7099
11	Danta	Police station Losal	RJ14PB7299
12	Neemkathana	Police station Patan	RJ14PB8093
13	Khandela	Phc Thoi	RJ14PB0091
14	Piprali	Police station Ranoli	RJ14PB8102
15	Fathepur	PHC Tajsar	RJ14PB8334
16	Laxmangarh	CHC Nechawa	RJ14PB8336
17	Kudan	Phc Phagalva	RJ14PC5087
18	Sikar City	Police station sadar,Sikar	RJ14PC5088
19	Srimadhopur	CHC Ajitgarh	RJ14PC5474
20	Fathepur	CHC Beswa	RJ14PC5476
21	Fathepur	PHC Harsava	RJ14PC7434
22	Kudan	Sub Centre, Sevad Badi	RJ14PC7432
23	Sikar City	S K Hospital, Sikar	RJ14PC7439
24	Neemkathana	PHC Chala	RJ14PC7532

### 16.11.1 — 104, एंबुलेंस आपातकालीन सूची

S.No.	Block Name	Location	Vehicle No.	Vehicle Mob. No.
1	Danta	Kochhor	RJ-23-PA-5690	8696914104
2	Fathepur	Dantru	RJ-23-PA-5692	8696918104
3	Khandela	Kanwat	RJ-23-PA-5687	8696946104
4	Kudan	Kudan (CHC)	RJ-23-PA-5693	8696919104
5	Kudan	Fatehpura	RJ-23-PA-5682	8696943104
6	Laxmangarh	Nechwa	RJ-23-PA-5691	8696911104
7	Laxmangarh	Panlawa	RJ-23-PA-5685	8696910104
8	Neemkathana	Guhala (CHC)	RJ-23-PA-5688	8696902104
9	Neemkathana	Toda	RJ-23-PA-5686	8696917104
10	Neemkathana	Dabla	RJ-23-PA-5689	8696913104
11	Piprali	Tarpura	RJ-23-PA-5684	8696916104
12	Srimadhopur	Mundru	RJ-23-PA-5683	8696232104
13	Srimadhopur	Srimadhopur (CHC)	RJ-23-PA-6773	8696910046
14	Neemkathana	Neemkathana (CHC)	RJ-23-PA-6772	8696910045
15	Fathepur	Fathepur (CHC)	RJ-23-PA-6774	8696910044

### 16.12 आपदा प्रबन्धन विभाग एवं प्राधिकरण

पदनाम	विभाग / प्राधिकरण	सम्पर्क
उपाधीक्षक	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नई दिल्ली	011-26701701 011-26701704
कार्यकारी निदेशक	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली	011-2702445
महानिदेशक	राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद बल	011-26712851 011-26882786
मंत्री	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	0141-2227362 0141-2786996
मुख्य सचिव	राजस्थान सरकार	0141-2227254 0141-2574477
शासन सचिव	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	0141-2227014
शासन उप सचिव	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	0141-2227985
वित्तीय सलाहकार	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	0141-2227102
विशेषाधिकारी प्रथम	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	0141-2227885

सहायक शासन सचिव	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	0141—2227084
विशेषाधिकारी द्वितीय	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	0141—2227403
प्रशासनिक अधिकारी	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	0141—2227084
राज्य नियंत्रण कक्ष	आपदा प्रबंधन एवं सहायता फैक्स—0141—2227230 ई—मेल relief-rj@nic.in Website- www.dmrelief.rajasthan.in	0141—2227296 0141—5110869 0141—2227603 टोल फ़ी— 1070

#### 16.13 राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाइल नम्बर
1.	श्री नवलकिशोर दायमा	सहा.अनु. अधिकारी	9351537838
2	श्री भगवान सहाय गुप्ता	अधिशाषी अभियंता	9468651631
3.	श्री गोविन्द सिह	अधिशाषी अभियंता	9661182500
4	श्री रामहंस सैनी	अधिशाषी अभियंता	941293024
5	श्री मुकेश शर्मा	अधिशाषी अभियंता	9829271567

#### 16.14 सेना/वायु सेना अधिकारी/नोडल अधिकारी

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पता	दूरभाष एवं मोबाइल
1.	ले. कर्नल लक्ष्मण तिवाड़ी (सेना)	61 सब एरिया जयपुर	0141—2249058 मो. 9462544508 फैक्स 0141—2249058
2.	श्री एम.एस. नायडू स्क्वाड्रन लिडर (वायुसेना)	आमेर रोड जल महल के पीछे, जयपुर	0141—2671901 मो. 9958398111 फैक्स 0141—267603
3	श्री एस. महाजन फ्लाईंग आफिसर	आमेर रोड जल महल के पीछे, जयपुर	मो. 8978497282
4	मे. आदित्य राय	एचक्यू 20 इन्फेन्ट्री बीडीई	मो. 9649580688

### 16.15 मौसम विभाग

क्र.सं.	नाम	पता	दूरभाष मोबाइल नम्बर
1.	श्री जी.एस. नलराले	निदेशक, मौसम विभाग जयपुर	0141-2790194 मो. 9960365255 फैक्स 0141-2793254

### 16.16 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय	मोबाइल
1	डॉ अनुराग प्रसाद	अधीक्षण अभियन्ता वृत्त सीकर	251029	9929529999
2	श्री गिरधारी लाल	अ.अ. एवं त.स.	251029	9460151711
3	श्री प्रकाशचन्द्र सुण्डा	अ.अ. (मोने०)	251029	9983041897
4	श्री अर्जुनलाल गुर्जर	लेखाधिकारी	251029	9414467870
5	श्री सत्यवीर यादव	क०अ० लक्ष्मणगढ़	222269	
6	रिक्त	क०अ० ग्रामीण	222269	
7	रिक्त	क०अ० नेछवा (01570)	220350	220350
8	रिक्त	क०अ० लक्ष्मणगढ़	222269	

### 16.17 सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय	मोबाइल
1	श्री जी.सी. पंवार	अधीक्षण अभियन्ता	9928363652	1572-242797
2	श्री शिवनाथ सिंह	अधिशासी अभियन्ता एवं तकनिकी सहायक	9829302611	1572-242797
3	श्री डी.पी. सोनी	सहायक अभियन्ता (मोनेटरिंग)	9414037614	1572-242797
4	श्री भागरीथमल	अधिशासी अभियन्ता गुण नियंत्रण	9413419705	01572-251142

5	श्री हेमाराम रणवां	सहायक अभियन्ता गुण नियंत्रण	9414260408	01572—251142
6	श्री जे.पी. यादव	अधिशासी अभियन्ता सीकर	9799298171	01572—251142
7	श्री देवेश भार्गव	सहायक अभियन्ता एवं तकनिकी सहायक	9414467579	01572—251142
8	श्री मनोज गुप्ता	सहायक अभियन्ता सीकर—I	9413072008	01572—251142
9	श्री धन्ने सिंह	सहायक अभियन्ता सीकर—II	9460103911	01572—251142
10	श्री जितेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता लक्ष्मणगढ़		01573—222269

### 16.18 आपातकालीन बचाव उपकरण एवं स्थान

क्र.सं.	बचाव उपकरण का स्थान	अधिकृत अधिकारी / विभाग	सम्पर्क
1	राजकीय उ. मा. वि. नीम का थाना	सीओ कमांडिंग अफसर, स्काउट गार्ड	01572—254402,
2	राजकीय उ. मा. वि. थोर्ई, खण्डला	सीओ कमांडिंग अफसर, स्काउट गार्ड	01572—254402,
3	राजकीय उ. मा. वि. कररे, दांता रामगढ़	सीओ कमांडिंग अफसर, स्काउट गार्ड	01572—254402,
4	राजकीय उ. मा. वि. जाजोद, लक्ष्मणगढ़	सीओ कमांडिंग अफसर, स्काउट गार्ड	01572—254402,
5	राजकीय उ. मा. वि. देसवा, फतेहपुर	सीओ कमांडिंग अफसर, स्काउट गार्ड	01572—254402,

### 1619 पुलिस लाईन सीकर में आपातकालीन बचाव उपकरण

क्र.सं.	स्थान जहाँ उपलब्ध है।	नाम सामग्री	संख्या
1	पुलिस लाईन सीकर	रस्सी	50 कि.ग्रा.
		लाईफ जैकेट	20
		रबर ट्यूब	10
		ड्रेगन लाईट	15
		फेस मास्क	03
		फावड़ा	37
		पिक्स	06
		बीओबी रोप	02
		फाइबर रोप	02
		फर्स्ट एड बॉक्स	03
		सेफटी हेलमेट	05
		पूली	01
		गम बूट	02
		हैण्ड ग्लास	04
		स्ट्रेचर	03

		रस्सा	20
2	पुलिस दूरसंचार केन्द्र सीकर	वायर लेस सेट 20W HB/MB	278
		हेण्ड हेल्ड 2 W	88

## अध्याय 17

### आपदा प्रबन्धन में लाभकारी शब्दावलियाँ

- ARMVs - Accident Relief Medical Vans
- CBOs - Community Based organisations
- CBRN - Chemical, Biological, Radiological & Nuclear
- CCMNC - Cabinet Committee on Management of Natural Calamities
- CCS - Cabinet Committee on Security
- CRF - Calamity Relief Fund
- DDMA - District Disaster Management Authority
- DM - Disaster Management
- GIS - Geographical Information system
- GPS - Global Positioning System
- HLC - High Level committee
- HPC - High Power Committee
- ICS - Incident Command System
- ICT - Information and Communication Technology
- IDRN - India Disaster Resource Network
- IDKN - India Disaster Knowledge Network
- IMC - Inter-Ministerial Committee
- NCCF - National Calamity Contingency Fund
- NCMC - National Crisis Management Committee
- NDEM - National Database for Emergency Management
- NDMA - National Disaster Management Authority
- NDMF - National Disaster Mitigation Fund
- NDRF - National Disaster Response Force
- NEC - National Executive Committee
- PRIs - Panchayati Raj Institutions
- SDMS - State Disaster Management Authority
- SDRF - State Disaster Response Force
- SEC - State Executive Committee
- SOPs - Standard Operating Procedures
- ULBs - Urban Local Bodies